लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र
Fourteenth Session]

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On 30 12 83
Parliament Library

[खंड 51 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. LI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 13—गुरुवार, 3 मार्च, 1966/12 फाल्गुन, 1887 (शक)

No. 13—Thursday, March 3, 1966/Phalguna 12, 1887 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
326—क अत्यावश्यक वस्तुओं से नियंत्रण हटाना	Decontrol of Essential Commodities	4041–46
327 विकास संबंधी कार्य	Development Activities . .	4046–48
328 जीवन बीमा निगम का प्रीमियम	L.I.C. Premia	4048–50
329 किसानों के लिये बिजली का शुल्क	Electricity Rates for Agriculturists	4050–52
330 सूखा-प्रभावित क्षेत्रों में पीने के पानी की सप्लाई	Drinking Water Supply in Drought-affected Areas . . .	4052–54
331 संयुक्त राज्य अमरीका के साथ जोखिम प्रत्याभूति करार	Risk Guarantee Agreement with U.S.A.	4054–57
अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No.		
3 ताश्कंद करार के अनुसार सेना का पिछे हटाया जाना	Withdrawal of Forces under Tashkent Agreement . .	4057–63

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
332 जीवन बीमा निगम द्वारा सामान्य बीमा कारोबार को अपने हाथ में लेना।	Taking over of General Insurance Business by L.I.C. . .	4064
333 सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों से आय-कर तथा उत्पादन शुल्क की वसूली	Realisation of Income-tax and Excise Duty from People in Border Areas . . .	4064–65
335 स्वर्णकारों को रोजगार दिलाना	Rehabilitation of Goldsmiths .	4065–66
336 नगर प्रतिकर तथा मकान किराया भत्तों के प्रयोजनार्थ नगरों की वर्गोन्नति	Upgradation of Cities for purpose of City Compensatory and House Rent Allowances . . .	4066
337 औद्योगिक सम्बन्ध	Industrial Relations . . .	4066
338 आय सम्बन्धी विषमतायें	Disparities in Income . .	4066–67
339 अन्तर्राज्य नदी जल विवाद	Inter-State River Water Disputes	4067
340 कलकत्ता में सीमा शुल्क तथा आयकर के सम्बन्ध में छापे	Customs and Income-Tax Raids in Calcutta	4067–68
341 आयात-निर्यात नियंत्रण	Import Export Control . .	4068

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
342	1966-67 के लिए विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for 1966-67 .	4068
343	दामोदर घाटी निगम के क्षेत्रों के बाहर बिजली का दिया जाना	Power Supply outside D.V.C. Areas	4068–69
344	विश्व बैंक से ऋण	Credit from World Bank . .	4069–70
345	शांति वन	Shantivana	4070
346	जयपुर में कांग्रेस अधिवेशन (फरवरी, 1966)	Congress Session at Jaipur (Feby. 1966)	4070
347	औद्योगिक उत्पादन के लिए रुपये के रूप में मुद्रा की कमी	Paucity of Rupee Finance for Industrial Production . .	4070–71
348	राष्ट्रीय आय	National Income .	4071
349	सिंचाई क्षमता	Irrigation Potential . . .	4071
350	विदेशी विनियोजन	Foreign Investment . . .	4072
351	हाँगकांग के भारतीयों द्वारा विदेशी मुद्रा का भेजा जाना	Foreign Exchange Remittances by Indians in Hongkong . .	4072
352	तीन वर्षीय योजनाएं	Three Year Plans	4072–73
353	मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी	M/s. Bird & Co. . . .	4073
354	स्टेट बैंक द्वारा दी जाने वाली अग्रिम राशियों पर व्याज की दर	Rate of Interest on State Bank Advances	4073–74
355	राज्यवार प्रति व्यक्ति आय	State-wise Per Capita Income .	4074
356	अमरीकी ऋण	U. S. Loan	4074–75

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
1464	केरल में मलेरिया उन्मूलन योजना के कर्मचारी	Employees of Malaria Eradication Scheme in Kerala . .	4075
1465	केरल में मानसिक रोग के अस्पताल	Mental Hospitals in Kerala .	4075
1467	हैजा	Cholera	4076
1468	अनुर्वरीकरण आपरेशन	Sterilization Operations . .	4076
1469	चिकित्सा विज्ञान संबंधी भारतीय अकादमी	Indian Academy of Medical Sciences	4076
1471	रैन बसेरे	Night Shelters	4076–77
1472	नगरीय सामुदायिक विकास परियोजनायें	Urban Community Development Projects	4078

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1473	औद्योगिक विवादों में अनिवार्य न्याय निर्णय	Compulsory Adjudication in Industrial Disputres . . .	4078
1474	देवनगर में सरकारी क्वार्टरों के निवासियों से अभ्यावेदन	Representation from Residents of Government Quarters in Dev Nagar	4078–79
1475	केरल में ग्रामीण जल संभरण योजनाएं	Rural Water Supply Schemes in Kerala	4079
1476	केरल में ग्रामीण जल संभरण योजनाएं	Rural Water Supply Schemes in Kerala	4079
1477	केरल में ग्रामीण जल संभरण योजनाएं	Rural Water Supply Schemes in Kerala	4079–80
1478	चाय का निर्यात	Export of Tea	4080
1479	काली मिर्च में हलके दाने	Light Berries in Black Pepper .	4080–81
1481	दिल्ली में कोढियों के लिए भूमि	Land for Lepers in Delhi . .	4081
1482	मंत्रियों द्वारा बिजली और जल की खपत	Electric and Water Consumption by Ministers	4081
1483	केरल में अस्पतालों के कर्मचारी	Hospital Workers in Kerala .	4081–82
1484	सरकारी मकानों के लिये गैर-सरकारी लोगों से बाजार भाव पर किराये की वसूली	Recovery of Market Rent from private individulals for Government Accommodation . .	4082
1485	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के लिए परीक्षा	Examination for Post-Graduate Medical Studies . . .	4082
1486	वज्ञानिकों पर खर्च	Investment on Scientists .	4082–83
1487	शीत के कारण मृत्यु	Deaths due to Cold . . .	4083
1489	प्रबन्ध अध्ययन सम्बन्धी तालिका	Panel on Management Studies .	4083
1490	आयकर अधिकारियों की परीक्षा	Income-Tax Officers Examination	4084
1491	सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों के लिए जीवन बीमा निगम की विशेष योजना	Special L.I.C. Scheme for Armed Personnel	4084
1492	अपोषाहारी भोजन सम्बन्धी समस्याएं	Malnutrition Problems	4084–85
1495	यूनानी चिकित्सा प्रणाली	Unani System of Medicine .	4085–86
1496	मंगलौर जल संभरण योजना	Mangalore Water Supply Scheme	4086
1497	भारत सरकार मुद्रणालय की वर्गीकरण समिति	Categorisation Committee of Government of India Press .	4086
1498	फर्नीचर तथा मरम्मत में बचत	Savings in Furniture and Repairs	4086
1499	राज्यों में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत	Per Capita Power Consumption in States	4087
1500	मानसिक रोगियों के लिये अस्पताल	Hospitals for Mental Patients .	4087

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1501	इर्विन अस्पताल, नई दिल्ली	Irwin Hospital, New Delhi .	4087–88
1502	जीवन बीमा निगम के कमचारियों के लिये वेतन आयोग	Pay Commission for L.I.C. Employees	4088
1503	दिल्ली में सरकारी क्वार्टर	Government Accommodation in Delhi	4088–89
1504	गोदावरी नदी पर दौलेश्वरम् ऐनीकट संबंधी मित्रा समिति का प्रतिवेदन	Mitra Committee's Report on Dowlaishwaram Anicut over the Godavari . . .	4089
1505	कलकत्ता में रिजर्व बैंक के कार्यालय के लिये भवन	Building for Reserve Bank's Offices in Calcutta	4089
1506	प्रसूति अवकाश	Maternity Leave . . .	4090
1507	1965-66 में उत्तर प्रदेश को ऋण तथा अनुदान	Loans and Grants to U.P. during 1965-66	4090
1508	शक्ति चालित करघों से वसूल किया गया उत्पादन शुल्क	Excise Duty Collected from Powerlooms	4090
1509	परिवार नियोजन योजना	Family Planning Scheme . .	4091
1510	मूल्य नियंत्रण समिति	Price Control Committee . .	4091
1511	पंजाब में ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाएं	Rural Industrial Projects in Punjab	4091
1512	पंजाब में ग्राम तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में आवास योजनायें	Rural and Border Areas Housing Schemes, Punjab . . .	4092
1513	पंजाब में भारत सेवक समाज को सहायता	Assistance to Bharat Sewak Samaj in Punjab	4092
1514	भारतीय मुद्रा का अवैध विनियम	Illegal exchange of Indian Money	4092
1515	ग्राम्य अर्थ व्यवस्था का विकास	Uplift of Village Economy	4093
1516	विदेशों में रखी गई प्रतिभूतियों की बिक्री	Sale of Securities held abroad .	4093
1517	दिल्ली में मच्छर पैदा करने वाली हालत	Mosquitogenic conditions in Delhi	4094
1518	बागमती परियोजना	Bagmati Project . . .	4094–95
1519	माताटिला बांध से मध्य प्रदेश को बिजली की सप्लाई	Power Supply to Madhya Pradesh from Matatila Dam . .	4095
1520	रैन बसेरे	Night Shelters .	4995–96
1521	उड़ीसा में परिवार नियोजन में रुचि उत्पन्न करन संबंधी शिविर	Family Planning Orientation Camps in Orissa . . .	4096
1522	राजस्थान की सिंचाई तथा बिजली योजनाएं	Irrigation and Power Schemes of Rajasthan	4096
1523	राजस्थान में चेचक तथा हैजा	Small Pox and Cholera in Rajasthan	4096–97

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1524	राजस्थान में जीवन बीमा निगम द्वारा विनियोजन	L.I.C. Investment in Rajasthan .	4097
1525	पश्चिम बंगाल के अस्पतालों में क्षय रोगियों के लिए बिस्तर	T. B. Beds in West Bengal Hospitals	4097
1526	अधिकारियों द्वारा विमानों का उपयोग	Use of Planes by Officers . .	4097–98
1527	साबरीगिरी परियोजना	Sabarigiri Project . . .	4098
1528	नगरपालिका आयुक्तों के अधिकार	Powers of Municipal Commissioners	4098–99
1529	विश्व हृदय-विज्ञान कांग्रेस	World Congress of Cardiology .	4099
1530	नेफा के लिए कृषि योजना	Agricultural Plan for NEFA .	4100
1531	अपर गोदावरी करनजवां परियोजना	Upper Godavari Karanjwan Project	4100
1532	दिल्ली के लिए तीसरी योजना	Third Plan for Delhi .	4101
1533	करारोपण से छूट	Exemption from Taxation .	4101
1534	डम्बूर परियोजना, त्रिपुरा	Dumboor Project Tripura .	4101–02
1535	पागलखाने	Lunatic Asylums . . .	4102
1536	त्रिपुरा में भूमि से बेदखली	Eviction from Lands in Tripura.	4102–03
1537	लक्ष्य बद्ध कर-प्रधान परिवार नियोजन कार्यक्रम	Target Bound Tax-oriented Family Planning Programme . .	4103
1538	इंजिनियरों की कमी	Shortage of Engineers . .	4103–04
1539	खाद खरीदने के अमरीकी ऋण	U. S. Loan for Purchase of Manure	4104
1540	केरल के लिए सिंचाई योजनाएं	Irrigation Schemes for Kerala	4104–05
1541	राष्ट्र निर्माण सम्बन्धी कार्य	Nation Building Activities . .	4105
1542	अनुभाग अधिकारियों आदि को अग्रिम वेतन वृद्धी	Advance Increments to Section Officers, etc.	4105–06
1543	अवैध धन के लिए तलाशी	Search for Illicit Wealth .	4106
1545	तापीय बिजलीघर	Thermal Power Stations .	4106–07
1546	दामोदर घाटी निगम का कोनार बांध	Konar Dam of D.V.C. .	4107
1547	आय-कर का निर्धारण	Income-tax Assessments	4107–08
1548	पम्पो को क्रियाशील बनाना	Energisation of Pumps . .	4108
1549	कोयला क्षेत्र में अतितापीय बिजली घर	Super-Thermal Power Station in Coal Area	4108
1550	मध्य प्रदेश राज्य को ऋण	Loan to Madhya Pradesh State .	4108–09
1551	केरल में मध्यम सिंचाई योजनायें	Medium Irrigation Schemes in Kerala	4109
1553	अंतर्राज्य सिंचाई योजनाएं	Inter-Irrigation Schemes . .	4109
1554	मद्रास में सिंचाई योजनाएं	Irrigation Schemes in Madras .	4109–10

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	पृष्ठ PAGES
	SUBJECT	
1555	सम्पदा निदेशालय, नई दिल्ली द्वारा मकान खाली कराने के नोटिस	Eviction Notices by Directorate of Estates, New Delhi . . 4110
	अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने तथा स्थगन प्रस्तावों के बारे में—	Re : Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance and Motions for Adjournment— 4111
	आसाम के मिजो जिले में स्थिति	Situation in Mizo District, Assam
	बम्बई कपडा मिलों के कर्मचारियों की हड़ताल और दिल्ली क्लाथ मिल, दिल्ली, के प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच विवाद के बारे में	Re : Bombay Textile Workers' strike and dispute between Management and Labour in D.C.M. Delhi 4111–14
	सभा-पटल पर रखा गया पत्र	Paper Laid on the Table . . 4114
	ध्यान दिलाने की सूचना के बारे में (प्रश्न)	Re : Calling Attention Notice (query) 4115
	रेलवे आय-व्ययक, 1966-67—सामान्य चर्चा—	Railway Budget, 1966-67—General Discussion—
	श्री नि० रं० लास्कर	Shri N. R. Laskar . 4115–17
	श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharya 4117–19
	श्री रवीन्द्र वर्मा	Shri Ravindra Varma 4119–21
	श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad 4121–22
	श्री राम सेवक यादव	Shri Ram Sevak Yadav 4122–24
	श्री बासप्पा	Shri Basappa . . 4124–26
	श्री गोपाल दत्त मेंगी	Shri Gopal Datt Mengi 4126–27
	डा० लक्ष्मीमल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi . 4127–30
	श्री अ० त्रि० शर्मा	Shri A. T. Sharma . . 4130,4143
	स्थगन प्रस्ताव—	Motion for Adjournment—
	आसाम के मिजो जिले में स्थिति—	Situation in Mizo District, Assam—
	श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri 4131–32,4142
	श्री रंगा	Shri Ranga . . 4132–33
	श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee . 4133–34
	श्री प्र० चं० बरूआ	Shri P. C. Borooah . 4134–35
	श्री स्वैल	Shri Swell 4135–36
	श्री हेम बरूआ	Shri Hem Barua . . 4136–37
	श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा	Shrimati Jyotsna Chanda . 4137
	श्री फकरुद्दीन अहमद	Shri Fakhruddin Ahmed . 4138–39
	डा० राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia . 4139–40
	श्री हुकुम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachhavaiya 4140
	श्री नन्दा	Shri Nanda . . . 4140–42
	राष्ट्रपति से संदेश	Message from the President . 4142

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 3 मार्च, 1966/12 फाल्गुन, 1887 (शक)
Thursday, March 3, 1966/Phalguna 12, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अत्यावश्यक वस्तुओं से नियंत्रण हटाना

+

***326-क. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी अत्यावश्यक वस्तुओं से नियंत्रण हटाने का निश्चय कर लिया है;

(ख) किन-किन वस्तुओं से नियंत्रण पहले ही हटा लिया गया है और उसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) किन-किन वस्तुओं से नियंत्रण हटाने के सम्बन्ध में अब विचार किया जा रहा है; और

(घ) नियंत्रण हटाने के सम्बन्ध में क्या कसौटी निर्धारित की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) दिसम्बर 1963 में जिन वस्तुओं पर से नियंत्रण हटा लिया गया था, उनकी सूची सभा की मेज पर रख दी गयी है । बाद में इस्पात की कुछ किस्मों पर से नियंत्रण हटा लिया गया । जैसा कि 17 फरवरी 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 77 के उत्तर में बताया गया था, "जिन वस्तुओं पर से नियंत्रण हटाया गया था उनमें से अधिकतर वस्तुओं का उत्पादन बढ़ गया है; मूल्यों में हुई सामान्य वृद्धि के साथ-साथ इन वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ गये हैं । यह कहना सम्भव नहीं है कि नियंत्रण हटा लिये जाने के कारण मूल्यों या उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ।" चालू वित्त-वर्ष में जिन वस्तुओं पर से नियंत्रण हटाया गया है, वे है सीमेण्ट और ढला लोहा (पिग आयरन) । ढला लोहा अब आसानी से मिल रहा है । सीमेण्ट के वितरण का नियमन उत्पादकों द्वारा स्थापित किये गये एक संगठन द्वारा किया जा रहा है और यह व्यवस्था संतोषप्रद ढंग से चल रही है ।

(ग) और (घ) : सरकार मौजूदा नियंत्रणों के प्रभावकारी होने या न होने, वर्तमान उपलब्धि और भावी उत्पादन पर पड़ने वाले उनके प्रभाव तथा अन्य सम्बद्ध बातों की दृष्टि से इनकी बराबर समीक्षा करती रहती है ।

विवरण

वे वस्तुएं, जिन पर से दिसम्बर 1963 में नियंत्रण हटा लिया गया था :

1. रेयन का धागा
2. स्टेपल रेशा
3. कास्टिक सोडा
4. सोडा ऐश
5. हाइड्रोक्लोरिक एसिड
6. क्लोरिन
7. केलशियम कारबाइड
8. ब्लीचिंग पाउडर
9. चिलीयन नाइट्रेट
10. म्यूरिएट आफ पोटाश
11. सल्फेट आफ पोटाश
12. कपडे धोने का साबुन
13. टायर और ट्यूब
14. चादर कांच (शीट ग्लास)
15. कागज का गत्ता (लेकिन कागज नहीं)
16. प्राकृतिक रबड़

श्री हरिश्चंद्र माथुर : प्रश्न के भाग (ख) के अधीन दी गई सूची में ने देखी है। मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस संबंध में व्यापक भ्रम को दूर करें। आप सीमेण्ट से नियंत्रण हटा रहे है, जो एक दुर्लभ वस्तु है तथा इस का मूल्य ढांचा इस प्रकार से बनाया गया है जिस से एकाधिकार की वृद्धि होगी। आप चीनीसे नियंत्रण हटाने से इंकार करते है, जोकि बहुतायत में है। उर्वरकों पर से आंशिक रुप से नियंत्रण हटा लिया गया है तथा एक ऐसा सौदा किया गया है जो उच्च अधिकारियों को अमान्य है। इन सब कार्यों में सम्बन्ध कैसे स्थापित किया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रत्येक विभाग और मंत्रालय अपनी मर्जी के अनुसार काम कर रहे है अथवा कोई अखिल भारतीय नीति निर्धारित की गई है, जिस के आधार पर कार्य किया जाता है और किसी अधिकारी द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय स्थापित किया जाता है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : सामन्यत: इस प्रश्न को एक भारी प्रश्न कहा जा सकता है। मैं आपको इस के कारण बताऊंगा। इस संबंध में मैं अपनी राय व्यक्त करता हूं, हो सकता है मेरी राय गलत हो, परन्तु मैं उस के समर्थन में तर्क पेश करूंगा। पहले आप ने कहा है कि जहां तक सीमेण्ट का संबंध है यह एक दुर्लभ वस्तु है। मैं आप से इस बात पर पूर्णत: सहमत नहीं हूं। **(अन्तर्बाधायें)** श्रीमान्, मैंने माननीय सदस्य की बात पूर्ण आदर से सुनी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधन करें :

श्री शचीन्द्र चौधरी : जब मैंने "श्रीमान" कहा था तो अध्यक्षपीठ को सम्बोधन किया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप ने कहा है "मैं आप से पूर्णत: सहमत नहीं हूं"।

श्री शचीन्द्र चौधरी : मुझे खेद है कि मैं इस सभा के तरीकों से इतना परिचित नहीं हूं, जितना मेरे माननीय मित्र श्री इन्द्रजीत गप्त हैं। यदि मैं कुछ गलती करूं तो वह मुझे ठीक कर सकते हैं। मैं कह रहा था कि पहले तो मुझे यह बात स्वीकार नहीं है कि चीनी की तुलना में सीमेण्ट एक दुर्लभ वस्तु है। दूसरे जहां तक चीनी का संबंध है इस की सीमेण्ट की तुलना में कहीं अधिक आवश्यकता है। लोग सीमेण्ट नहीं खाते, लोग चीनी खाते हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या आप चीनी को अधिक महत्व देते हैं ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं सीमेण्ट की तुलना में चीनी को अधिक महत्व देता हूं। जैसा कि मैंने कहा इस बारे में भिन्न राय भी हो सकती है, परन्तु सरकार की यह राय है।

तीसरे मेरे माननीय मित्र श्री माथुर ने कहा है कि हम एकाधिकार के मूल्यों के सामने झुक गये हैं।

डा० रानेन सेन : क्या वह लैक्चर दे रहे हैं, उन्हें प्रश्न का उत्तर देना चाहिये।

श्री शचीन्द्र चौधरी : जब प्रश्न ही लैक्चर के रुप में पूछा गया है तो उत्तर भी लैक्चर के रूप में होगा।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : हमें शांति से सुनना चाहिये।

श्री शचीन्द्र चौधरी : तीसरी बात यह कही गई है कि यह एकाधिकार का मामला है और हम ने किसी न किसी तरह उन्हें मूल्य निर्धारित करने की आज्ञा दे रहे हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि जब भी किसी वस्तु पर से नियंत्रण हटाया जाता है, हम यह जानने के बारे में हमेशा सतर्क रहते हैं कि उस का मूल्य उचित है अथवा अनुचित। शायद श्री माथुर मुझ से इस बात पर सहमत न हों और वह यह कहें कि बाजार में सीमेण्ट का वह भाव नहीं है जो होना चाहिये था। अगला प्रश्न उर्वरकों के बारे में है। उर्वरकों के बारे में मेरा उत्तर यह है कि यह सच है कि उर्वरकों पर से आंशिक रुप में नियंत्रण हटाया गया है परन्तु इस बात का कोई संकेत नहीं मिला है कि उर्वरकों पर से नियंत्रण हटाये जाने के कारण उन के मूल्यों में बहुत वृद्धि हुई है। फिर उन का अन्तिम प्रश्न है। मैं समझता हूं कि यदि मैं उनके अन्तिम प्रश्न के बारे में कुछ भूल गया हूं तो श्री माथुर मुझे क्षमा करेंगे तथा मुझे याद दिलाने की कृपा करेंगे मैं समझता हूं उन का अन्तिम प्रश्न सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय के बारे में था तथा उन्होंने पूछा था कि क्या प्रत्येक मंत्रालय अपनी मर्जी से काम करता है। श्री माथुर स्वयं संविधान से सुपरिचित हैं (**अन्तर्बाधायें**) सरकार द्वारा बनाई गई किसी नीति की जिम्मेदारी सारी सरकार पर होती है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : बड़े दुःख की बात कि वित्त मंत्री ने उस वक्तव्य को नहीं देखा है जो कि कमी के बारे में सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। दुर्भाग्य से उन्हें अतीत की बात याद नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि वह पहले भी शायद किसी तरह इस प्रश्न से सम्बन्धित हैं। मेरा निवेदन यह है कि जो कुछ उन्होंने कहा है उस का उन्हें परीक्षण करना चाहिये। उन्हें यह भी देखना चाहिये कि अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों ने इस बारे में क्या कहा है। इस बात को यही छोड़ कर मैं अन्य प्रश्न की ओर आता हूं। मेरे विचार में वह जब तक पूरी जानकारी हासिल न कर ले, इस दशा में मेरी कोई सहायता नहीं कर सकते। उन्होंने समन्वय की बात कही है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि प्रश्न संक्षेप होंगे तो उत्तर भी संक्षेप होंगे।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या माननीय वित्त मंत्री का ध्यान योजना आयोग के अध्ययन दल द्वारा नियंत्रण लगाने और नियंत्रण हटाने के संबंध में किये गये अध्ययनों की ओर आकृष्ट हुआ है आज के इण्डियन एक्सप्रेस में निम्नलिखित समाचार प्रकाशित हुआ है :

"विभिन्न वस्तुओं तथा विभिन्न क्षेत्रों में लगाये गये नियंत्रणों के समन्वय के संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया गया है। वस्तुतः पहले से लगाये गये नियंत्रणों से उत्पन्न परिवर्तनों के आधार पर आयोजित रुप से आवश्यक नियंत्रण लगाने अथवा उन्हें हटाने के संबंध में कोई एक अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है"

योजना आयोग का उक्त निष्कर्ष वित्त मंत्रालय के कथन के प्रतिकूल है। क्या वित्त मंत्री इस बात पर कुछ प्रकाश डालेंगे ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : प्रथम तो मैं माननीय सदस्य को यह बताने की स्थिति में नहीं हूं कि योजना आयोग ने कोई अध्ययन किया है अथवा नहीं। फिर भी चूंकि उन्हों ने अपना कथन एक समाचारपत्र "इण्डियन एक्सप्रैस" से लिया है, अतः मैं समझता हूं कि वह ठीक होगा। यहां पर जो कुछ कहा गया है, वह योजना आयोग की टिप्पणी मात्र है तथा इसे योजना आयोग का स्टेटमेंट नहीं कहा जा सकता। यह नहीं कहा जा सकता कि यह तथ्यों का स्टेटमेंट **(अन्तर्बाधायें)**

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैंने केवल अध्ययन के बारे में कहा था, यह उसके निष्कर्षों को स्वीकार करने का प्रश्न नहीं है।

श्री शचीन्द्र चौधरी : यह एक टिप्पणी है, तथ्य नहीं। मैं तथ्यों के बारे में बता सकता हूं किसी राय के बारे में नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक मैं अनुमति न दूं माननीय सदस्यों को प्रश्न नहीं पूछने चाहियें तथा उन का उत्तर नहीं दिया जाना चाहिये।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार के सामने कोई स्पष्ट रुपरेखा तथा कसौटी है जिस के आधार पर अत्यावश्यक वस्तुओं पर नियंत्रण लगाया जाता है अथवा उन पर से नियंत्रण हटाया जाता है और क्या यह आधार मख्यतः आर्थिक है अथवा राजनतिक भी ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : निस्संदेह यह निश्चय सिद्धान्तों के आधार पर किया जाता है कि कौन सी वस्तुओं से नियंत्रण हटाया जाय अथवा कौन सी वस्तुओं से नहीं। स्पष्टतः सरकार इस संबंध में मुख्यतः आर्थिक परिस्थितियों को देख कर कार्य करती है।

डा० रानेन सेन : माननीय वित्त मंत्री ने अभी बताया है कि सीमेण्ट से नियंत्रण हटाने के बाद बाज़ार में इस के विक्रय का नियमन उद्योगपतियों द्वारा स्थापित किये गये एक अभिकरण द्वारा किया जा रहा है तथा उन्होंने यह भी कहा है कि यह व्यवस्था सुचारु रूप से चल रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि इस वर्ष फरवरी मास में सीमेण्ट से नियंत्रण हटाने के बाद लगभग देश के सब नगरों में व्यापारी सीमेण्ट पर नियंत्रण हटाते समय निर्धारित मूल्य से 3 से 4 रुपये तक अधिक ले रहे है और यदि मंत्री महोदय को यह विदित है कि सिमेण्ट 11.50 रुपये से 12.00 रुपये प्रति बैग के हिसाब से बेची जा रही है, तो इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है।

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं प्रश्न नहीं समझ सका। क्या प्रश्न यह है कि सीमेण्ट को गैर सरकारी अभिकरण द्वारा निर्धारित मूल्य से तीन या चार रुपये महंगे भाव से बेचा जा रहा है ?

डा० रानेन सेन : जी, हां।

श्री शचीन्द्र चौधरी : मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

श्रीमती सावित्री निगम : पूरक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने अभी बताया कि जिन वस्तुओं पर से नियंत्रण हटाया जाता है सरकार यह देखने के लिये कि उन के मूल्यों में वृद्धि हुई है अथवा नहीं, उनके मूल्यों पर लगातार ध्यान रखती है। इस संदर्भ में मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या उनको विदित

है कि नियंत्रण हटाने के बाद 6 महीने की अवधि में डालडा तथा अन्य हाइड्रोजनीकृत तेलों जैसे वनस्पति आदि पांच गुने हो गये हैं और यदि उन्हें इस की जानकारी है तो वह इस बारे में वह क्या कार्यवाही कर रहे है कि समस्त भोज्य तेलों (जिस में वनस्पति तथा हाइड्रोजनीकृत तेल भी शामिल हों) के मूल्यों पर, जिन से नियंत्रण हटा लिया गया था, पुनः नियंत्रण लगा दिया जाये ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : क्या माननीय सदस्य का तात्पर्य यह है कि गत 6 महीनों में उनके मूल्य पांच गुने हो गये है अथवा वह पांच गुने हो गये हैं **(अन्तर्बाधायें)**

श्रीमती सावित्री निगम : उन के मूल्य पांच गुणे हो गये है, जैसे एक पैसे से पांच पैसे आदि ।

श्री शचीन्द्र चौधरी : यदि प्रश्न यह है तो मुझे यह जानकारी नहीं है कि उन के मूल्य पांच गुणे हो गये हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : आप की जानकारी क्या है ?

श्री शचिन्द्र चौधरी : मेरी जानकारी यह है कि मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई है परन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि वे पांच गुणे हो गये हैं ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जहां तक कार्यवाही का प्रश्न है, वह हमारे विचाराधीन है, अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Prices increase firstly due to scarcity. Secondly the traders increase the prices and thirdly the increase is due to deficit financing. I would like to know whether Government have given or will give due attention to the matter and will make a scientific analysis in this connection, so that the incidence of increase in prices due to scarcity may be on the people, the incidence of increase caused by traders should be on the traders and the incidence of increase caused by deficit financing should be on Government.

श्री शचीन्द्र चौधरी : जहां तक आर्थिक अध्ययन का संबंध है, आर्थिक अध्ययन हमेशा चलता रहता है ।

श्री अ० प्र० शर्मा : माननीय वित्त मंत्री ने अभी बताया है कि क्योंकि लोग चीनी खाते है तथा प्रत्येक व्यक्ति को इसकी आवश्यकता होती है, इस लिये चीनी पर से नियंत्रण नहीं हटाया जायेगा तथा केवल उन ही वस्तुओं पर से नियंत्रण हटाया जायेगा जो खाने के काम नहीं आती है, जैसा कि सीमेण्ट । मैं जानना चाहता हूं कि कोयले पर जो देश में बहुतायत से उपलब्ध है आंशिक नियंत्रण क्यों लगाया हुआ है तथा इसे पूर्णतः क्यों नहीं हटाया जाता ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं ने यह नहीं कहा है कि किसी वस्तु पर से नियंत्रण इस लिये नहीं हटाया जाता क्यों कि वह खाने के काम आती है । मैं ने तो यह कहा था कि चीनी तथा सीमेण्ट में अन्तर है । उस उत्तर का यह अर्थ नहीं है कि जो वस्तु खाने के काम आती है उस पर से नियंत्रण नहीं हटाना चाहिये तथा जो वस्तु खाने के काम नहीं आती उस पर सें नियंत्रण हटा लिया जायेगा । हमें अन्य बातों को भी ध्यान में रखना होता है तथा कोयले की वितरण आदि की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर इस पर आंशिक नियंत्रण लगाया हुआ है ।

खाद्य उत्पादों के बारे में ऐसी ही नीति का अनुकरण किया जा रहा है ।

श्री अ० प्र० शर्मा : मैंने कहा कि कोयला खानों मे पड़ा हुआ है और उसे हटाया नहीं जा रहा है। उसे खरीदा नहीं जा रहा है। इस से खानों और मजदूरों पर प्रभाव पड़ता है। जब यह अधिक मात्रा में उपलब्ध है तो इस पर से नियन्त्रण क्यों हटाया जा रहा है।

श्री शचीन्द्र चौधरी : कोयले के बारे में मेरे तथा माननीय सदस्य में मतभेद हो सकता है कि वह एकत्र हो रहा और मजदूरों को कठिनाई हो रही है परन्तु सरकार समझती है आंशिक रूप से नियन्त्रण हटाना आवश्यक है। यदि आवश्यक हुआ तो यह पूर्ण रूप से हटा दिया जायेगा।

श्री रंगा : यह कैसा उत्तर है। कोयला उठाया जा रहा है या नहीं इन तथ्यों पर कैसे मतभेद हो सकता है। यदि उनके पास जानकारी नहीं है तो वह पूर्व सूचना के लिये कह सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति।

श्री रंगा : आप शान्ति, शान्ति क्यों कह रहे हैं। मेरी बात समझिये। मैंने कहा है कि तथ्यों के बारे में मतभेद नहीं हो सकता। माननीय सदस्य ने कहा है कि कोयला इकट्ठा होता जा रहा है। और माननीय मंत्री कहते है कि इस बारे मे मतभेद हो सकता है। यदि उनके पास जानकारी नहीं है तो वह सूचना के लिये कह सकते है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : उर्वरक से आंशिक रूप से नियन्त्रण हटा लिया गया है। इस प्रकार देखा जायेगा कि बाज़ार में उर्वरक बहुत बढ़े हुए मूल्य पर बिक रहा है। ऐसी स्थिति में क्या सरकार उर्वरक पर पूर्ण रूप से नियन्त्रण हटा देगी ताकि यह कृषकों को मिल सके ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : मुझे मालूम नहीं है कि कंट्रोल हटाये हुए उर्वरक का काले बाज़ार में बहुत बढ़ा हुआ है। यदि ऐसा है तो उर्वरक पर से पूर्ण रूप से नियन्त्रण हटाये जाने पर विचार किया जायेगा।

विकास संबंधी कार्य

*327. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों में प्रतिरक्षा और विकास सम्बन्धी कार्यों में समन्वय करने और प्राथमिकताएं पुन: निर्धारित करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार का एक विवरण सभा पटल पर रखने का इरादा है ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) : मसौदे की रूपरेखा तयार की जा रही है और पूरी होने पर उसे संसद् के सामने प्रस्तुत कर दिया जायेगा। रक्षा और विकास की उच्च प्राथमिक आवश्यकताओं को और अच्छी तरह से पूरा करने के लिए चौथी योजना के प्रस्तावों में जिन समंजनों की आवश्यकता होगी उनका इसमें ध्यान रखा जायेगा।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : उत्तर पूरा नहीं है। मैं एक स्पष्ट प्रश्न करना चाहता हूं ? वह सीमान्त सड़कों के बारे में है। क्या इस सम्बन्ध के बारे में निर्धारित की राशियों विशेष रुप से राजस्थान के बारे में कटौती कर दी गई है। क्या यह सच है, यदि नहीं, तो सीमान्त सड़कों को क्या प्राथमिकता दी जा रही है ?

श्री अशोक मेहता : योजना आयोग ने प्रतिरक्षा मंत्रालय और परिवहन मंत्रालय की सलाह से सीमान्त सड़कों के बारे में एक कार्यक्रम बनाया है। इसे चौथी योजना में शामिल किया जायेगा। स में राजस्थान के बारे में भी है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मेरा प्रश्न था कि क्या निर्धारित की गई राशियों में क्या बाद में कटौती कर दी गई है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

श्री अशोक मेहता : पहले निर्धारित की गई सभी राशियां अस्थायी थी । हाल की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सभी बातों पर विचार किया जा रहा है । कई विषयों राशियों में वृद्धि की जा रही है । कोई अन्तिम आंकड़ तैयार नही हुए है क्योंकि विभिन्न तकनीकी ग्रुप अभी भी कार्य कर रहे है और उनकी रिपोर्टों की प्रतीक्षा है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : श्रीमान मैंने जो कहा था वह सच मालूम होता है और जो बातें छपी है ठीक मालूम होती है । कृषि के विकास को दी जा रही प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में रायालासीमा के रेगिस्तानों के क्षेत्रों की समस्या के समाधान के लिये रेगिस्तान विकास प्राधिकार स्थापित करने के बारे में क्या प्रगति हुई है और इन परियोजनाओं के कितनी धनराशि दी जा रही है ?

श्री अशोक मेहता : रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिये दी जाने वाली राशि आंकड़े इस समय मैं नहीं दे सकता, **परन्तु** माननीय सदस्य जानते होंगे कि इस बारे में जोधपुर स्थित संस्थान की निगरानी एक परियोजना आरंभ की गई है । वहां पर प्राप्त हुए अनुभव के आधार पर हम इस बारे में विकास के लिये दस सालों का एक कार्यक्रम बतायेंगे ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या समाचारपत्रों में प्रकाशित हुई यह बात सच है कि जब माननीय मंत्री जब केवल योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे तो उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि योजना ठीक प्रकार से कार्यान्वित नहीं हो पा रही क्योंकि मंत्रियों तथा सरकार के नेताओं को आर्थिक विषयों का ज्ञान नहीं है ; यदि हां, तो क्या इन के मंत्रिमंडल में आ जाने से वह कमी पूरी हो गई है ?

श्री अशोक मेहता : श्रीमान मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न से कैसे सम्बन्ध रखता है । यह प्रश्न तो प्रतिरक्षा के लिय राशियों आदि के बारे में है ।

श्री हरि विष्णु कामत : जी नहीं । यह चौथी योजना के बारे में है । यह एक गम्भीर विषय है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अपनी अपनी राय की बात है ।

श्री हरि विष्णु कामत : यह ऐसा नही है । श्रीमान आप को विनिर्णय देना होगा । यह योजना के बारे में एक प्रश्न है । अभी अभी उन्होंने चौथी योजना का उल्लेख किया है । यह एक स्पष्ट प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मंत्रीने ऐसी बात कही थी ?

श्री अशोक मेहता : जब तक माननीय सदस्य ठीक ठीक बात नही बतायें और इस को स्रोत नहीं बताए, मैं ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या समाचारपत्रों की खबरें गलत होती है ?

श्री भागवत झा आझाद : क्या पुन: विचार के फलस्वरूप प्रतिरक्षा तथा विकास के लिये प्राथमिकताओं में परिवर्तन होगा ?

श्री अशोक मेहता : यह जाहिर है कि हम प्रतिरक्षा सम्बन्धी क्षमता को अपने विकास कार्य को प्रगति देकर ही बढ़ा सकते है । हम देख रहे है कि प्रतिरक्षा सम्बन्धी कितनी तुरन्त तथा दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूर्ति को योजना में रख लिया गया है । हम यह भी देख रहे है कि उस में कोई त्रुटि तो नहीं

रह गई है। यदि है तो उसे हटा दिया जाये। इसी प्रयोजन के लिये हमने 9 तकनीकी अध्ययन दल तैनात किये है जो हमारा अर्थव्यवस्था के इस पहलू पर विचार कर रहे हैं। इन की रिपोर्टों के अनुसार निर्धारित राशियों में आवश्यक परिवर्तन किया जायेगा। इस बात पर विचार होगा कि क्या कुछ वस्तुओं के लिये अलग से यूनिट लगाये जाये या वर्तमान यूनिटों में ही उन आवश्यक वस्तओं का उत्पादन किया जाये। इन यूनिटों में हमारी राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं आती हैं। इन बातों की ब्यौरेवार जांच पड़ताल की जायेगी।

Shri Madhu Limaye : The foreign aid has practically stopped after September last and we are facing a crisis in the matter of foreign exchange. I want to know whether this has affected adversely so far as the Hindustan Aircraft, Bangalore and Tank Factory at Avadi are concerned, if so, the steps taken for the smooth development of these factories?

Shri Ashok Mehta : I cannot give answer in respect of Tank Factory, because it is completely under the charge of Defence Ministry. So far as the Hindustan Aircraft is concerned, it produces aircrafts for both civilian and defence requirements.

One of the Study Group is looking into the foreign exchange difficulties and reallocation to be made in this regard.

Shri Madhu Limaye : Only half of my question has been answered.

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप आधे घंटे की चर्चा की मांग कर सकते हैं।

Shri Sidheshwar Prasad : I want to know whether the percentage of allocation for agriculture would be more in fourth plan as compared to the allocations made during previous plans?

Shri Ashok Mehta : I have already said that more attention is being paid to agriculture. If anything is being given equal priority with defence, it is agriculture. Thus percentage of allocations for agriculture would be more than in previous plans.

श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या किसी ऐसे अभिकरण की स्थापना की जा रही है जो प्रतिरक्षा कारखानों आदि में हो रही गवेषणा के तकनीकी तथा मशीनी निष्कर्षों को असैनिक कामों में भी प्रयोग लाने में सहायक हो ?

श्री अशोक मेहता : पहले प्रतिरक्षा उत्पादन तथा असैनिक उत्पादन का कार्य भिन्न भिन्न था। अब इन दोनों में समन्वय तथा समीप का सम्बन्ध करने के बारे में प्रयत्न किये जा रहे है और इसी लिय प्रतिरक्षा सम्भरण विभाग की स्थापना की गई है। तकनीकी अध्ययन दल भी इस ओर ध्यान देंग।

जीवन बीमा निगम का प्रीमियम

+

328. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री शिवचरण माथुर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1961 से लेकर वर्ष 1964 तक की अवधि में जीवन बीमा निगम के बीमाधारियों की मृत्यु दर का अध्ययन कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो क्या मृत्यु दर कम होती जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या जीवन बीमा निगम का विचार प्रीमियम की दरों को कम करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या किसी संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि ऐसा कोई कदम उठाया जाये ?

श्री ब० रा० भगत : यह प्राक्कलन समिति या लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में होगा । वे प्रकाशित प्रतिवेदन हैं ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या जीवन बीमा निगम में असामयिक मृत्यु के लिये कोई पृथक रजिस्टर रखा जाता है ?

श्री ब० रा० भगत : 1961–64 की मृत्यु संख्या का अध्ययन किया जा रहा है और आशा है कि यह प्रतिवेदन इस वर्ष के भीतर ही प्राप्त हो जायेगा ।

Shri M. L. Dwiwedi : We have come to know from the official data and from various other sources that the mortality rate is coming down. Why the Hon. Minister says 'No, Sir' and why there is no need for improvement in the L.I.C. rates?

Shri B. R. Bhagat : I have not said that. I said that the mortality rate is being scrutinised. After the report for the year 1961-64 is received, the rate of premium will be decided.

श्री भागवत झा आजाद : क्या कुछ और भी बातें हैं जिनके कारण सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि प्रीमियम की दर घटाने की आवश्यकता है ?

श्री ब० रा० भगत : और भी कारण हैं, उदाहरणार्थ, वेतन और व्यय में वृद्धि और विभिन्न अन्य बातें; अत: प्रीमियम की दर निर्धारित करने के लिये इन सब बातों पर विचार करना पड़ता है ।

श्री भागवत झा आजाद : किस समय ?

श्री ब० रा० भगत : इस वर्ष मृत्यु दर संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात बीमाविज्ञों की एक समिति इसकी जांच करेगी और सारी बातों पर विचार करेगी ।

Shri Shiv Charan Mathur : The Hon. Minister said about the Committee that will go into the question of premium rates. May I know whether that Committee has been appointed or not?

Shri B. R. Bhagat : After the receipt of the mortality rate report, it will be examined by the Committee of actuaries.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : यह प्रश्न मेरे 2 प्रश्नों तथा एक ढाई घंटे की चर्चा पर इस सभा में उठाया गया है । यह स्पष्ट है कि किसी पिछली अवधि के लिये प्रीमियम की दर घटाने के लिये मृत्यु दर का उचित रुप से कोई अध्ययन नहीं किया गया है । आप केवल 1964 तक ही अपने आप को क्यों सीमित रखते हैं । क्या सरकार इस प्रश्न को स्थगित करती जायेंगी या इस पर गंभीरता से विचार भी करेगी ताकि अधिकांश लोगों को प्रीमियम की घटी दरों का लाभ पहुंचे ?

श्री ब० रा० भगत : वह चर्चा अभी समाप्त नहीं हुई है। जब सभा समय नियत करेगी तब हम उन प्रश्नों पर उत्तर देंगे। परन्तु यह 1964 के लिये ही नहीं है; 1961 से 1964 तक की अवधि ली गई है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : इससे पहले की मृत्यु दर का कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

श्री ब० रा० भगत : इस तीन या चार वर्ष की अवधि के अध्ययन में भी कई वर्ष लग जाते हैं। संसार में कहीं भी इन आंकड़ों को 3 वर्ष से कम में इकट्ठा करना संभव नहीं है। यदि आप पहले की अवधि लेंगे तो उसमें 6 वर्ष लगेंगे। इसको देखते हुए यह अवधि रखी गई है ताकि मृत्यु दर की प्रवृत्ति का पता लग सके।

श्री शिंकरे : यह देखते हुए कि जीवन बीमा निगम के कुल व्यापार के 75 प्रतिशत से भी अधिक बन्दोबस्ती पालीसियां हैं और उनके लिये जीवन बीमा निगम सब से कम प्रतिलाभ देता है, अर्थात्, 1 प्रतिशत से भी कम, प्रीमियम की दरों को घटाने के संबंध में सरकार तुरन्त निर्णय क्यों नहीं ले सकी है ?

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार अध्ययन कर रही है।

श्री शिंकरे : अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री ब० रा० भगत : दोनों का कोई संबंध नहीं है। बात यह है कि यदि प्रीमियम की दरें ऊंची भी हैं तो उतना ही मुनाफा बढ़ जाता है और बोनस वर्षानुवर्ष घोषित किया जाता है। अतः पालीसीधारकों को कोई तुरन्त हानि नहीं होती है।

किसानों के लिये बिजली का शुल्क

+

*329. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री मानसिंह पृ० पटेल :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री धर्म लिंगम :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने कृषि कार्यों के लिये प्रयोग की जाने वाली बिजली का शुल्क घटाने के सम्बन्ध में निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है तथा कृषि कार्यों के लिये बिजली का वर्तमान शुल्क क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस कार्य के लिये राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता देना स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी आर्थिक सहायता दी जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कु० ल० राव) : (क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।[**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5666/66**]

श्री श्रीनारायण दास : विवरण से पता चलता है कि सरकार ने निर्णय किया है कि कृषि में प्रयोग होने वाले बिजली के खर्च पर 12 पैसे प्रति यूनिट से अधिक खर्च सरकार उठायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि उन क्षत्रों में लघु उद्योगों को दी जाने वाली बिजली की दरों की अपेक्षा कृषि को दी जाने वाली बिजली कैसे पड़ेगी ?

डा० कु० ल० राव : छोटे उद्योगों में ऐसे मामलों मे राज सहायता दी जाती है जहां दर 9 पैसे यूनिट से अधिक हो। इस विषय पर विचार किया गया था और कृषि उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के कारण 12 पैसे की दर उचित समझी गयी थी।

श्री श्रीनारायण दास : उद्योगों के बारे में यह अन्तर क्यों है ?

डा० कु० ल० राव : बड़े उद्योगों के विषय में दर इस लिये कम है क्योंकि वे एक ही स्थान पर हो हैं परन्तु नलकूप दूर दूर स्थानों पर होते हैं और बिजली पहुंचाने आदि पर व्यय अधिक होता है।

Shri Vishwa Nath Pandey : The statement shows that rates of electricity in Andhra Pradesh, Kerala, Punjab and Madhya Pradesh are lower as compared to other states. I want to know (a) the steps being taken by Government to remove this disparity and (b) the steps being taken in Eastern U.P. where it is 25 Paise.

डा० कु० ल० राव : यह ठीक है कि दक्षिणी राज्यों और पंजाब में दर कम है क्यों बिजली पर बिजली परियोजनाओं से प्राप्त की जाती है परन्तु उत्तर प्रदेश आदि राज्यों मे यह तापीय बिजली परियोजनाओं से उत्पन्न की जाती है और इस पर लागत अधिक आती है। यह एक आदर्श बात होगी यदि पूरे भारत में एक जैसी दरें हो परन्तु उसके लिये हमें कुछ वर्षों तक प्रतीक्षा करनी होगी जबतक कि पूरे भारत के लिये एक ग्रिड नहीं बनता।

उत्तर प्रदेश के बारे में यह ठीक है कि पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अन्तर है। उत्तर प्रदेश ने वायदा किया है कि जब पूरे राज्य के लिये बिजली की एकीकृत व्यवस्था की जा रही है और उसके बाद समान दरें लागू कर दी जायेंगी। इसके वर्ष के अन्त तक यह काम पूरा हो जायेगा। किसानों द्वारा 12 पैसे से अधिक खर्च होने पर राजसहायता दी जायेगी।

श्रीमती सावित्री निगम : सरकार के निर्णयों में इस प्रकार समन्वय तथा समानता न होने का क्या कारण है? उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों को पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित किया गया है और योजना आयोग ने उसके लिये एक विशेष आयोग की स्थापना की थी। इस सब के होते हुए भी आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में दरें क्रमश: 8 पैसे और 18 पैसे क्यों है ?

डा० कु० ल० राव : मैंने पहले भी कहा है कि जिन राज्यों में तापीय बिजली घरों से पर्याप्त बिजली उत्पन्न नहीं की जाती है जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश वहां पर दरें अधिक हैं। हम राज्य सरकारों से इन दरों को घटा कर एक समान करने को कहते रहे है। भारत सरकार ने निर्णय किया है कि 12 पैसे से अधिक खर्च के मामले में राजसहायता दी जायेगी। इस प्रकार असमानता का प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri M. L. Dwivedi : The Minister of Defence has just now said that defence and agriculture would be given top priority but the Minister of Irrigation has told us that small scale industries are being given power at the rate of 9 Paise per unit and agriculture at 12 Paise per unit. Keeping in view the priority to agriculture, I want to know whether he will consider that rates for agriculture are brought down within the limit of 9 Paise.

An hon. Member : It should be less than 9 Paise for agriculture.

डा० कु० ल० राव : हां, यह ऐसा होना चाहिये परन्तु कई बातों जैसे वित्त आदि का ध्यान रखते हुए 12 पसे उचित समझा गया है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : There is too much difference in rates of electricity supplied to industries and agriculture. It is given to the agriculturists at 19 Paise per unit and to the industrialists at 7 Paise per unit. I want to know whether steps have been taken to remove this difference. I would like to know whether state Governments have agreed to Centre's proposal regarding subsidy, if not, the reaction of Government in this regard?

डा० कु० ल० राव : मैंने पहले भी बताया है कि उद्योगों में बिजली बहुत अधिक लगती है जैसे नंगल उर्वरक कारखानों में लाखों रुपये बिजली पर व्यय होते है जबकि कृषकों के मामले मे यह केवल 150 या 200 रुपये होते है। इसके अतिरिक्त पम्प दूर दूर स्थानों पर लगाया जाते है। इस लिये उद्योगों के दर कृषि से भिन्न हैं। राज्यों के बिजली बोर्डों को संसद् के अधिनियम के अन्तर्गत् लाभ पर कार्य करना होता है। इन बातों के आधार पर दरें निर्धारित की जाती हैं। और सरकार अधिनियम के अन्तर्गत दरों के विषय में राजसहायता देती है।

श्री मानसिंह पृ० पटेल : विवरण से पता चलता है कि दरों के मामले में जनवरी, 1966 से सहायता दी जानी थी। यह सहायता कृषकों को राज्यों द्वारा दी जायेगी या बिजली बोर्डों द्वारा? और क्या यह उपरोक्त तिथि दी जा रही है?

डा० कु० ल० राव : जी हां, यह 1 जनवरी, 1966 से है। ठीक ठीक दर का अभी निश्चय होगा। परन्तु मेरे विचार में किसानों के लिये 12 पैसे है।

सूखा-प्रभावित क्षेत्रों में पीने के पानी की सप्लाई

***330. श्री लिंग रेड्डी :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के सूखा-प्रभावित क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिय क्या कार्यवाही की गई हैं और उन के क्या क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ख) इस समय देश कितने गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) सचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5681/66।]**

श्री लिंग रेड्डी : क्या पीने के पानी की आवश्यकताओं के संबंध में राज्यों से कोई जानकारी प्राप्त हुई है, यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है विशेषत. सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में ?

श्री ब० सू० मूर्ति : सभी राज्यों को एक पत्र जारी गया है जिसमें उनसे पूछा गया है कि उनकी वित्तीय आवश्यकता क्या है तथा उन्ह केन्द्र से कितने अंशदान की आवश्यकता होगी। अभी तक केवल 6 राज्यों ने उत्तर दिया है। मद्रास और बंगाल ने नहीं बताया है कि उन्हें किसी वित्तीय

सहायता की आवश्यकता है, जब कि मसूर ने बताया है कि उसके पास लगभग 11 लाख रु० की लागत की योजनाएं ह, आन्ध्र के पास 21.83 लाख रु० की लागत की योजनाएं , राजस्थान के पास लगभग 20 लाख रु० की लागत की योजनाएं हैं और मध्यप्रदेश के पास 45.27 लाख रु० की लागत की योजनाएं हैं। अन्य राज्यों से उत्तर अभी नहीं आये हैं और उनकी प्रतीक्षा है।

श्री लिंग रेड्डी : माननीय उपमंत्री ने यह नहीं बताया है कि उनपर क्या कार्यवाही की गई।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : विवरण में यह दिया गया है कि विभिन्न राज्य सरकारों को कितना पैसा मंजूर किया गया है।

Shri Ram Sewak Yadav : May I know whether Government have formulated a scheme to solve the problem of water, especially that of drinking water if so, the amount involved therein?

Mr. Deputy Speaker : It is given in the statement.

Dr. Sushila Nayar : This question relates not to the general problem but to the present situation which has been created by the scarcity. It is estimated that 600 crores of rupees will be required to meet the scarcity in rural areas.

Shri Onkar Lal Berwa : May I know whether the total sum of Rs. 80,000 sanctioned for the desert area of Rajasthan has been spent, if not the reasons therefor?

Dr. Sushila Nayar: This information I do not have at present, but I presume Rajasthan Government might have utilised that money.

Shri Sheo Narain : May I know whether the hon. Minister has advised the U. P. Government to supply water to the rural population from its own tubewells at least?

Dr. Sushila Nayar : That advice has been given to U. P. Government but the name of U. P. does not come in the drought affected states.

Shrimati Jobraben Chavda : May I know whether Government of Gujarat has requested for any grant for making provision of water in those villages whose population is more than one thousand and where drinking water is not available, if so the amount thereof ?

Dr. Sushila Nayar : Scarcity of water is felt in some two thousand villages of Gujarat. According to Gujarat Government this problem is more acute in 271 villages and she has asked for 27 lakhs of rupees and some money is being given.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार जानती है कि न केवल इन योजनाओं की क्रियान्विति में ही अपितु इनको बनाने में भी अत्यधिक दर लगाई जाती है, यदि हां तो क्या सरकार इनकी क्रियान्विति और इनके बनाये जाने के संबंध में कोई लक्ष्य रखना चाहती है ?

डा० सुशीला नायर : जहां तक सूखे की इस कडी स्थिति का संबंध है राज्य सरकारें अपनी योजनाओं को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए सभी संभव कार्य कर रही हैं। जहां तक कमी वाले क्षेत्रों के सामान्य प्रश्न का संबंध है योजनाओं में विलम्ब के कारण भारत सरकारने शत-प्रतिशत लागत पर विशेष अनुसन्धान प्रमाण मंजूर किये। वे कुछ समय से काम कर रहे हैं।

श्री तुलसी दास जाधव : महाराष्ट्र सरकारने पीने के पानी के कुओं के लिये कितनी राशि मांगी है और केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

डा० सुशीला नायर : महाराष्ट्र सरकारने 45 लाख रु० की राशि मांगी है।

संयुक्त राज्य अमेरीका के साथ जोखिम प्रत्याभुति करार

+

*331. **श्री मधु लिमये** :
श्री किशन पटनायक :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका के साथ एक नया जोखिम प्रत्याभूति करार कर लिया है अथवा ऐसा करार करने का उसका विचार है;

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या है ; और

(ग) पिछले करारों की शर्तों की तुलना में ये शर्तें कैसी हैं?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी हां। पत्रों के आदान-प्रदान द्वारा एक नये जोखिम प्रत्याभूति करार (रिस्क गारंटी एग्रिमेण्ट) पर हस्ताक्षर किये गये है।

(ख) और (ग) : एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत निर्देशों के उपयुक्त मामलों में, सरकार इस शर्त पर विस्तृत जोखिम गारण्टियां देने के लिए सहमत हो गयी है कि जो दायित्व भारत सरकार ने पहले के अर्थात् 19 सितम्बर, 1957 और 17 दिसम्बर, 1959 के पत्रों के अनुसार अपने उपर लिये हैं वे कायम रहेंगे। ये दायित्व इस प्रकार हैं :—

(1) यदि संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार, किसी व्यक्ति को, अपरिवर्त्यता (इनकन-वर्टिबिलिटी) सम्बधी गारण्टी के आधार पर, अमरीकी डालरों अदायगी करे, तो भारत सरकार, संयुक्त राज्य अमेरिका को, उस परिसम्पत्ति, मुद्रा (करेंसी), ऋणों अथवा दूसरी ऐसी सम्पत्ति में निहित उस व्यक्ति के किसी ऐसे अधिकार, स्वामित्व अधिकार या हित के अन्तरण को, जिसके आधार पर इस प्रकार की अदायगी की गयी थी, और उसके सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी ऐसे व्यक्ति के दावे या वाद के कारण की गयी कार्रवाई या अधिकार के सम्बन्ध में उस सरकार के प्रतिस्थापन (सब्रोगेशन) को मान्यता देगी।

(2) संयुक्त राज्य अमेरीका की सरकार द्वारा रुपयों में प्राप्त रकमों के सम्बन्ध में उसी प्रकार का अनुकूल व्यवहार किया जायगा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों के लेनदेन से प्राप्त निजी रकमों के सम्बन्ध में किया जाता है।

(3) सम्पत्तिहरण के कारण, हानि होने पर, यदि संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार किसी रकम की अदायगी करेगी, तो भारत सरकार, इस बात से सहमत होगी कि उसके विरुद्ध हर ऐसे दावे के बारे में, जिसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार को प्रतिस्थापित (सब्रोगेट) किया जा सकता हो, दोनों सरकारों के बीच वह दावा सीधी बातचीत का विषय बनाया जा सकेगा और यदि उचित समय में समझौता न हुआ, तो मामले को पंचफैसले के लिए सौंपा जा सकेगा।

वर्तमान करार के अन्तगत पहले के दो करारों की अपेक्षा अधिक जोखिमें आती है । सितम्बर 1957 के करार का सम्बन्ध अपरिवर्त्यता सम्बन्धी जोखिमों (रिस्क्स आफ इनकन्वर्टिबिलिटी) से और दिसम्बर 1959 के करार का सम्बन्ध सम्पत्तिहरण सम्बन्धी जोखिमों (रिस्क्स आफ एक्स्प्रोप्रियेशन) से है । वर्तमान करार में व्यापारिक जोखिमें भी आ जाती हैं । किन्तु इस करार से भारत सरकार पर उन दायित्वों के अतिरिक्त और कोई दायित्व नहीं आता जो पहले दो करारों के अन्तर्गत भारत सरकार ने ग्रहण किये थे, पर अपवाद यह है कि उन हानियों के सम्बन्ध में, जिनका कारण भारत सरकार के कार्यों पर आरोपित किया जा सके और जिनके बारे में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार दायित्व का प्रश्न पैदा हो जाता हो, अतिरिक्त प्रकार की गारंटियों के सम्बन्ध में दोनों सरकारों के बीच बातचीत और पंचफैसले की प्रणाली लागू की जायगी । जिन पत्रों का आदान-प्रदान किया गया है उन सब की प्रतियां 24-2-1966 को सभा की मेज़ पर रखी गई थी ।

Shri Madhu Limaye : It has been stated in the written statement that Government has agreed to issue, in appropriate cases approved by Government of India, ...I would like to know the sectors which are considered appropriate for investment by Government for which this agreement has been signed. The hon. Minister should furnish a statement of those sectors.

श्री शचीन्द्र चौधरी : करार की शर्तें पत्रों में दी गई हैं तथा उनकी प्रतियां पहले ही सभा-पटल पर रखी जा चुकी हैं ।

Shri Madhu Limaye : I have not asked this. I want to have a statement of those cases which are considered appropriate by Government for investment.

श्री शचीन्द्र चौधरी : हम चाहते थे कि हमारे देश में पूंजी लगाई जाय । जैसा कि माननीय सदस्य ने देखा है कि इस अन्तिम करार पर फरवरी 1966 में हस्ताक्षर किये गये थे, परन्तु पहले करार पर 1957 में हस्ताक्षर किये गये थे । समय समय पर यह अनुभव किया जाता रहा था कि विदेशी मुद्रा का विनियोजन और विशेषत: अमरीकन मुद्राका विनियोजन देश के हितों में उपयोगी है तथा अमरीका के पूंजी विनियोजकों को पूंजी विनियोजन में प्रोत्साहन देने के लिये यह करार किया गया है और यदि माननीय सदस्य इस देश में पूंजी विनियोजन संबंधी सूची चाहते हैं तो मुझे इस के लिये पूर्वसूचना चाहिये ।

Mr. Deputy Speaker : What is the second question the hon. Member wants to put?

Shri Madhu Limaye : My first question has not been answered. I wanted to know the sectors which were considered appropriate for investment by Government. I want a list of those industries.

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर विचार करना सरकार का काम है । उन्हें इसके लिये पूर्व-सूचना चाहिये ।

Shri Madhu Limaye : An agreement has been signed and Government have considered this matter. I want to know the industries for which foreign investment is considered appropriate by Government. Do Government consider it appropriate that foreign capital may be invested in textile industry?

उपाध्यक्ष महोदय : इसे सभा-पटल पर रखा जाये ।

श्री शचीन्द्र चौधरी : जैसा कि मैंने सभा को और विशेषत: माननीय सदस्य को बताया है कि यदि उन्हें विस्तृत ब्यौरा चाहिये तो मुझे विनियोजन संबंधी सूची देने के लिये थोड़े समय की आवश्यकता है ।

श्री रामसेवक यादव : उन उद्योगों की सूची चाहिये, जिनमें आप पूंजी विनियोजन चाहते है।

श्री शचीन्द्र चौधरी : विनियोजन की सूची में उद्योगों की सूची भी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे सभा-पटल पर रखा जाय।

Shri Madhu Limaye : It has been stated in the statement that the present agreement covers a wider range of risks than the earlier two agreements. The statement further says that the present agreement covers business risks also. I would like to know those details of this wide guarantee, which have not been given in the statement.

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें समय चाहिये।

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं ने कहा है कि इस का विस्तृत ब्यौरा देने के लिये मुझे समय चाहिये परन्तु जहां तक समूची स्थिति का संबंध है वह विभिन्न पत्रों में दी हुई है।

Shri Madhu Limaye : My request is that it may be taken up next week when the hon. Minister comes prepared.

उपाध्यक्ष महोदय : वह बाद में आपको इस के बारे में बतायेंगे।

Shri Madhu Limaye : It will not be possible to fix the date in this way.

Shri Kishen Pattnayak : Have Government obtained information whether such agreements are signed by other countries also where American capital is invested and whether it is a fact that a new clause has been added in the new agreement to cover the risks due to internal disturbances in addition to those which were included in the first agreement?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जहां तक अन्य देशों का संबंध है यह अमरीका के लोगों पर निर्भर है कि जहां वह पूंजी लगाये वहां कुछ देशों में ऐसे आश्वासन प्राप्त करें, परन्तु मैं नहीं कह सकता कि दूसरे देशों से आश्वासन प्राप्त करने के बारे में अमरीका वालों की क्या नीति है।

Shri Madhu Limaye : You have not studied this as yet.

श्री शचीन्द्र चौधरी : इस की जानकारी मुझे नहीं होगी क्योंकि यह अमरीका के लोगों का मामला है और इस की जानकारी उन्हें ही होगी।

Shri Kishen Pattnayak : If you do not have this information, why have you become a Minister?

Shri Madhu Limaye : You should have come prepared.

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य उत्तर जानना चाहते हैं। यदि वह मुझ ऐसे टोकते रहे तो उत्तर नहीं मिल सकेंगे।

Shri Madhu Limaye : I rise on a point of order.

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक मैं माननीय सदस्यों को न बताऊं उन्हें नहीं बोलना चाहिये। माननीय मंत्री श्री किशन पटनायक के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तथा श्री मधु लिमये को कार्यवाही में बाधा डालने का कोई अधिकार नहीं है।

Shri Madhu Limaye : Kindly allow me to raise a point of order

Mr. Deputy Speaker : There is no point of order.

श्री शचीन्द्र चौधरी : जहां तक अमरीकियों का संबंध है यह उन का अपना मामला है। मैंने पहले ही कहा है कि पत्र सभा के समक्ष है और यदि माननीय सदस्य पत्रों को पढ़ें तो वह समझ जायगे कि क्या प्रत्याभूति दी गई है।

Shri Onkar Lal Berwa : I would like to know the amount of foreign exchange for which this agreement has been signed and whether any other countries except America have also demanded that such agreements should be signed?

श्री शचीन्द्र चौधरी : यह करार अमरीका सरकार के साथ हुआ है। इस से अन्य सरकारों का कोई संबंध नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वक्तव्य के अनुसार नये करार में व्यापार जोखिम भी शामिल है। इस बात को देखते हुये कि पहले करारों में अपरिवर्तता के विरुद्ध प्रतिभूतियां दी हुई हैं, लाभों के विप्रषण को अनुमति दी गई है इत्यादि में जानना चाहता हूं कि इस करार में और किन अतिरिक्त जोखिमों की प्रत्याभूति दी गई है?

श्री शचीन्द्र चौधरी : युद्ध जोखिम।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस पर युद्ध के काफी समय बाद हस्ताक्षर हुये हैं।

श्री शचीन्द्र चौधरी : यह ठीक है, परन्तु इस में युद्ध जोखिम शामिल है, गन युद्ध के संबंध में नहीं, अपितु यदि कोई युद्ध हो जाये तो उस के संबंध में।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ। अब हम अल्प सूचना प्रश्न लेंगे।

(प्रश्न काल समाप्त हुआ/*Question Hour Over*)

Withdrawal of Forces under the Tashkent Agreement

\+

S.N.Q. No. 3. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Hem Barua :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Bade :
Shri Yudhvir Singh :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Onkar Singh :
Shri Ajit Pratap Singh :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the withdrawal of forces by both the countries by the 25th February, 1966 under the Tashkent Agreement has since been completed;

(b) whether there are any such places in any part which are considered disputed, and as such, the withdrawal of forces from those places has not been completed;

(c) if so, the names of the places and the area covered by them; and

(d) whether thousands of infiltrators who had illegally entered into Jammu and Kashmir State have returned or some of them are still there?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) A very large number of infiltrators have been killed in action; a large number have expatriated and several have been captured. However, odd infiltrators still being there cannot be ruled out.

Shri Madhu Limaye : I would like to know the figures.

Shri Prakash Vir Shastri : It is clearly evident from the way in which the talks between the Ministers of India and Pakistan have ended in Rawalpindi on yesterday night, as to what extent Pakistan is honouring the spirit of Tashkent agreement. May I know whether the Ministry of Defence are still considering to reduce the number of armed forces to the extent of 1948, or whether they have changed their idea regarding this reduction, keeping in view Pakistan's attitude?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस करार के संबंध में सरकार का रवैया स्पष्ट कर दिया गया है, क्यों हम चाहे जो संख्या रखने को सहमत हो जाये, हम सदा इस बात का ध्यान रखेंग कि हम काश्मीर सीमा की रक्षा करने की स्थिति में हैं। इस बात को सदा ध्यान में रखा जायगा। इस विशेष मामले के संबंध में मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि हमारे दृष्टिकोण में कोई परिवतन नहीं आया है।

Shri Prakash Vir Shastri : I would like to know whether the same agency is investigating the presence of infiltrators in Jammu and Kashmir who are still there, by whose negligence they were able to enter Jammu and Kashmir and whether any special improvement has been made in this regard? If any special arrangements have been made, whether arrangements have been made in regard to infiltrators who have come in place of those expatriated to Pakistan during hostilities?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : गत अनुभव के बाद कुछ सुधार किये गये है। भविष्य में भी हम यह सुधार अवश्य करते रहेंगे। यह कहना संभव नहीं है कि हम एसी स्थिति में पहुंच गये है कि हमार सुधार पूरे हो गये हैं। हमें इस संबंध में स र्क रहना है। परन्तु म सभा को विश्वास दिलाता हूं कि हम इस स्थिति के बारे में जागरूक हैं तथा इस संबंध में नये कदम उठाने के बारे में विचार कर रहे हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The hon. Minister has stated in his statement that some infiltrators have been killed and some have expatriated, I would like to know the number of those who have expatriated and the number those still present there. May I know whether in the talks held with Pakistan Government have drawn the attention of Pakistani authorities to the huge damage done by Pakistanis to Hindu temple, Sikh Gurdwaras and other houses in those areas which were occupied by them during the recent conflict, before vacating them?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस की विस्तृत चर्चा के बारे में मुझे अपने माननीय सहयोगियों से जो अभी वापस आय है, जानकारी प्राप्त करनी होगी। परन्तु ानस्संदेह संघर्ष के दौरान जिन क्षत्रों पर अधिकार किया गया था, वहां की असानक सम्पत्ति अधिकतर नष्ट भ्रष्ट कर दी गई है। परन्तु यह बताने के लिये मेरे पास इस समय कोई विशष सूचना नहीं है कि मन्दिरों तथा गरुद्वारों

को हानि पहुंचाई गई है अथवा नहीं। इस समय वक्तव्य देने के लिये मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। परन्तु निस्संदेह मैं इस बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा और यदि कोई ऐसी सूचना हुई जिसे बताना आवश्यक समझा गया तो माननीय सदस्यों को अवश्य सूचना दी जायेगी।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Figures have not been told.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : संख्या के बारे में आंकड़े बताना संभव नहीं है।

Dr. Ram Manohar Lohia : The Pakistan soldiers have withdrawn from Chhamb-Jaurian Sector. I would like to know whether the present strength of Indian soldiers is more or less than it was at that time when this area was captured by Pakistani forces? I am not asking about numbers.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह फिर एक ऐसी बात है जिस के बारे में सूचना देने से सुरक्षा उपायों पर प्रभाव पड़ेगा (**अन्तर्बाधायें**)। मुझे अपना वक्तव्य पूरा कर लेने दीजिये। वापसी की योजना के अनुसार हम हर स्थान पर अपनी फौजें वापस नहीं भेज रहे हैं। सामान्यतः असैनिक प्रशासन स्थापित किया जायेगा, सीमा सुरक्षा दल भेजा जायेगा तथा पुलिस प्रशासन संभालेगी। मैं केवल यह कह सकता हूं कि यदि छम्ब, जोरियां क्षेत्र को कोई खतरा हुआ, तो हम हर कार्यवाही करेंगे तथा हम अब भी ऐसे खतरे से इस क्षेत्र की रक्षा करने के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

Dr. Ram Manohar Lohia : Sir, again I want to rise on a point of order.

Mr. Deputy Speaker : There is no point of order.

Dr. Ram Manohar Lohia : There is a point of order, because a question is asked to elicit information.

उपाध्यक्ष महोदय : शांति, शांति, श्री हेम बरुआ।

Dr. Ram Manohar Lohia : I am rising on a point of order under rule 41.

उपाध्यक्ष महोदय : शांति, शांति, कौन से नियम का उल्लंघन किया गया है? कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

Dr. Ram Manohar Lohia: Questions are asked from the Ministers to elicit information under rule 41. The Minister state here their future programme and as such no information is given about present.

Mr. Deputy Speaker : Under which sub-rule? The rule contains 12 sub-sections.

Shri Kishen Pattnayak : Under 1 and 2.

Dr. Ram Manohar Lohia : I quote the words.

The rule says :

"41(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, लोक-महत्व के किसी ऐसे विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रश्न पूछा जा सकेगा जो उस मंत्री के विशेष संज्ञान में हो जिसे वह सम्बोधित किया गया हो"

This is the rule. I have asked the question from the hon. Minister to elicit information about present. He has not replied that question. He is talking about future schemes that this will be done or that will be done. My specific question is whether the present strength of Indian soldiers is more or less than it was at that time when this area was captured by Pakistani soliders. I am not asking about numbers.

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 41(2)(i) इस प्रकार है कि :

"उस में कोई ऐसा नाम या कथन नहीं होगा जो प्रश्न को सुबोध बनाने के लिये सर्वथा आवश्यक न हो"

आप ऐसे कार्यवाही में बाधा नहीं डाल सकते, श्री हेम बरुआ।

श्री हेम बरूआ : हमारी सेना ने 1949 की युद्ध-बन्दी रेखा पर तिथवाल, हाजीपीर और दूसरे क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य जम्मू और कश्मीर राज्य में पाकिस्तानी सशस्त्र सेना के बलात् प्रवेश को रोकने के लिये किया था। अब चूंकि पाकिस्तान ने जान बूझ कर, सुव्यवस्थित रूप से और लगातार पाकिस्तानी सशस्त्र सेना के राज्य में बलाह प्रवेश किये जाने की ज़िम्मेदारी स्वीकार करने से इनकार किया है और ताशकन्द घोषणा से भी भविष्य में पाकिस्तानी सशस्त्र सेना द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य में बलात् प्रवेश न किये जाने की कोई गारंटी नहीं है, क्या मंत्री महोदय स्पष्ट रूप से बतायेंगे कि सरकार ने किन तथ्यों पर भरोसा करते हुये हमारी सेना को 1949 वाली युद्धबन्दी रेखा के सामरिक महत्व के क्षेत्रों से हटाया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह तो पुनः ताशकन्द घोषणा के पक्ष और विपक्ष के तर्कों में जाने वाली बात है। जैसा कि मैंने कहा है यह एक राजनीतिक निर्णय है जो ताशकन्द घोषणा में निहित आश्वासनों और गारंटियों पर आधारित है। इसके बावजूद कुछ सामरिक तथ्यों का भी ध्यान रखना पड़ता है। मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इन राजनीतिक निर्णय की रूपरेखा के अधीन रहते हुये, हम इन क्षेत्रों में और अधिक बलात् प्रवेश न किये जाने की गारंटी की दिशा में भी आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

Shri Ram Sewak Yadav : Have we since recovered every inch of the Pakistan-occupied territory on the Rajasthan border, specially the sixteen posts which had been occupied by them? Secondly, do you also propose to take back those residents of these areas who were living there before occupation by Pakistan but had entered Pakistan later.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह दूसरी बात है क्योंकि मेरे पास यहां आने वाले लोगों के बारे में कोई विस्तृत ब्यौरा नहीं है। हम उन सब क्षेत्रों में वापस पहुंच गये हैं जो उन्होंने खाली कर दिये हैं।

Shri Yudhvir Singh : It is in the papers today that the matter regarding India's not yet vacating two villages in the Sialkot sector was raised at the Foreign Minister's talks at Rawalpindi. It is a fact?

Is there any dispute regarding any areas on the whole border from Jaisalmer to Kargil owing to which the Indian and Pakistani forces are not withdrawing yet? Is it a fact that the forces will withdraw only after settling of any such dispute or is Pakistan making excuses?

Shri Prakash Vir Shashtri : Pakistan only makes excuses when she is occupying certain areas of ours.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वास्तव में मुझे ठीक ठीक पता नहीं है। मुझे अभी अपने साथी द्वारा रावलपिंडी में की गई बात-चीत के बारे में जानकारी करनी है। मैं उस बात-चीत की तफ़सील और तात्पर्य जाने बिना सभा में कोई वक्तव्य नहीं दे सकता। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर का संबंध है, उस का उत्तर तो उत्तर के अन्तर्गत ही आ जाता है। इस समय ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां उनकी सेना किसी झगड़े के कारण अभी रूकी हुई हो और न हमारी सेना ही इस प्रकार कहीं रूकी हुई है।

Shri Onkar Lal Berwa : I am surprised to learn that the Pakistani forces have withdrawn from whatever places they had been occupying. I have today's paper with me. A similar question was asked in the Rajasthan Vidhan Sabha and the answer was that they had not withdrawn from posts in that state. It is mentioned in this paper that even in the lobbies of Parliament it is being discussed that the Pakistanis have not vacated the posts. Is it a fact and has the honourable Minister also received any such information?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने यह वक्तव्य दिया है कि वे अब सब क्षेत्रों से हट गये हैं।

Shri Onkar Singh : How many posts in Rajasthan and Jammu and Kashmir are under dispute under the Tashkent Declaration?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वास्तव में सेना के वापस चले जाने का संकेत उस क्षेत्रों की ओर है जो अभी हाल के भारत-पाकिस्तान संघर्ष में पाकिस्तानियों ने अपने क़ब्ज़े में ले लिये थे। मेरे यह सब वक्तव्य उन्हीं क्षेत्रों तथा चौकियों के बारे में हैं। इस समय व इन चौकियों में कहीं भी नहीं हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या इस समझौते के अन्तर्गत हम अपनी सुरक्षा सेना जम्मू और कश्मीर में युद्ध-बन्दी रेखा तक यानी "उरी-पूंच बल्ज" तक जहां से घुसपैठिये खासतौर पर अन्दर प्रवेश करते थे, रख सकते हैं या कुछ स्थान छोड़ना होगा जहां केवल असैनिक प्रशासन ही चल सकता है? यदि हां, तो क्या सरकार संतुष्ट है कि "उरी-पूंज बल्ज" क्षेत्र में पुनः घुसपैठियों के प्रवेश करने को रोकने के लिये सावधानी बर्ती जा रही ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक समझौते का प्रश्न है, वह मैं ने सभा-पटल पर रख दिया है। मैं निजी रूप से इस समझौते पर अपना विर्वचन न देने की जोखिम नहीं उठा सकता क्योंकि वह एक पक्षीय निर्वचन होगा और केवल हमारे ऊपर न कि दूसरे पक्ष पर अनावश्यक रूप से बध्यकारी होगा। यह समझौता सभा-पटल पर रख दिया गया है और माननीय सदस्य उसे पढ़ सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं निर्वचन नहीं चाहता मैं समझौते के बारे में केवल तथ्य जानना चाहता हूं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : तथ्य समझौते में हैं। माननीय सदस्य इस विशेष समझौते को देख सकते हैं।

श्री शिकरे : वह यह जानना चाहते है कि क्या कोई विसैन्यीकृत क्षेत्र भी है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य समझौते के उस विशेष भाग को देखें। उनका मुख्य प्रश्न यह था कि क्या हम उन क्षेत्रों की देख भाल करने की स्थिति में हैं या नहीं। मैं ने उस सम्बन्ध में आश्वासन भी दिया है। हम उस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री नाथ पाई : अल्प-सूचना प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि बहुत से घुसपैठियों का प्रत्यावर्तन कर दिया गया है । उन्हों ने देशनिकाला (expatriated) शब्द प्रयोग किया था परन्तु मैं समझता हूं कि उनका मतलब देश-प्रत्यावर्तन (repatriated) से था । उन्होंने संख्या नहीं बताई है। मैं संख्या जानना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि घुसपैठियों की क्या हैसियत है ? क्या युद्ध-बंदियों की भांति उनकी भी कोई वैध हैसियत है ? यह गोलमाल क्यों चल रहा है न हमारे कानून के और न अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून के अन्तर्गत घुसपैठिये की कोई अधिकारिता है। प्रत्यावर्तन केवल युद्ध बन्धियों पर लागू होता है। अतः मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि दो प्रश्न उठते हैं। क्या पाकिस्तानियों ने घुसपैठियों के सम्बन्ध में को कोई जिम्मेदारी ली है ? जहां तक हमें पता है उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। दूसरे, हम ने घुसपैठियों को युद्ध-बन्दियों की हैसियत क्यों दी है ? हम यह जानना चाहते हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : तथ्य यह है कि कुछ घुसपैठियों को क़ैदी बना दिया गया था और वे पाकिस्तान को लौटाये गये थे। पाकिस्तान ने उन्हें बन्दियों के रूप में ही स्वीकार किया है। व्यावहारिक रूप में उन्होंने ज़िम्मेदारी स्वीकार कर ली है।

श्री नाथ पाई : संख्या क्या थी ?

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह तथ्य है कि पाकिस्तान ने जिन हमारे सैनिकों को बन्दि बनाया था और जिन्हें अब ताशक़न्द समझौते के अंतर्गत पंजाब-पश्चिमी पाकिस्तान सीमा पर हुसैनवाला में लौटाया है उनमें हमारे कुछ जवान मृत लौटाये गये थे ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई पूछ-ताछ यह जानने के लिये की गई है कि क्या यह बहादुर सिपाही पाकिस्तानी शिबिरों में पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार और अमानुषिक व्यवहार तथा यंत्रणा के कारण मर गये थे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये कुछ समय चाहिय क्योंकि बन्दियों का विनिमय एक समय पर और एक स्थान पर नहीं होता ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं हुसैनवाला के बारे में कह रहा था।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हुसैनवाला में भी यह कई बार हुआ है । अतः इस प्रश्न का उत्तर देने के लिय मुझे समय चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री का ध्यान सब ही प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिस में कहा गया है कि खमकरण क्षत्र को खाली करने के समय पाकिस्तानी सनिकों ने क़रीब क़रीब पूरे क्षेत्र को विध्वंस कर दिया था ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में पाकिस्तान से मुआवज़ा लिये जाने के लिये कोई बात की गई है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वास्तव में बात यह है कि अधिकतर खाली किये गय क्षत्र, ग्राम और क़स्ब बरबाद किये हुय मिले हैं । हमें अवश्य ही इस मामले में आग कायवाही करने के सम्बन्ध में विचार करना होगा।

श्री नी० श्रीकान्तन् नायर : क्या सरकार का ध्यान प्रमुख समाचार पत्रों में निकले हुय विवरण की ओर गया है जिसमें कहा गया है कि बातचीत आग इस कारण नहीं चल सकी कि पाकिस्तान के अन्दर लोगों ने विरोध प्रकट किया था ? क्या यह सत्य है कि तथाकथत ताशकन्द भावना

का जिसके बारे में मंत्री देश के कौने कौने में चर्चा कर रहे हैं पाकिस्तान पालन नहीं कर रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बात पर ध्यान देगी कि भारतीय राष्ट्र जनता के हितों को ताशकन्द भावना के प्रति बहुत अधिक प्रेम रखने के कारण हानि न पहुंचे।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस प्रश्न का उत्तर मुझ से संबंधित नहीं है।

श्री नी० श्रीकान्तन् नायर : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या देश के हितों की रक्षा की जायेगी ? मैं कोई प्रतिरक्षा संबंधी भेद नहीं पूछ रहा।

श्री शिंकरे : माननीय प्रधान मंत्री यहां उपस्थित हैं। वह उत्तर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री श्यामलाल सर्राफ़।

श्री श्यामलाल सर्राफ़ : चूंकि पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर में मौजूद घुसपैठियों की ज़िम्मेदारी स्वीकार नहीं की है, क्या वर्तमान ताशकन्द भावना के संदर्भ में इस मामले पर पाकिस्तान से कोई बात-चीत की जा रही है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : आरम्भ से ही हमारा यह दृष्टिकोण रहा है कि घुसपैठियों के बारे में पाकिस्तान सरकार ही जिम्मेदार है क्योंकि उन्हें पाकिस्तान सरकार अथवा सेना ने ही संगठित किया था। इस संबंध में कोई संदेह नहीं है।

श्री त्यागी : वे अपराधी हैं। उनका अभियोजन किया जाना चाहिये।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : जब पाकिस्तान सरकार ने इन घसपैठियों के बारे में कभी भी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की तो किन कारणों से सरकार को इन कैद किये हुये बन्दियों को लौटाना पड़ा। क्या सरकार की कैद में और घुसपैठिये हैं ? इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस समय हमारे पास कोई भी घुसपैठिया नहीं है। हमने सब कैदियों का विनिमय कर दिया है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : जब यह मामला ताशकन्द घोषणा के अन्तर्गत नहीं आता और पाकिस्तान घुसपैठियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी मानने को तैयार नहीं तो सरकार ने किन कारणों से घुसपैठियों को लौटाया था ? उत्तर अभी नहीं मिला है। उत्तर अवश्य मिलना चाहिये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने कहा है कि ताशकन्द समझौते के अन्तर्गत यह सामान्य समझौता हुआ था कि सब बन्दियों का विनिमय किया जायेगा। इन में घुसपैठिये भी शामिल थ। यदि वे घुसपैठियों को घुसपैठिये मान कर वापस ले लें तो व्यावहारिक रूप से उनकी जिम्मेदारी हो गई।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : प्रतिरक्षा मंत्री के इस वक्तव्य पर कि पाकिस्तान द्वारा अधिकार में किये गये क्षेत्रों को भारतीय सेना ने पुन: वापस ले लिया है, मैं पूछना चाहती हूं कि क्या कोई शहरी लोग वहां उस समय रह गये थे जब वह क्षेत्र पाकिस्तान के अधिकार में थे और क्या वहां मस्तिष्क परिवर्तन (ब्रेन-वाशिंग) किये जाने के प्रमाण मिले हैं ? क्या ऐसी सावधानी बर्ती जा रही है जिससे कि कोई अवांछनीय घटना न हो ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर हम अब कार्यवाही करेंगे। वास्तव में अब ऐसा समय आया है जब हम पूरे ब्यौरे पर विचार कर सकते हैं और अधिक तथ्य प्राप्त कर सकते हैं। मेरा विचार है कि अभी हमें और अधिक प्रतीक्षा करनी होगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

जीवन बीमा निगम द्वारा सामान्य बीमा कारोबार को अपने हाथ में लेना

***332. श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने सामान्य बीमा कारोबार को अपने हाथ में लेने का कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) भारत के जीवन बीमा निगम ने 1 अप्रैल 1964 से दूसरे बीमा करने वालों के मुकाबले में सामान्य बीमा कारोबार करना शुरू किया। निगम ने 1 जनवरी 1966 से सामान्य बीमा कारोबार को अपने हाथ में लिया जो पहले भारतीय बीमा समूह (इण्डियन इन्स्योरैन्स पूल) द्वारा किया जाता था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों से आय-कर तथा उत्पादन-शुल्क की वसूली

***333. श्री महेश्वर नायक :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री सं० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री कर्णी सिंहजी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आसामकाल से प्रभावित सीमावर्ती राज्यों के प्राधिकारियों को निदेश दिया है कि वे सीमावर्ती क्षेत्रों के उन लोगों से कोई जुर्माना वसूल न करें, जिन्होंने आय कर नहीं दिया है;

(ख) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने यह भी निर्णय किया है कि उत्पादन-शुल्क की वसूली अभी न की जाय; और

(ग) यदि हां, तो ये आदेश कब तक लागू रहेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां। बोर्ड ने हिदायतें जारी की थी कि जम्मू व काश्मीर, पंजाब, गुजरात तथा राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में निर्धारितियों से, जिनको शत्रु की कार्रवाई के कारण हानि हुई है, कर की वसूली के लिये कोई सख्त कार्रवाई न की जाय और अदायगी नहीं कर पाने की हालत में उनपर कोई जुर्माना भी नहीं किया जाय।

(ख) जी, हां। अमृतसर, लुधियाना, जलंधर, फिरोजपुर, गुरदासपुर और कपूरथला के 6 युद्ध प्रभावित जिलों में निर्माताओं से, तम्बाकू को छोड़कर, बाकी सभी चीजों पर, जिनका निकास उनके अपने इस्तेमाल के लिये किया गया हो केन्द्रीय उत्पादन शुल्क को उगाही स्थगित कर देने के आदेश भी जारी किये गये थे।

(ग) ये आदेश, जो नवम्बर 1965 में जारी किये गये थे फरवरी, 1966 के अंत तक लागू रहे।

स्वर्णकारों को रोजगार दिलाना

*335. **श्री कर्णी सिंहजी :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री हेम बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वर्ण नियंत्रण आदेशों के कारण इस समय 2 लाख से अधिक स्वर्णकार बेरोजगार हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक राज्य में प्रमाणपत्र देने तथा रोजगार दिलाने के सम्बन्ध में, पृथक-पृथक, कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) अनुमानतः कितनी अवधि में स्वर्णकारों को रोजगार दिला दिया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) पुनर्वास की योजना में, शिक्षा सम्बन्धी सहायता, तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधाएं, दूसरे काम धंधे के लिये प्राथमिकता, खेती के काम में बसने के लिये जमीन देने तथा उद्योग में बसने के लिये ऋण देने अथवा अन्य उपयोगी काम धन्धों में लगाने की व्यवस्था है। प्रत्येक राज्य में प्रमाण-पत्र देने और पुनर्वास के काम की प्रगति का विवरण-पत्र सदन की मेज पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5667/66।]**

(ग) पुनर्वास सहायता के लिये प्रार्थनापत्र देने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 1966 निश्चित की गयी है। उस तारीख को राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के पास विचाराधीन प्रार्थना-पत्रों का, उस तारीख के बाद, यथासंभव शीघ्र निकाल कर दिया जायेगा।

नगर प्रतिकर तथा मकान किराया भत्तों के प्रयोजनार्थ नगरों की वर्गोन्नति

*336. **श्री स० मो० बनर्जी :**

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को नगर प्रतिकर तथा मकान किराया भत्ता देने के प्रयोजनार्थ सरकार ने कुछ नगरों को वर्गोन्नत करने के सम्बन्ध में निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन नगरों के क्या नाम हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) और (ख) : जिन नगरों की आबादी 50,000 या इससे अधिक, लेकिन 1 लाख से कम है, उन्हें भी 1, जुलाई 1965 से "ग" श्रणी के नगरों में शामिल कर दिया गया है। इससे पहले भी दो और नगरों का दर्जा बढ़ाया गया था, अर्थात चंडीगढ़ को 1 सितम्बर, 1964 से "ग" श्रेणी में और पूना को 1 दिसम्बर, 1964 से "ख-2" श्रेणी की जगह "ख-1" श्रेणी में रख दिया गया था।

औद्योगिक सम्बन्ध

*337. **श्रीमती बिमला देवी :**

डा० रानेन सेन :

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के औद्योगिक सम्बन्धों से सम्बन्धित श्रम तालिका "लेबर पैनेल" के एक अध्ययन दल ने यह बात तय करने के लिये कि कौन-कौन से कर्मचारी संघ से कर्मचारियों का वास्तविक प्रतिनिधित्व करते हैं; कर्मचारियों द्वारा शलाका पद्धति अपनाये जाने का समर्थन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) यह अध्ययन दल के सुझावों में से एक है।

(ख) श्रम संबंधी पैनल द्वारा गठित विभिन्न अध्ययन दलों द्वारा जो सुझाव दिये गये हैं उन पर कार्यवाही की जा रही है और अन्तिम सिफारिशों के लिये पैनल के सामने प्रस्तुत किये जायेंगे।

आय सम्बन्धी विषमतायें

*338. **श्री दी० चं० शर्मा :**

श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन व्यक्तियों के बीच, जिन के संबंध में वर्ष 1953–54 और 1962–63 के बीच आयकर निर्धारित किया गया है, आय विवरण में हुये परिवर्तनों के अध्ययन से यह पता चलता है कि आय सम्बन्धी विषमताओं में काफी कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो विषमतायें किस सीमा तक दूर हुई हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां। 1953-54 और 1962-63 में आय-कर से प्राप्त राजस्व के आंकड़ों के आधार पर किये गये विश्लेषण से पता चलता है जिन व्यक्तियों को आय-कर देना पड़ता है उन की आमदनी की असमानता में कमी हुई है।

(ख) इस विश्लेषण से पता चलता है कि इस अवधि में, कुल आमदनी में, आयकरदाताओं के नीचे के 70 प्रतिशत व्यक्तियों के हिस्से और बीच के 20 प्रतिशत व्यक्तियों के हिस्से में वद्धि हुई है, जबकि ऊपर के 10 प्रतिशत व्यक्तियों का हिस्सा कम हो गया है। इस सम्बन्ध में सविस्तर विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5668/66**]

अन्तर्राज्य नदी जल विवाद

*339. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री लिंग रेड्डी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राज्य नदी जल विवादों को हल करने के लिये सरकार ने कोई सूत्र (फार्मुला) बनाया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) अन्तर्राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अब तक ऐसे कितने विवाद तय किये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) : अन्तर्राज्यीय नदी विवादों के निपटारे का कोई विशेष फार्मुला नहीं है। अधिनियम में न्याय निर्णय के लिये एक न्याय अधिकरण को स्थापित केवल तब करना परिकल्पित है जब केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि जल विवाद को वार्ता से नहीं निपटाया जा सकता। अभी तक तो वार्ता नीति सफल रही है और ऐसा कोई भी अवसर नहीं आया है जब सरकार को न्यायाधिकरण को स्थापित करने के लिये अधिनियम के अनुसार कार्रवाई करनी पड़ी हो।

कलकत्ता में सीमा/शुल्क तथा आयकर के सम्बन्ध में छापे

*340. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1965 के अन्तिम भाग में सीमा शुल्क तथा आयकर प्राधिकारियों ने कलकत्ता में तीन मकानों पर छापे थे और उन्हें लगभग 45 लाख हुंडियां तथा अन्य काला धन मिला था;

(ख) क्या इस छापे में पकड़े गये कागजों तथा काले धन से उत्पादन शुल्क, आयकर तथा अधिकर के अपवंचन के संबंध में कोई प्रमाण मिला है;

(ग) उन सम्बन्धित व्यक्तियों तथा इमारतों के नाम क्या हैं; और

(घ) जब्त किय गये कागजों तथा की गयी जांच के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) पकड़े गये कागजों की छानबीन हो रही है। अभी ऐसा लगता है कि आयकर और सीमा शुल्क की चोरी की गई है ।

(ग) चूंकि जांच पड़ताल चल रही, तलाशियों से सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम तथा स्थान बताना वांछनीय नहीं होगा ।

(घ) जांच-पड़ताल पूरी होने पर कार्यवाही की जायगी ।

आयात निर्यात नियंत्रण

*341. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने यह सुझाव दिया है कि सरकार को कुछ अत्यावश्यक औद्योगिक कच्चे माल के सम्बन्ध में आयात-निर्यात नियंत्रण हटा लेना चाहिये ताकि रुपये के मूल्य में यथार्थवाद का तत्व शामिल हो जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, नहीं । विश्व बैंक ने भारत सरकार से ऐसी कोई सिफारिश नहीं की ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

वर्ष 1966-67 के लिये विदेशी मुद्रा

*342. **श्री शिवचरण गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966–67 के लिये विदेशी मुद्रा की अनुमानत: कितनी आवश्यकता है; और

(ख) इस आवश्यकता को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) इस सम्बन्ध में अभी विचार हो रहा है ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता । मुझे खेद है कि किसी विशेष अवधि की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्त्ति के लिये किये जाने वाले उपायों को बताना सार्वजनिक हित में न होगा । विदेशी मुद्रा सम्बन्धी हमारी वर्तमान स्थिति में तो यह बताना सार्वजनिक हित के और भी विरुद्ध होगा ।

दामोदर घाटी निगम के क्षेत्रों के बाहर बिजली का दिया जाना

*343. **श्री मुहम्द इलियास** :
डा० रानेन सेन :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों में, जिन्हें अब तक दामोदर घाटी निगम से बिजली दी जाती थी, अब बिजली देने का काम बिहार तथा पश्चिम बंगाल के राज्य बिजली बोर्ड अपने हाथ में ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) तीसरी पंजवर्षीय योजना के लिये बिहार, पश्चिम बंगाल तथा दामोदर घाटी निगम के लिये बिजली योजनाओं मंजूर करते समय इस सम्बन्ध में क्या बात तय हुई थी; और

(घ) इस हस्तान्तरण का दामोदर घाटी निगम की वित्तीय स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) : अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (घ) : दामोदर घाटी निगम पश्चिम बंगाल और बिहार में दामोदर घाटी निगम की वैधानिक सीमाओं से बाहर राज्य सरकारों की आज्ञा से कुछ बिजली उपभोक्ताओं को बिजली सम्भरण कर रहा है। तीसरी योजना के प्रस्तावों के तैयार करते समय राज्य सरकारों ने यह इच्छा प्रकट की कि बिजली उत्पादन और वितरण के मामलों में दामोदर घाटी निगम के घाटी के बाहर के क्रियाकलापों को सीमित कर दिया जाये। दामोदर घाटी निगम तथा पश्चिम बंगाल और बिहार सरकारों के तृतीय योजना प्रस्ताव इस विचार से स्वीकार किये गये थे कि दामोदर घाटी निगम घाटी से बाहर के बिजली उपभोक्ताओं को पहले वायदा की बिजली की सप्लाई जारी रखेगा । बाद में दोनों राज्य सरकारों ने यह इच्छा की कि वे दामोदर घाटी निगम की घाटी से बाहर की बिजली मांगों को अपने उत्पादनों से पूरा करेंगी । दामोदर घाटी निगम और भागीदार सरकारों ने यह मान लिया कि दामोदर घाटी निगम घाटी से बाहर की अपनी सप्लाई को धीरे धीरे चरणित तरीके से वापस ले लेगा । ताकि निगम बिना देरी लगाये इस सप्लाई को घाटी के अन्दर के उपभोक्ताओं में व्यपवर्तित कर सके । इस चरणित कार्यक्रम के कार्यान्वियन से दामोदर घाटी निगम की वित्तीय स्थिति पर कोई उल्लेखनीय कुप्रभाव नहीं पड़ेगा ।

विश्व बैंक से ऋण

***344. श्री पें० वेंकटासुब्बया :**
श्री कृ० चं० पन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश ने पुर्जों तथा कच्चे माल का आयात करने के लिये अपेक्षित धन प्राप्त करने के हेतु विश्व बैंक से बड़ी राशि में बिना शर्त वाला ऋण मांगा है;

(ख) क्या विश्व बैंक से गैर-परियोजना सहायता के तौर पर कोई वित्तीय सहायता मांगी गई है; और

(ग) यदि हां, तो विश्व बैंक की उस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) मार्च, 1965 में भारत सहायता संघ की (जिसका विश्व बैंक सदस्य है) जो बैठक हुई थी, उसमें भारतीय प्रतिनिधियों ने अनिर्बद्ध, यानी गैर-प्रायोजना ऋणों के रूप में सहायता दिये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। कोई गैर-प्रायोजना ऋण नहीं दिया गया ।

(ख) और (ग) : जी, हां। जून 1964 और अगस्त 1965 में अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ने, जो विश्व बैंक की सम्बद्ध संस्था है, ट्रकों और बसों तथा मोटर गाड़ियों के हिस्सों, मशीनी औजारों, कटाई के अवजारों भारी निर्माण-कार्यों सम्बन्धी उपकरणों, बिजली के सामान और निर्माण-कार्यों सम्बन्धी उपकरणों के फालतू पुर्जे बनाने वाली फर्मों के लिये मशीनों के हिस्सों, सामान, संतुलक-उपकरणों (बैलेंसिंग इक्विपमेंट) और फालतू पुर्जों के आयात के लिये धन की व्यवस्था करने के लिये कुल 1900 लाख डालर के दो ऋण दिये।

शांति वन

*345. **डा० महादेव प्रसाद** : क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू के स्मारक से संबंधित शांति वन योजना पूर्ण हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका मोटा ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : शान्तिवन को एक वन के रूप में विकसित करने की योजना है। सामान्य अभिरूप अनुमोदित हो चुका है तथा योजना का विवरण एवं प्राक्कलन अब तैयार किया जा रहा है।

जयपुर में कांग्रेस अधिवेशन (फरवरी, 1966)

*346. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के कुछ मंत्रालयों तथा विभागों ने कांग्रेस दल के हाल के जयपुर अधिवेशन के लिये प्रबन्ध के सम्बन्ध में धन खर्च किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और जितनी जल्दी हो सकेगा. उसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

औद्योगिक उत्पादन के लिए रुपये के रूप में मुद्रा की कमी

*347. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्रं० के० देव :
श्री मलाइछामी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपये के रूप (रुपी फाइनेंस) में मुद्रा की कमी के कारण देश में उद्योग को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि बैंक ऋण भी दुर्लभ होता जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) जी, नहीं। सचाई यह है कि जो उद्योग-धन्धे कच्चे माल के लिए कृषि या विदेशी स्रोतों पर अधिक निर्भर नहीं हैं उनके उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) : हाल ही में ऋणों और अग्रिमों के व्याज की दरें बढायी गयी हैं और (ऋण की) नयी सीमाओं या नये ऋणों के लिए स्वीकृति देने के सम्बन्ध में बैंक आमतौर से नियंत्रण की नीति का अनुसरण कर रहे हैं। पर यह मानने के लिए कोई आधार नहीं है कि अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा रही है। रिजर्व बैंक उद्योग-धन्धों की ऋण-सम्बन्धी आवश्यकताओं की बराबर समीक्षा करता रहता है और यदि किसी समय कोई कार्रवाई करना आवश्यक समझा गया, तो वह अधिक सुविधाएं देने के लिए निसंदेह उपयुक्त कार्रवाई करेगा।

राष्ट्रीय आय

*348. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में कितनी शुद्ध (नेट) वृद्धि हुई है;

(ख) यह निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कम है अथवा अधिक; और

(ग) लक्ष्य प्राप्ति में कमी रहने के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क), (ख) और (ग) : राष्ट्रीय आय के 1965-66 के वर्ष के 'तुरन्त' अनुमान, किसी समय अगस्त-सितम्बर, 1966 में, विभिन्न उद्योगों जैसे कृषि, वन, पशुपालन, कारखाने के प्रतिष्ठानों इत्यादि के बारे में उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध होने पर बनाये जायेंगे।

1964-65 में समाप्त होने वाले चार वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय आय में 4.3 प्रतिशत, प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई।

सिंचाई क्षमता

*349. **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सिंचाई क्षमता के पूर्ण उपयोग करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार ने राज्यों में सिंचाई शुल्क में कोई वृद्धि किये जाने की सिफारिश की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रख. गया। देखिए संख्या एल० टी० 5669/66।]**

विदेशी विनियोजन

*350. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामनाथन चेट्टियार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में देश में विदेशी विनियोजन धीरे-धीरे कम होता गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितना विनियोजन हुआ है;

(ग) चालू योजना अवधि के लिये सरकार का क्या अनुमान है; और

(घ) इतने कम विनियोजन के क्या कारण है तथा स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) देश में तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के अवधि में विदेशी पूंजी के वास्तविक निवेश के पक्के आकड़ों का संकलन अभी नही किया गया। लेकिन, गैर-सरकारी क्षेत्र में विदेशी पूंजी के निवेश के लिय जो मंजूरियां दी गई हैं उनके आंकड़ों से इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता कि इस अवधि में विदेशी पूंजी का निवेश कम हुआ है ?

(ख) केवल 31 दिसम्बर, 1961 तक लगायी गयी कुल विदेशी पुंजी के आंकड़े उपलब्ध हैं। उस तारीख को कुल 681 करोड रुपये की विदेशी पूंजी लगी हुई थी। बाद की अवधियों में लगायी गयी विदेशी पूंजी के वास्तविक आंकड़ें अभी उपलब्ध नहीं है।

(ग) अद्यतन (अप-टु-डेट) उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि चालू आयोजना की अवधि में कुल कितनी विदेशी पूंजी लगायी गयी।

(घ) हालांकि अभी आंकड़े इकट्ठे किये जाने हैं, पर यह ख्याल नहीं है कि कुल पूंजी-विवेश दूसरी आयोजना की अवधि में किये गये निवेश की तुलना में कम होगा।

हांगकांग के भारतीयों द्वारा विदेशी मुद्रा का भेजा जाना

*351. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हांगकांग में रहने वाले भारतमूलक नागरिकों ने विदेशी मुद्रा भेजकर भारत सरकार की सहायता करने की इच्छा प्रकट की है; और

(ख) दिसम्बर, 1965 से अब तक भारत को इस स्रोत से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) विशेष स्त्रोतों से प्राप्त विदेशी मुद्रा के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन 26 फरवरी 1966 तक की कुल प्रेषणाओं (रेमिटेंसेज़) से 21.14 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

तीन वर्षीय योजनाएं

*352. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर तीन वर्षीय विकास योजनाएं आरम्भ करने के बारे में कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या निर्णय है ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी

†353. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री 2 और 9 दिसम्बर, 1965 तथा 17 फरवरी, 1966 के क्रमशः तारांकित प्रश्न संख्या 603, 754 तथा 75 के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी अन्य पक्ष अथवा व्यक्ति विशेष को मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी के कार्यों के सम्बन्ध में जुर्माना किया गया है अथवा उनमें अन्तर्ग्रस्त पाया गया है;

(ख) क्या अभियोग चलाने के लिए मामलों की जांच-पड़ताल कर ली गई है; और कम्पनी अथवा किसी व्यक्ति विषेश के विरुद्ध कोई मामले चला दिये गये है;

(ग) क्या छानबीन के दौरान जब्त किये गये सभी सम्बद्ध कागजात की उचित रूप से जांच कर ली गई है ; और

(घ) यदि हां, क्या इन कार्यों में फंसे हुये व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने कोई कानूनी कार्यवाही शुरु कर दी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

(ग) जहां तक सीमा शुल्क अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन का सम्बन्ध है इस मामले में पकड़े गये सभी प्रासंगिक तथा सम्बन्धित कागजों की छान-बीन कर ली गई है ।

(घ) इन मामलों में सम्बन्धित किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अभी तक कोई नई कार्रवाई शुरु नहीं की गई है न्यायनिर्णय के आदेश के विरुद्ध की गयी अपील अभी विचाराधीन है ।

स्टेट बैंक द्वारा दी जाने वाली अग्रिम राशियों पर व्याज की दर

*354. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के स्टेट बैंक ने 1 जनवरी, 1965 से अग्रिम राशियों पर व्याज की दर 7 प्रतिशत वार्षिक से बढ़ाकर $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत वार्षिक कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा किन परिस्थितियों में यह वृद्धि की गई ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) यह वृद्धि, राज्य बैंक द्वारा किये जाने वाले अग्रिमों के ब्याज की दर को, ब्याज की दरों के मौजूदा ढांचे के स्तर पर लाने के लिए और बढ़े हुए परिचालन व्यय (आपरेटिंग कॉस्ट) को पूरा करने के लिए की गयी है।

राज्यवार प्रति व्यक्ति आय

*355. **श्री मधु लिमये** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यवार तथा जिलेवार, प्रति व्यक्ति आय सम्बन्धी अध्ययन पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने राज्यवार तथा जिलेवार, अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धि तथा कपड़ा, चीनी, खाद्य तेल तथा मिट्टी के तेल जैसी अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं की प्रति व्यक्ति खपत के बारे में भी कोई अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या निकट भविष्य में यह अध्ययन करने का सरकार का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, नहीं। राज्य की प्रति व्यक्ति आय के तुलनीय अनुमानों के तैयार करने का काम प्रगति पर है। आय के जिलेवार अनुमान तैयार करने में कई दिक्कतें हैं। परन्तु इस सम्बन्ध में राज्य सांख्यिकीय ब्यूरो से बातचीत की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जब से राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने कार्य करना शुरू किया है तब से ही वह निरन्तर घरेलू खपत व्यय के बारे में कार्यक्रम बना कर, उस पर काम कर रहा है। अनुमानों को सारणीकृत कर दिया गया है। और अधिकतर मूल्य के हिसाब से व्यापक जिन्स वर्गों में प्रस्तुत किया गया है। राज्यवार सारणीकरण 13 वें दौरे से शुरू किया गया है, परन्तु नमूने छोटे होने के कारण, उनके प्रतिफलों को जिलेवार सारणीकरण करना सम्भव नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अमरीकी ऋण

*356. **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री मधु लिमये :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने भारत के लिए हाल में 10 करोड़ डालर का ऋण मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं; और

(ग) इसका उपयोग कैसे किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) संयुक्त राज्य अमेरिका ने, भारत को दस करोड़ डालर का गैर प्रायोजना ऋण देने की बात कही है।

(ख) ऋण सम्बन्धी ब्यौरे के बारे में, संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से बातचीत चल रही है।

(ग) यह ऋण उद्योग-धन्धों के लिए विदेशों से अत्यावश्यक कच्चा माल, मशीनों के हिस्से और फालतू पुर्जे मंगाने के लिए है।

केरल में मलेरिया उन्मूलन योजना के कर्मचारी

1464. श्री अ० क० गोपालन : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में मलेरिया उन्मूलन योजना के कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई है ;

(ख) उन में से कितने व्यक्तियों को पुनः नियुक्त कर लिया गया है;

(ग) उन में से कितने व्यक्तियों को अभी काम पर लगाना बाकी है; और

(घ) केरल में हैजा को रोकने के लिये जनसाधारण को टीका लगाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत उनमें से कितने व्यक्तियों को काम पर लगाया जायेगा?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (घ) : राष्ट्रीय मलेरिया उन्मलन कार्यक्रम, केरल के अधीन काम करने वाले 1729 संनिरीक्षा कर्मचारियों की छंटनी की गई। इनमें से 1452 कर्मचारियों को विस्तृत स्वास्थ्य सेवाओं के अधीन बुनियादी स्वास्थ्य कर्मचारियों के रूप में तथा अन्य पदों पर फिर से नियुक्त कर लिया है। 250 कर्मचारियों को सामूहिक हैजा कार्यक्रम में और शेष 27 कर्मचारियों को अन्य विभागों में ले लिया गया है।

केरल में मानसिक रोग के अस्पताल

1465. श्री अ० क० गोपालन : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में मानसिक रोग के अस्पतालों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि केरल के मानसिक रोग के अस्पतालों की दशा संतोषजनक नहीं है;

(ग) इन अस्पतालों की दशा को सुधारने के लिये क्या योजनाएं बनाई गई है; और

(घ) इन योजनाओं के लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) केरल में तीन मानसिक अस्पताल हैं (एक कोझीकोड में, एक त्रीचुर में और एक त्रिवेन्द्रम में)।

(ख) राज्य के मानसिक अस्पतालों में अन्तरंग रोगियों की बढ़ी हुई संख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

(ग) इन अस्पतालों के सुधार की योजनाओं में अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था अतिरिक्त वार्डों का निर्माण, इन तीन अस्पतालों में दिवसीय अस्पतालों का खोलना, डाक्टरों और नर्सों को मनश्चिकित्सा का प्रशिक्षण देना तथा जिला अस्पतालों में मनश्चिकित्सा क्लीनिक खोलना सम्मिलित है।

(घ) इस कार्य के लिए 1965-66 के बजट में 1,95,000 रुपये तथा 1966-67 के बजट में 10 लख रुपये की व्यवस्था की गई है। यह राशि इन तीन मानसिक अस्पतालों में अतिरिक्त स्टाफ क लिए, त्रिवेन्द्रम अस्पताल से सम्बद्ध दिवसीय अस्पताल खोलने तथा इन तीनों मानसिक अस्पतालों में अतिरिक्त पलंगों के लिए है।

हैजा

1467. श्री कोल्ला वैंकैया :

श्री म० ना० स्वामी :

क्या स्वास्थ्य तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि विभिन्न राज्यों में मार्च, 1965 से 1965 के अन्त तक कितने लोगों को हैजा हुआ तथा उसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5670/66]**

अनुवंरीकरण आपरेशन

1468. डा० चंद्रभान सिंह :

श्री कोल्ला वैंकैया :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में, वर्षवार, कुल कितने ट्यूबैक्टामी तथा वासेक्टामी आपरेशन किये गये;

(ख) इन में से क्रमश: शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कितने कितने आपरेशन किये गये; और

(ग) जनसंख्या की वृद्धि पर यदि इस का कोई प्रभाव पड़ा है; तो क्या ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क), (ख) और (ग) : उपलब्ध सूचना का एक विवरण संलग्न है : **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5671/66]**

चिकित्सा विज्ञान संबंधी भारतीय अकादमी

1469. श्री राम हरख यादव : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा विज्ञान संबंधी भारतीय अकादमी ने निर्णय किया है कि उसकी सदस्यता के लिए स्नातकोत्तर परीक्षायें होनी चाहियें;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद तथा भारतीय चिकित्सा संस्था ने इसका विरोध किया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां।

(ख) किसी निगम निकाय द्वारा अपनी सदस्यताके लिए कुछ शर्तें निर्धारित करने में केन्द्रीय सरकार को कोई आपत्तिजनक बात नज़र नहीं आती।

(ग) भारतीय चिकित्सा परिषद् का मत है कि राष्ट्रीय परीक्षाओं के आयोजन के लिए एक अलग वैज्ञानिक निकाय होना चाहिए।

रैन बसेरे

1471. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सेवक समाज के तत्वाधान में बेघर लोगों को ठंड से बचाने के लिये विभिन्न नगरों में बहुत से "रैन बसेरों" की व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहेरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) निम्नांकित स्थानों पर भारत सेवक समाज 35 रैन बसेरे चला रहा है।

आंध्र प्रदेश

1. हैदराबाद
2. राजमुन्द्री

बिहार

3. मुज़फ्फरपुर
4. सऊपौल
5. कटिहार
6. गया

दिल्ली

7. पहाड़गंज
8. दिल्ली गेट
9. काश्मीरी गेट
10. हार्डिग लाइब्रेरी

गुजरात

11. सूरत
12. बड़ौदा
13. अहमदाबाद

जम्मू और कश्मीर

14. जम्मू
15. श्रीनगर

केरल

16. त्रिवेन्द्रम
17. ऐरनाकूलम
18. कालीकट
19. कोट्टयाम
20. अलप्पी

मध्य प्रदेश

21. इन्दौर

मद्रास

22. वैल्लोर

महाराष्ट्र

23. नागपुर

मैसूर

24. मैसूर
25. बेलगाउम
26. हुबली

उड़ीसा

27. कटक

पंजाब

28. अम्बाला
29. अमृतसर

राजस्थान

30. अजमेर
31. जयपुर

उत्तर प्रदेश

32. इलाहाबाद
33. आगरा
34. वाराणसी

पश्चिमी बंगाल

35. कलकत्ता

Urban Community Development Projects

1472. Shri Sidheshwar Prasad :

Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1721 on the 2nd December, 1965 and state the steps taken so far to implement the recommendations and proposals adopted at the meeting of the Co-ordination Committee on urban community development projects?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : A statement indicating the action taken is attached. [**Placed in Library see No. L.T.-5672/66**]

Compulsory Adjudication in Industrial Disputes

1473. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Planning** be pleased ro refer to the reply given to Unstarred Question No. 1722 on ihe 2nd December, 1965 and state :

(a) whether the Labour Panel constituted by the Planning Commission in connection with compulsory adjudication in industrial disputes has completed its work;

(b) if so, the recommendations of the Panel and the decisions taken by Government thereon; and

(c) if not, the reasons for the delay?

The Minister of Planning (Shri Asoka Mehta) : (a), (b) & (c). The Labour Panel constituted by the Planning Commission has to deal not only with compulsory adjudication as a method of settling industrial disputes, but also with all other aspects of labour policy to be recommended for the Fourth Plan. The Panel has constituted itself into seven study groups the recommendations of which are now available. These recommendations will be placed before the Labour Panel shortly, and the conclusions of the Panel will be taken into account in the formulation of labour policy for the Fourth Plan.

देवनगर में सरकारी क्वार्टरों के निवासियों से अभ्यावेदन

1474. श्री जेधे : क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 अगस्त, 1965 को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली के मुख्य अधीक्षक इंजनियर को देवनगर के 'ई' टाइप के सरकारी क्वार्टरों के निवासियों की ओर से दिल्ली नगर निगम द्वारा गलियों की सतह को बहुतेरे सरकारी क्वार्टरों के आंगनों की सतह से 3/4" ऊंचा किये जाने के विरोध में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसके परिणामस्वरूप (एक) बरसाती पानी क्वार्टरों से निकल कर गलियों में बहने के बदले अब गलियों से आकर क्वार्टरों में बहता है और (दो) मल के रुक जाने की अवस्था में, इसका गन्दा पानी गलियों में बहने के बदले क्वार्टरों में बहता रहता है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर "हां" है, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार किया गया है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहेरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : जी, हां ।

(ग) गलियों की सतह को ऊंचा करने के फलस्वरूप जो कठिनाइयां अनुभव हो सकती थी उन्हें जब जून । जुलाई 1965 में कार्य शुरू हुआ था तब केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा नगर निगम दिल्ली को बता दिया गया था । पानी को निकालने की सहूलियत के लिए क्वार्टरों के अहाते की दीवार के सहारे खुली नाली बनाने के लिए नगर निगम सहमत हो गया था । यह कार्य अभी तक नहीं किया गया है तथा इस मामले में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग नगर निगम से संपर्क स्थापित कर रहा है ।

केरल में ग्रामीण जल संभरण योजनाएं

1475. श्री मुहमद कोया : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कोट्टायम जिले में एराट्टपेट्टा के लिये ग्रामीण जल संभरण योजना मंजूर कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना को आरम्भ करने में विलम्ब होने के क्या कारण है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) राज्य सरकार से एराट्टपेट्टा के लिये जल संभरण सम्बन्धी कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केरल में ग्रामीण जल संभरण योजनाएं

1476. श्री मुहम्मद कोया : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोनानी के लिये ग्रामीण जल संभरण योजना केरल सरकार द्वारा मंजूर की गई थी ;

(ख) क्या वहां की पंचायत ने होने वाले व्यय का अपना भाग देने की इच्छा व्यक्त की थी; और

(ग) यदि हां, तो उस योजना को कार्यान्वित करने में देरी होने के क्या कारण है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क), (ख) और (ग) : राज्य सरकार से जानकारी मंगाई जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

केरल में ग्रामीण जल संभरण योजनाएं

1477. श्री मुहम्मद कोया : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल राज्य में पेरिन्ताल मान्ना, तानूर, पाराप्प नंगडी तथा परावन्न में ग्रामीण जल संभरण योजनाओं की क्रियान्विति में कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : अपेक्षित जानकारी राज्य सरकार से मंगाई जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

चाय का निर्यात

1478. डा० पू० ना० खां :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाय निर्यातकों को, चाय के निर्यात से होने वाली आय पर आय कर में 10 प्रतिशत की छूट दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1964–65 में कुल कितनी छूट दी गई; और

(ग) क्या छूट की रकम को चाय उद्योग के विकास के लिये खर्च किये जाने की कोई व्यवस्था है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां । चाय सहित सब प्रकार के माल और व्यापार वस्तुओं के निर्यात करने वालों को यह छूट उपलब्ध है ।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

(ग) ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ।

Light Berries in Black Pepper

1479. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :

Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a sub-Committee has been appointed to reconsider the proportion of light berries in black pepper, which is five per cent at present ;

(b) if so, the decision, if any, taken in the matter; and

(c) whether it is also a fact that the Indian Standards Institution have allowed two to ten percent content and whether they have allowed more than five percent content in case of exports also and if so, why this restriction of five per cent on the traders in the country?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) Yes. A sub-Committee was appointed by the C.C.F.S., set up by the Central Government under section 3 of the P.F.A. Act, 1954, to review, *inter-alia*, the standard for black pepper prescribed in the P.F.A. Rules, 1955.

(b) The recommendations of the Sub-Committee have been considered by the Central Committee for Food Standards, which has recommended the revision of the limit of light berries in black pepper (whole) from 5% to a maximum of 10%.

(c) The Indian Standards Institution have prescribed the limit of 7% to 10% of light berries in ungarbled black pepper and 2% to 3% of light berries in garbled black pepper,

The standards for light berries in black pepper was prescribed by the Central Government in the P.F.A. Rules, 1955, on the recommendations of the Central Committee for Food Standards. The recommendations now made by the C.C.F.S. regarding the revision of the standards for black pepper are under consideration.

Land for Lepers in Delhi

1481. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :

Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) the location of five acres of land allotted by the Delhi Administration to the lepers in Delhi;

(b) whether the Central Government are also considering to render any help to them in addition to the help rendered by the Delhi Administration; and

(c) if so, the nature thereof?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) to (c). A plot of land measuring 4·9 acres was allotted to the Delhi Administration by the Government of India in 1961 in Jhilmilla Tahirpur village, near Shahdara, on which the leprosy patients rounded up in Delhi have been accommodated in temporary huts. The Delhi Administration propose to construct a permanent Home on this piece of land.

Electric and Water Consumption by Ministers

1482. Shri Bade :
Shri Daljit Singh :

Will the Minister of **Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to state :

(a) the amount of electric and water charges outstanding against the Central Ministers for the year 1964-65; and

(b) the reasons for which they have not cleared these dues so far?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) and (b) . The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

केरल में अस्पतालों के कर्मचारी

1483. श्री वारियर : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्पतालों की ओर से उनके वेतन तथा काम करने की दशा के बारे में कर्मचारियों की हाल ही में कोई अभ्यावेदन केरल सरकार को प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, को उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां।

(ख) यह विषय राज्य सरकार के विचाराधीन है।

सरकारी मकानों के लिये गैर-सरकारी लोगों से बाजार भाव पर किराये की वसूली

1484. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री उटिया :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने उन सभी गैर-सरकारी व्यक्तियों से, जो सरकारी मकान प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं किन्तु उन में रहते हैं, बाजार भाव पर किराया लेने का निर्णय क्या है;

(ख) यदि हां, को क्या यह निर्णय पिछली अवधि से लागू किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, को उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहेरचन्द खन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) ऐसे निर्णयों को पूर्व व्याप्ति प्रभाव देना अनुचित होगा।

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के लिए परीक्षा

1485. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामचन्द्र उलका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री 4 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 92 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परीक्षा आरम्भ करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क), (ख) और (ग) : जी नहीं। इस प्रस्ताव को फिलहाल स्थगित रखा गया है जबकि राष्ट्रीय परीक्षाएं लेने के भारतीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी के प्रयोग पर दृष्टि रखी जा रही है।

वैज्ञानिकों पर खर्च

1486. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने इस बात का कोई अनुमान लगाया है कि भारत में एक वैज्ञानिक पर औसतन कितना खर्च होता है ; और

(ख) यदि हां, तो कुछ महत्वपूर्ण पश्चिमी देशों की तत्सम्बन्धी स्थिति की तुलना में यह खर्च कम है अथवा अधिक ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी नहीं, यद्यपि इस जटिल क्षेत्र में अन्वेषण प्रगति पर है। फिर भी वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे हुए वैज्ञानिकों (रक्षा को छोड़कर) पर होने वाले खर्चे के बारे में, हाल में ही अपूर्ण सूचना एकत्रित की गई है। आंकड़ों में काफी अन्तर तथा कमियां होने के कारण, विश्वसनीय अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Deaths due to Cold

1487. Shri D. N. Tiwary :
Shri Shiv Charan Gupta :

Will the Minister of **Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to state :

(a) whether deaths due to cold have been reported form Centrally Administered areas; and

(b) if so, the number the eof?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) and (b): 17 deaths are reported to have taken place in Delhi due to cold during 1965-66. No other Union Territory has reported deaths due to cold.

प्रबन्ध अध्ययन सम्बन्धी तालिका

1489. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने योजना आयोग के सदस्य श्री तरलोक सिंह की अध्यक्षता में प्रबन्ध अध्ययन सम्बन्धी एक तालिका बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कौन-कौन सदस्य है, और उसके कार्य तथा कार्यक्षेत्र क्या है; और

(ग) क्या तालिका ने अब तक कोई प्रतिवेदन पेश किया है ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) पैनल के गठन से सम्बन्धित संकल्प की प्रति सभा-पटल पर प्रस्तुत है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5673/66]**

(ग) जी, नहीं।

आयकर अधिकारियों की परीक्षा

1490. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री द्वा० ना० तिवारी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि मई 1966 में आयकर अधिकारियों (श्रेणी दो) की प्रस्तावित परीक्षा लिये जाने के विरोध में आयकर विभाग के कर्मचारियों ने अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) भरती नहीं करने के सुझाव को स्वीकार करने में सरकार असमर्थ रही है।

सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों के लिए जीवन बीमा निगम की विशेष योजना

1491. श्री मधु लिमये : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जीवन बीमा निगम को देश के सैनिकों के लिए एक विशेष बीमा योजना तैयार करने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी किसी योजना में अन्तर्निहित जोखिम में जीवन बीमा निगम के साथ भागीदार होने को कहा है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर "नहीं" है, तो इस प्रयोजन के लिए सरकार अथवा जीवन बीमा निगम का पृथक पृथक अथवा संयुक्त रूप से क्या वैकल्पिक उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क), (ख) और (ग) : जीवन बीमा निगम को दिये गये एक निदेश के अनुसार जो सुरक्षा कर्मचारी कच्छ की लड़ाई में और पाकिस्तान के साथ हुए हाल के युद्ध में लगे घावों के कारण विकलांग हो गये हैं, उनकी पालिसियों पर प्राप्य किस्तों को, विकलांगता की दशा के आधार पर, पूर्ण अथवा आंशिक रूप से माफ कर दिया जाता है। इस प्रकार माफ की गई किस्तों की लागत सरकार और जीवन बीमा निगम के बीच 3 : 1 के अनुपात से बांट ली जायगी।

इसके अलावा एक ऐसी योजना भी विचाराधीन है, जिसके अनुसार युद्ध प्रारम्भ अथवा समुपस्थित होने के बाद ली गयी पालिसियों में भी, शत्रु की कार्यवाही के कारण हुई मृत्यु को छोड़ कर, जीवन बीमा निगम द्वारा और कोई प्रतिबन्धात्मक खण्ड नहीं रखा गया है, परन्तु उसमें यह शर्त है कि पुरानी पालिसियों के अधीन बीमा कराई गई रकमों को शामिल करके, बीमा कराई गई कुल राशि निश्चित सीमाओं से अधिक न हो।

अपोषाहारी भोजन सम्बन्धी समस्याएं

1492. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या अपोषाहारी भोजन सम्बन्धी समस्याओं पर, जो खाद्य की कमी के कारण उत्पन्न हो सकती हैं, विचार करने के लिए गत दिसम्बर में मद्रास में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई थी;

(ख) क्या खाद्य की कमी से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए राज्यों में कोई सर्वेक्षण किये गये थे;

(ग) क्या अपोषाहारी भोजन के खतरे को दूर करने के लिए रासायनिक खुराक, विटामिन की गोलियां आदि नियमित रूप से सप्लाई करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रबन्ध किया गया है;

(घ) स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में क्या मुख्य सिफारिशें की गई है; और

(ङ) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां। केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद की प्रथम बैठक के लिये मद्रास मे एकत्र हुए राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की उपस्थिति का लाभ उठाते हुए यह बैठक हुई थी।

(ख) सूखे का जिन क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा है उनका निश्चय राज्य सरकारों ने किया है।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों जैसे यूनेस्को/एफ०ए०ओ० तथा अन्य मित्र देशों से दूध का पाउडर, विटामिन की गोलियां और खाने की अन्य वस्तुएं प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

(घ) स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में पारित किये गये संकल्प की एक प्रति संलग्न है (परिशिष्ट)।

(ङ) 31 दिसम्बर, 1965 को स्वास्थ्य मंत्रियों द्वारा पारित किये गये संकल्प की प्रति राज्य सरकारों को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दी गई है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 5674/66]**

यूनानी चिकित्सा प्रणाली

1495. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बागड़ी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री उटिया :
श्री विभूति मिश्र :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री लक्ष्मी दास :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री 9 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2185 के भाग (ख) के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने यूनानी चिकित्सा प्रणाली में अनुसन्धान करने की संभावनाओं पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) जैसा कि यूनानी सलाहकार समिति ने सिफारिश की है आयुर्वेद और यूनानी के लिए आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बी कालेज दिल्ली में एक स्नातकोत्तर-सह-अनुसंधान केन्द्र खोलने का विचार है। एक योजना तैयार करने के लिए कर्नल आर० एन० चोपड़ा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है।

निम्नलिखित स्थानों में यूनानी सम्बन्धी क्लीनिकी अनुसंधान करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं :—

(1) निजामिया यूनानी तिब्बी कालेज, हैदराबाद ।

(2) तिब्बिया कालेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ ।

(3) किलपाक मेडिकल कालेज, मद्रास ।

मंगलोर जल संभरण योजना

1496. **श्री यशपाल सिंह :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बागड़ी :
श्री उटिया :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री किशन पटनायक :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री मंगलौर जल संभरण योजना के संबंध में 9 दिसम्बर 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2217 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या मसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार को संशोधित योजना पुनः पेश कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारत सरकार मुद्रणालय की वर्गीकरण समिति

1497. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत सरकार मुद्रणालय की "वर्गीकरण समिति" की सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहेरचन्द खन्ना) : (क), (ख) और (ग) : भारत सरकार मुद्रणालय के कर्मचारियों के लिए "वर्गीकरण समिति" की सिफ़ारिशें अभी तक सरकार के विचाराधीन हैं ।

फर्नीचर तथा मरम्मत में बचत

1498. **श्री हेम राज :** क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965–66 में दिल्ली में सरकारी कार्यालयों तथा रिहायशी मकानों में फर्नीचर के देने तथा इमारतों की मरम्मत के काम में कितनी बचत की गई है; और

(ख) पिछले चार वर्षों में इन मदों पर वर्षवार कितना व्यय किया गया था ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहेरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : यदि किसी विशेष विभाग अथवा मंत्रालय के संबंध में किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए सूचना मांगी जाय तो उसे इकट्ठा करने का प्रयत्न किया जायगा । सभी कार्यालयों से सूचना इकट्ठी करने में जो श्रम लगेगा उसके अनुरूप फल प्राप्त होने की संभावना नहीं है ।

राज्यों में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत

1499. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जहां तक बिजली के प्रति व्यक्ति उत्पादन तथा खपत का सम्बन्ध है, पिछड़े हुए राज्यों को विकसित करने की दृष्टि से सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : जिन राज्यों में तीसरी योजना के अन्त तक बिजली की प्रति व्यक्ति खपत राष्ट्रीय औसत खपत के 50 प्रतिशत से कम है वे आन्ध्र प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश हैं। इन राज्यों में स्थिति के सुधार की आवश्यकता सरकार द्वारा मान ली गई है और इसके लिये हर प्रकार के पग उठाए जा रहे हैं। इन पगों में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के लिये स्वीकृति देना तथा पहले से स्वीकार की गई स्कीमों को शीघ्र चालू करना शामिल हैं। चतुर्थ योजना के अन्त तक इन राज्यों में स्थिति के काफी सुधर जाने की सम्भावना है।

Hospitals for Mental Patients

1500. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :
Shri Dasaratha Deb :

Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of mental hospitals in India;

(b) whether Government have formulated a scheme to provide new hospitals for persons suffering from mental diseases;

(c) whether Ayurvedic system is also proposed to be adopted for the treatment of such patients; and

(d) if so, the details thereof?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) The number of mental hospitals in India is 38, at present.

(b) Mental Health Services are no longer proposed to be concentrated in a few big mental hospitals but are proposed to be dispersed in the form of Psychiatric Units consisting of out-patient clinics, small psychiatric wards for inpatients with 10-20 beds, Child Guidance Clinics etc. and day hospitals, to be attached to General Hospitals or Primary Health Centres, so as to enable mental patients to get treatment closer to their domiciles.

(c) and (d). An Ayurvedic Research Unit has been set up at the All India Institute of Mental Health, Bangalore, to assess the efficiency of Ayurvedic form of treatment in mental illness. The results of the experiment show that the Ayurvedic therapy is effective for certain types of mental illness such as Schizophrenia.

Irwin Hospital, New Delhi

1501. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :

Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to State :

(a) whether it is a fact that persons involved in serious accidents are not admitted in Irwin Hospital, New Delhi but discharged after dressing only; and

(b) if so, the reason therefor?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar): (a) No; whether the patients are to be admitted in the hospital or given such treatment as is considered necessary and discharged thereafter depends on the severity of injuries received in accidents.

(b) The question does not arise.

जीवन बीमा निगम के कर्मचारीयों के लिये वेतन आयोग

1502. **श्री विश्राम प्रसाद :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री बागड़ी : **श्री यशपाल सिंह :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष को एक वेतन आयोग नियुक्त करने का निदेश दिया है; और जो जीवन बीमा निगम के कर्मचारी के लिये महंगाई भत्ता और उनकी सेवा की शर्तों के बारे में सिफारिश करे;

(ख) क्या आयोग स्थापित किया जा चुका है;

(ग) यदि हां, तो आयोग के निर्देश-पद क्या हैं; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर 'नहीं' है तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

(घ) महंगाई भत्ते और नौकरी की शर्तों सम्बन्धी मामलों पर, निगम द्वारा कर्मचारी संघों के के साथ विचार विनिमय किया जाता है, तथा ऐसे विचार-विनिमय के आधार पर, सरकार के अनुमोदन से निर्णय लिये जाते हैं। वेतन आयोग की नियुक्ति के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं हुई है।

दिल्ली में सरकारी क्वार्टर

1503. **श्री म० ला० द्विवेदी :** **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री प्र० चं० बरूआ : **श्री सं० चं० सामन्त :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने क्वार्टर तैयार हो चुके हैं, जो बिजली तथा पानी की व्यवस्था न होने के कारण सरकारी कर्मचारियों को नहीं दिये गये;

(ख) ये कितने समय से खाली पड़े हैं;

(ग) पानी तथा बिजली की व्यवस्था करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(घ) उनको दिये जाने के योग्य बनाने में कितना समय लगेगा और;

(ङ) इस अवधि में कितने किराये की हानी हुई है और इसके लिये कौन लोग उत्तर-दायी हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (ङ) : गत वर्ष रामकृष्णपुरम में 3,000 क्वार्टर लगभग तयार हो गये थे। उनमें से लगभग 2,000 क्वार्टर दिल्ली नगर निगम द्वारा पानी के कनेक्शन दे दिये जाने पर आवंटित कर दिये गये है। शेष 1,000 क्वार्टरों में निगम ने अभी पानी के कनेक्शन देने हैं। पानी का कनेक्शन मिलने के 4 या 6 सप्ताह बाद क्वार्टर रहने योग्य हो जाता है। किराये की हानि का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि पानी के बिना क्वार्टर रहने योग्य नहीं होते।

गोदावरी नदी पर दौलेश्वरम् ऐनीकट संबंधी मित्रा समिति का प्रतिवेदन

1504. **श्री कोल्ला वंकैया :**
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री 25 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1253 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदावरी नदी पर दौलेश्वरम् ऐनीकट सम्बन्धी मित्रा समिति ने अपना अन्तिम प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) क्या प्रतिवेदन तथा उस पर किये गये निर्णय की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5675/66]**

(ग) रिपोर्ट पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

कलकत्ता में रिजर्व बैंक के कार्यालयों के लिये भवन

1505. **डा० रानेन सेन :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक के कलकत्ता स्थित कार्यालय के लिये कलकत्ता में एक सर्वथा आधुनिकतम एवं बहुत कीमती भवन बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) रिज़र्व बैंक ने अनुमानतः 2.60 करोड़ रुपये की लागत से कलकत्ते में एक आधुनिक भवन बनाया है। इस भवन की लागत अनुचित रूप से अधिक नहीं है।

(ख) रिजर्व बैंक के कलकत्ता-स्थित विभिन्न विभाग पट्टे पर ली गयी इमारतों में काम करते थे जिनमें जगह कम थी और इस कारण बैंक के साथ कारबार करनेवालों को बहुत असुविधा होती थी। नया भवन बनाने का उद्देश्य यही है कि सभी विभाग एक ही स्थान पर आ जायं। इस से न केवल विभिन्न विभाग और अधिक कुशलता और कम खर्ची के साथ काम कर सकेंगे, बल्कि काऊंटरों के लिए अधिक स्थान और अतिरिक्त या अधिक अच्छी सुविधाओं की व्यवस्था हो जाने से जनता की सहुलियत भी बढ़ जायेगी ;

प्रसूति अवकाश

1506. श्री उमानाथ : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने तीन अथवा तीन से अधिक बच्चों वाली अपनी महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश न देने का निर्णय किया है;

(ख) क्या किसी अन्य राज्य ने अब तक ऐसा आदेश लागू किया है;

(ग) यदि हां, तो किन किन राज्यों ने ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार केन्द्रीय सेवा में अपने कर्मचारियों पर यह निर्णय लागू करने का है; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (ग) और (घ) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसे केरल में लागू करने के क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) जी, हां । केरल सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश की एक प्रति सभा की मेज पर रख दी गयी है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5676/66]**

(ख) और (ग) : राज्य सरकारों को अपने कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के विनियमन से सम्बद्ध नियम बनाने का अधिकार है। यह सूचना केन्द्रीय सरकार के पास नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) केरल सरकार ने सूचित किया है कि यह आदेश, 1964 में राज्य-स्तर पर हुई परिवार नियोजन सम्बन्धी गोष्ठी में की गयी सिफारिशों के आधार पर, परिवार नियोजन कार्यक्रम के अधीन एक उपाय के रूपमें जारी किया गया है और इसका उद्देश्य केरल में, जहां आबादी बहुत घनी है, इसे बढ़ने से रोकना है।

1965-66 में उत्तर प्रदेश को ऋण तथा अनुदान

1507. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1965-66 में अब तक विभिन्न योजनाओं के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार को कितना कितना ऋण और अनुदान दिया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): एक विवरण जिस में अपेक्षित जानकारी है सभा-पटलपर र । जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5677/66]**

शक्तिचालित करघों से वसूल किया गया उत्पादन शुल्क

1508. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में कपड़ा मिलों में शक्तिचालित करघों से कितना उत्पादन शुल्क वसूल किया गया; और

(ख) उक्त अवधि में मिलों के अतिरिक्त अन्य शक्तिचालित करघों से कितना उत्पादन शुल्क वसूल किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : 1964-65 में कोरे कपड़े (ग्रे क्लाथ) पर वसूल हुए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की राशि निम्न प्रकार है :—

(i) संयुक्त (कम्पोजिट) मिलें . .	रु०	42,26,13,000
(ii) पावरलूम एकक . . .	रु०	55,98,000

Family Planning Scheme

1509. Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Dhuleshwar Meena :
Shri Ramachandra Ulaka :

Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of men and women sterilised till December, 1965 under the Family Planning Scheme; and

(b) the amount incurred by Government for this purpose?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) The number of sterilization operations performed upto December, 1965 is as under :—

Male	Female	Both Male and Female, where break-up is not available	Total
9,37,303	3,56,155	8,424	13,01,882

(b) The information is being collected from the State Governments and will be placed on the Table of the Sabha as soon as ready.

Price Control Committee

1510. Shri Madhu Limaye :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Sham Lal Saraf :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Price Control Committee has been set up in the capital; and

(b) if so, its functions?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) Yes, Sir.

(b) The Committee was set up to elicit the co-operation of the traders and business men in maintaining price stability, especially in the context of the emergency following hostilities with Pakistan.

पंजाब में ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाएं

1511. श्री दलजीत सिंह : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में इस समय कितनी ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाएं कार्य कर रही हैं ; और

(ख) 1966 में इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त राज्य को कितनी वित्त सहायता देने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) दो।

(ख) 1965-66 के कार्यक्रम के लिये, पंजाब सरकार को केन्द्रीय सहायता के रूप में 20.92 लाख रुपये की राशि दी गई। अभी 1966-67 के नियतन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

पंजाब में ग्राम तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में आवास योजनायें

1512. श्री दलजीत सिंह : क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966 में पंजाब सरकार को ग्राम्य तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में आवास योजनाओं के लिये कितनी रकम मंजूर की गई है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार इस कार्य पर होने वाले खर्च का कितना प्रतिशत वहन करेगी ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : पंजाब सरकार ने 1966-67 के दौरान ग्रामीण आवास परियोजना के अन्तर्गत कोई निधि नहीं मांगी है। सीमा क्षेत्रों के लिये मेरे मंत्रालय द्वारा प्रशासित कोई अलग से आवास योजना नहीं है। तथापि, अभी हाल ही में पाकिस्तान से हुए संघर्ष के दौरान टूटे हुए मकानों की मरम्मत के लिये, निम्नांकित सीमाओं तक, निरीक्षण के बाद अनुमानित कीमत के आधार पर, अनुदान देने की योजना डायरेक्टर जनरल आफ रिसैटलमैन्ट की है :—

(i) कच्चा मकान 750 रुपये
(ii) पक्का मकान 2,000 रुपये

कुल मंजूर हुई राशि योजना के अन्तर्गत स्वीकृती दावों की संख्या तथा प्रकृति पर निर्भर करेगी।

पंजाब में भारत सेवक समाज को सहायता

1513. श्री दलजीत सिंह : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 तथा 1966 में अब तक भारत सेवक समाज की पंजाब शाखा को विभिन्न शिविरों का आयोजन करने के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) इसका ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) योजना आयोग ने 1965 और 1966 के दौरान, भारत सेवक समाज की पंजाब शाखा को शिविरों का आयोजन करने के लिये कोई अनुदान नहीं दिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय मुद्रा का अवैध विनिमय

1514. श्री दलजीत सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में भारतीय मुद्रा का अवैध विनिमय करने के बारे में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

वित्तमंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) प्रवर्तन निदेशालय ने भारतीय मुद्रा के गैरकानूनी विनिमय के लिए, नवम्बर 1965 से जनवरी 1966 तक के तीन महीनों में चार गिरफ्तारियों की।

(ख) इनमें से दो व्यक्ति छोड़ दिये गये हैं। एक व्यक्ति, प्रवर्तन निदेशक द्वारा न्याय-निर्णय में अपराधी ठहराया गया, और पकड़ी गयी मुद्रा जब्त कर ली गयी तथा व्यक्तिगत जुर्माना किया गया। चौथी गिरफ्तारी के बारे में आगे जांच-पड़ताल अभी भी चल रही है।

ग्राम्य अर्थ-व्यवस्था का विकास

1515. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **योजना** मंत्री 25 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 464 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम्य अर्थ व्यवस्था के विकास के सम्बन्ध में राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् के प्रतिवेदन पर सरकार ने विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् के "मार्केट टाउन्स एण्ड स्पैटियल डिवलेपमेंट इन इन्डिया' (1965) नामक प्रतिवेदन की योजना आयोग में जांच की जा चुकी है। प्रतिवेदन में सुझाव दिया गया है कि इस प्रकार के 12000 से 14000 तक कस्बे बसाने के लिये सक्रिय प्रयत्न किये जांये और प्रत्येक अपने इर्दगिर्द दस मील की परिधि की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। प्रत्येक हाट बस्ती बिजली, समुचित जल की प्राप्ति, ग्रामीण जनता से सड़क परिवहन के जाल, से सुसज्जित होना चाहिये। इसके अतिरिक्त ग्रामीण उत्पादन की बिक्री, उपभोक्ता सामग्री की खरीद और ग्रामीण जनता को अपेक्षित उत्पादन सामग्री की खरीद की सुविधाएं भी इन स्थानों पर होनी चाहिये। ये नये मझोले कस्बे, इस क्षेत्र में विस्तार, सामुदायिक विकास और कृषि उत्पादन में काम करने वाले कर्मचारियों के मुख्यालय भी हों।

योजना आयोग प्रतिवेदन के मार्ग-निर्धारण से सहमत है। वस्तुतः योजना आयोग ने अपने चौथी पंचवर्षीय योजना के ज्ञापन में निम्न सुझाव दिए हैं :—

"जिस प्रथम मुख्य कदम उठाने की आवश्यकता है, वह यह है कि विकेन्द्रीकृत विकास की नीति को स्वीकार किया जाय। ग्रामीण उद्योगीकरण के कार्यक्रम को तीव्र करने के लिये एक महत्वपूर्ण कदम यह होगा कि उन छोटे कस्बों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बिजली, कृषि कच्चा माल भारी मात्रा सुलभ होना और परिवहन की अच्छी व्यवस्था है इत्यादि पहले ही उपलब्ध है या उपलब्ध हो जायेंगी में "विकास केन्द्र" निर्दिष्ट किये जांय। इसके अतिरिक्त ऋण, तकनीकल सलाह इत्यादि की सुविधाएं एकीकृत आधार पर मुहैय्या की जांय। इससे सफल केन्द्रों के समूह बन जायेंगे और वे अधिक विस्तृत विकास के नमुने या केन्द्र बिन्दु का काम करेंगे।"

विदेशों में रखी गई प्रतिभूतियों की बिक्री

1516. **श्री किशन पटनायक :**
श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में रखी गयी प्रतिभूतियों की बिक्री से होने वाली आय को स्वदेश भेजने से सम्बन्धित कर योजना में कोई परिवर्तन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है।

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी नहीं। अभी नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

दिल्ली में मच्छर पैदा करने वाली हालत

1517. श्री दी० चं० शर्मा :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या दिल्ली में बहुत मच्छर पैदा करने वाली हालत की समस्या का अध्ययन करने तथा उस को रोकने के उपाय सुझाने के लिये स्वास्थ सेवाओं के महानिदेशक के सभापतित्व में एक समन्वय समिति समिति बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन हैं तथा इसके निर्देश-पद क्या हैं; और

(ग) इसके द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक दिये जाने की संभावना है ?

स्वाथ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण जिसमें समिति के सदस्यों के नाम निर्देश-पद दिये है सभा-पटल पर रखा जाता है **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5678/66]**

(ग) समिति शीघ्र ही अपनी रिर्पोट दे देगी।

बागमती परियोजना

1518. श्री विभूति मिश्र :

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चौथी योजना के दौरान चम्पारन तथा मुजफ्फरपुर (बिहार) जलों में बागमती परियोजना चालू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

चतुर्थ योजना में कार्यान्वनार्थ बागमती नदी पर दो योजनाएं हैं जिनके नाम ये हैं —(1) बागमती सिंचाई योजना, और (2) बागमती बाढ नियन्त्रण योजना। उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

1. बागमती सिंचाई स्कीम, जिला मुजफ्फरपुर

बागमती सिंचाई स्कीम में ग्राम देबापुर के निकट एक 1080 फुट लम्बे बराज का निर्माण परिकल्पित है। प्रस्तावित बराज स्थल लल्लेकेया नदी के संगम के नीचे घेंग रेलवे पुल से 12 मील की दूरी पर है। इस स्कीम का आयोजन दो चरणों में किया गया है :–

योजना के प्रथम चरण में एक बराज 50.5 मील लम्बी मुख्य नहर और बागमती नदी के बाएं और दाएं और 125 मील लम्बी शाखाओं का प्रबंध है। इसकी अनुमित लागत 493.34 लाख रुपये है और इससे धान के 2.56 लाख एकड़ क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा।

स्कीम के दूसरे चरण में दाएं तट पर नहर के विस्तार तथा अन्य अनुषंगिक कार्यों का प्रबंध है और इससे 72,000 एकड़ अतिरिक्त भूमि को लाभ पहुंचेगा तथा इस पर 138.08 लाख अतिरिक्त रुपये व्यय होंगे ।

अत: यदि स्कीम के प्रथम और द्वितीय चरण कार्यान्वित हो जाते हैं, इससे मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चम्पारन के जिलों में 3.28 लाख एकड़ क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा । और इस पर कुल 631.42 लाख रुपये व्यय होंगे ।

2. बागमती बाढ नियंत्रण स्कीम

इस योजना में भारत नेपाल सीमा के ऊपर बागमती की पहुंचों से लेकर हया घाट तक बागमती के दोनों ओर 163 मील लम्बे तटबंध का निर्माण परिकल्पित है । सिचाई नालियों के लिये तटबंध प्रणाली की समस्त लम्बाई में उपयुक्त स्थलों पर एस्केपों और कपाटों का भी प्रबंध किया हुआ है । इस योजना से बिहार की 455 वर्ग मील भूमि और नेपाल क्षेत्र में 150 वर्ग मील भूमि लाभान्वित होगी । योजना की अनुमति लागत 3.17 करोड़ रुपये है ।

माताटिला बांध से मध्य प्रदेश को बिजली की सप्लाई

1519. श्री हेडा :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने माताटिला बांध से मध्य प्रदेश की बिजली की सप्लाई बन्द करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह निर्णय पहले केन्द्रीय सरकार से परामर्श करके किया गया था; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Night Shelters

1520. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have provided Night Shelters for homeless people in Delhi;

(b) whether Government recover any charges from those people;

(c) the reasons for which Government are making such arrangements in Delhi only; and

(d) whether Government propose to make such arrangements all over the country ?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) Yes, 22 night shelters, having capacity for 5,265 persons, are being run in Delhi.

(b) No.

(c) and (b). All the State Governments and the Union Administrations have been advised to construct night shelters for pavement dwellers and some of them have done so. These states are Uttar Pradesh, Gujarat and Delhi.

उड़ीसा में परिवार नियोजन में रुचि उत्पन्न करने संबंधी शिविर

1521. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री 1 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1643 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) भारत सेवक समाज की उड़ीसा शाखा ने 60 परिवार नियोजन प्रशिक्षण शिविरों को चलाने के लिये 36,000 रुपये की जो मांग की थी क्या उस पर इस बीच विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) इस संगठन द्वारा अब तक वास्तव में ऐसे कितने प्रशिक्षण शिविर चलाये गये ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : जी हां। भारत सेवक समाज की उड़ीसा शाखा द्वारा 60 पुनश्चर्या प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन के लिए केन्द्रीय भारत सेवक समाज, नई दिल्ली को 17-2-1966 को 36 हजार रुपये का एक सहाय्यानुदान मंजूर किया गया है।

(ग) उपर्युक्त सहाय्यानुदान मंजूर किये जाने से पहले 39।

राजस्थान की सिंचाई तथा बिजली योजनाएं

1522. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय राजस्थान सरकार की कितनी सिंचाई तथा बिजली योजनाएं मंजूरी के लिए केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं तथा उन पर होने वाले व्यय का ब्यौरा क्या है और उनसे क्या लाभ होने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : अपेक्षित जानकारी का एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5679/66]**

Small-pox and Cholera in Rajasthan

1523. Shri Dhuleshwar Meena :
Shri Ramachandra Ulaka :

Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of persons who suffered from small-pox and cholera in Rajasthan during the last four months; and

(b) the number of deahts due to the above diseases in Rajasthan during the the same period?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) and (b). The number of cases and deaths due to small-pox and cholera in Rajasthan during the last four months (October to December, 1965 and January, 1966) is given below :—

	Cases	Deaths
Small-Pox	185	16
Cholera	19	5

राजस्थान में जीवन बीमा निगम द्वारा विनियोजन

1524. श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम ने 1964-65 तथा 1965-66 में अब तक औद्योगिक परियोजनाओं के लिये राजस्थान राज्य में कितनी धनराशि लगाई है; और

(ख) क्या राज्य सरकार ने जीवन बीमा निगम से कोई अभ्यावेदन किया है कि वह उन योजनाओं में पूंजी लगाये जो वित्त की कमी के कारण इस समय रुकी पड़ी हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क)

वर्ष	रकम (लाख रुपयों में)
1964-65	10.34
1965-66	8.84
(31 जनवरी 1966 तक)	

(ख) राजस्थान सरकार ने कुछ योजनाओं के लिए ऋण मिलने के बारे में जीवन बीमा निगम से कुछ पूछताछ की है। इनके बारे में अभी जीवन बीमा निगम से बातचीत की जा रही है।

पश्चिम बंगाल के अस्पतालों में क्षय रोगियों के लिए बिस्तर

1525. श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के अस्पतालों में पूर्व पाकिस्तान से आये हुए क्षय रोग से पीडित विस्थापित व्यक्तियों के लिए बिस्तारों के रख रखाव पर होने वाले व्यय को भविष्य में बन्द कर देने का निश्चय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : जी नहीं। यद्यपि ईस्ट पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित क्षय रोगियों के निःशुल्क उपचार के लिए आरक्षित पलंगों की व्यवस्था के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को सहाय्यानुदान देते रहने का केन्द्रीय सरकार का वचन तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में पूरा हो जायेगा फिर भी वर्तमान व्यवस्था को चौथी पंचवर्षीय योजना में जारी रखने का प्रश्न विचाराधीन है।

अधिकारियों द्वारा विमानों का उपयोग

1526. श्री बादशाह गुप्त : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने 1965 में सरकारी अधिकारियों द्वारा इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के अतिरिक्त अन्य विमानों का उपयोग करने के लिये कितना व्यय किया ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही उसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

सावरीगिरी परियोजना

1527. श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में सावरीगिरी परियोजना का प्रथम जनरेटर मार्च, 1966 में चालू हो जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसके चालू हो जाने के पश्चात् केरल में बिजली में जो कटौती की गई थी उसे पूरा किया जा सकेगा?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) आशा है कि 50-50 मैगावाट के दो यूनिट मार्च, 1966 में चालू हो जायेंगे।

(ख) इससे राज्य में कुछ हद तक बिजली की स्थिति में सुधार हो जायेगा। स्थिति की जांच अप्रैल, 1966 में की जायेगी।

Powers of Municipal Commissioners

1528. Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Commissioners enjoy special powers under the Corporation and Municipal Acts with the result that they can defy the elected Officers and Presidents;

(b) whether Government have the power to dissolve the institutions of local self-Government under these Acts; and

(c) whether Government propose to rescind this power?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) All acts governing Municipal Corporations and Municipalities reserve to the State Governments powers of control, supervision and direction over the urban local bodies. In the case of Municipalities these powers are often vested in the District Magistrates/Collectors or Divisional Commissioners who are also the channels of correspondence between such local authorities and the State Governments. The Municipal Acts empower the Divisional Commissioner or the Collector or Deputy Commissioner or any other officer duly authorised to inspect the records, returns accounts, documents, works and institutions under the control of the Municipalities. They can also, where immediate action is necessary, suspend any resolution passed, order issued or permission granted or prohibit the execution of any act which is about to be done or is being done if, in their opinion, such resolution etc, is not legally passed or is in excess of powers conferred by the Municipal Acts or is likely to cause danger to human life or health and safety

of the public. But in such cases the matter has to be reported to the State Government and the State Government after duly considering the matter may confirm, modify or cancel the order of the Collector or the Commissioner as the case may be. The Commissioner or the Deputy Commissioner or the Collector has also special powers to act in cases of default by the Municipality and also in emergency to direct or provide for the execution of any work considered necessary for the safety of the public and in case of failure to get the work done through other Government agencies at the cost of the municipal body.

In the case of Municipal Corporations, the Municipal Commissioner is the Chief Executive authority. He is appointed by the Government and all correspondence with the Government on behalf of the Corporation is carried out by the Municipal Commissioner. In some Corporations such as Madras, Bangalore, and in Kerala the correspondence must pass through the Mayor who may give his own remarks, if any. The Municipal Government of the city vests in the Council and the Municipal Commissioner is bound to give effect to every resolution lawfully made by the Council or its Committees. The power of suspension or cancellation of resolution or order passed by the Council or taking action in default or in emergency vests in respect of Municipal Corporations in the State Governments. The Council may require the Municipal Commissioner to produce any record and return. The Municipal Commissioner has to comply with every such requisition unless in his opinion immediate compliance would be prejudicial to public interest. Such a refusal is, however, subject to review by the Mayor whose decision is final. The Municipal Commissioner is subject to be withdrawn by the State Governments if the Corporation Council passes a resolution to this effect by a majority that varies in different Corporation Acts from 50 % of the total membership in Calcutta to 5/8th, in Maharashtra, Gujarat and U.P., 2/3rd in Kerala, Bangalore and Hyderabad Corporations, 3/5th in Delhi and 3/4th in Madhya Pradesh and Madras.

(b) With the exception of a few Corporations such as Bombay, Hyderabad, Madras and Bangalore, the State Governments have, under the relevant Municipal Acts, the power of dissolving or superseding the Corporations and Municipalities in all the States. In Delhi, the power of dissolution or supersession vests in the Central Government.

(c) No Sir, Local Self-Government is a subject included in the State List—Item 5 of List II of the Seventh Schedule to the Constitution of India and the question of rescinding these powers through the amendment of existing laws lies exclusively with the State Legislature.

विश्व हृदय विज्ञान कांग्रेस

1529. श्री बसुमतारी : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व हृदय विज्ञान कांग्रेस भारतीय हृदय-विज्ञान संस्था के तत्वावधान में अक्तूबर-नवम्बर, 1966 में नई दिल्ली में होगी;

(ख) इस कांग्रेस में कितने प्रतिनिधि आ रहे हैं; और

(ग) इसमें भाग लेने वाले देशों के नाम क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : चूंकि इस कांग्रेस में भाग लेने के इच्छुक प्रतिनिधियों से आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तारीख 30 अप्रैल 1966 है अत: इस अवस्था में कितने प्रतिनिधि तथा कौन-कौन से देश भाग लेंगे यह बतलाना संभव नहीं है।

नेफा के लिए कृषि योजना

1530. श्री बसुमतारी : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने नेफा के लिए 1966-67 के लिए कृषि योजना स्वीकृत कर ली है; और

(ख) इसके लिए कितना धन नियत किया गया है?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) 51 लाख रुपयों का नियतन निम्न प्रकार किया गया है:—

		(रुपये लाखों में) व्यय-व्यवस्था
1.	कृषि उत्पादन	15
2.	छोटी सिंचाई	2
3.	पशुपालन	7
4.	वन	26
5.	मछली पालन	1
	जोड़	51

अपर गोदावरी करनजवां परियोजना

1531. श्री मा० ल० जाधव :
श्री कोल्ला वैकैया :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य की अपर गोदावरी करनजवां परियोजना की जांच पूरी हो गई है;

(ख) क्या इस परियोजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में आरम्भ करने की संभावना है; और

(ग) इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है और उसे कितनी केन्द्रीय सहायता दी जायगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) राज्य सरकार ने अनुसन्धान कार्य के पश्चात एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिस में प्रतिस्रोत भूमि और पालखड वीयर का जल प्लावन हो जाएगा। एक परियोजना, जिससे कम जल प्लावन होगा, के लिये वैकल्पिक अनुसन्धान किये गये और महाराष्ट्र सरकार से निकट भविष्य में नई परियोजना रिपोर्ट के प्राप्त होने की सम्भावना है।

(ख) जी, हां।

(ग) परियोजना रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद इस का पता चलेगा।

दिल्ली के लिए तीसरी योजना

1532. **श्री शिव चरण गुप्त** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में दिल्ली के लिए मूल व्यवस्था क्या है;

(ख) पुनरीक्षित व्यवस्था क्या है;

(ग) दिल्ली प्रशासन तथा अन्य अभिकरणों ने अब तक कितनी राशि का उपयोग किया है; और

(घ) कितने लक्ष्य पूरे हुए हैं ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) 83.75 करोड़ रूपये ।

(ख) 98.27 करोड़ रुपये ।

(ग) 1961-65 के दौरान वास्तविक खर्चे की राशि 68.87 करोड़ रुपये है। 1965-66 के खर्चे के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है ।

(घ) योजना आयोग के पास जो सूचना है, उसकी दिल्ली प्रशासन से जांच की जा रही है ।

करारोपण से छूट

1533. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक की स्वीकृति के आधार पर भारत में व्यापारिक संस्थाओं के गैर-निवासियों (नान-रेजीडेन्टस) अथवा उद्योगपतियों द्वारा लगाई गई पूंजी के अर्जित ब्याज को करों से छूट देने के बारे में सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) अ-निवासी व्यक्तियों को, भारत में उद्भूत ब्याज के विषय में आयकर से मिलने वाली कुछ अन्य छूट के अलावा, भारत में व्यापारी-फर्मों अथवा उद्योगपतियों को उक्त व्यक्तियों द्वारा दी गयी रकमों पर ब्याज के विषय में निम्नलिखित छूट भी मिली हुई है ;

(i) जहां भारत में किसी औद्योगिक उपक्रम ने अनिवासी व्यक्ति से भारत से बाहर पूंजी संयंत्र तथा मशीनरी अथवा कच्चा माल खरीदने के लिए ऋण अथवा ऋण-सुविधाएं प्राप्त की हों तो उससे प्राप्त ब्याज की उतनी रकम पर छट मिली हुई है, जितनी रकम भारत सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में स्वीकृत दर से ब्याज की बनती हो;

(ii) भारत में किसी औद्योगिक उपक्रम को किसी अनुमोदित विदेशी वित्तीय संस्था द्वारा उधार दी गयी रकमों पर प्राप्त ब्याज के विषय में छूट;

और कोई छूट देने का सरकार का बिचार नहीं है।

(ख) उद्योगों की ओर से और छूट दी जाने की लिए मांग नहीं की गई है ।

डम्बरू परियोजना, त्रिपुरा

1534. **श्री दशरथ देव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने त्रिपुरा की "डम्बरु परियोजना" को अपनी स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो कार्य पूरे जोर से कब शुरु हो जायेगा; और

(ग) इस परियोजना पर अनुमानतः कितना व्यय होगा?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) कार्य के 1966-67 में पूर्ण रूप से चालू हो जाने की सम्भावना है।

(ग) 309.61 लाख रुपये।

पागलखाने

1535. श्री दशरथ देव : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अनेक पागल व्यक्तियों को भारत की विभिन्न जेलों में रखा जाता है, विशेषतः बिहार में जहां मानसिक रोगों के उपचार के लिए कोई योग्यता प्राप्त डाक्टर नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उन पागल व्यक्तियों को वर्षों तक इन जेलों में क्यों रखा जाता है; और

(ग) उनको मानसिक रोगों के अस्पतालों अथवा पागलखानों में, जहां मानसिक रोगों के विशेषज्ञ डाक्टर हैं, नहीं रखने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) :(क) बिहार सहित कुछ राज्यों में मानसिक रोगियों को तब तक जेलों में रखा जाता है जब तक उन्हें मानसिक चिकित्सालयों में प्रवेश नहीं मिल जाता। ऐसे व्यक्तियों को कुछ समय के लिए अर्थात् तब तक परीक्षणाधीन रखना पड़ता है जब तक वे सचमुच पागल है या नहीं यह जानने के लिए की जाने वाली जांच पड़ताल पूरी नहीं हो जाती। ऐसी लगभग सभी जैलों में योग्यता प्राप्त डाक्टरों द्वारा चिकित्सा के प्रबन्ध रहते हैं। बिहार में कुछ समय साधारण जैलों में रखने के बाद पागलों को या तो हजारीबाग सेन्ट्रल जैल में भेज दिया जाता है या मानसिक चिकित्सालय, कांके, रांचि में। हजारीबाग सेन्ट्रल जैल में पागलों की चिकित्सा के लिए एक विशेष केन्द्र है। यह केन्द्र विशेष योग्यता प्राप्त डाक्टरों की देख-रेख में कार्य करता है।

(ख) और (ग) : उन्माद अधिनियम के अधीन प्रारम्भिक दाखिला जैलों में ही दिया जाता है। मानसिक रोगी तब तक जैलों में रखे जाते हैं जब तक उन्हें मानसिक चिकित्सालयों में भरती नहीं किया जाता है। चूंकि इनमें से कुछ अस्पतालों की वेटिंग लिस्ट लम्बी लम्बी हैं अतः कभी कभी रोगियों को जेल में रहने की अवधि बढ़ानी पड़ती है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को विकेन्द्रित करने तथा बढ़ा देने का विचार है। उन्माद अधिनियम को भी इस प्रकार संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिससे राज्य सरकारों के लिए परीक्षणाधीन मानसिक रोगियों को उपयुक्त स्थान देना अनिवार्य हो जाय।

त्रिपुरा में भूमि से बेदखली

1536. श्री दशरथ देव : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई ऐसी रिपोर्ट मिली है कि त्रिपुरा के आदिम जातियों के बहुत से लोगों को 1962 से 1965 की अवधि के दौरान भूमि से जबरन बेदखल किया गया था;

(ख) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार का इस बारे में आंकड़े इकट्ठे करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) क्या बेदखल किये गये आदिम जातियों के किसानों को उस भूमि पर पुन: बसाने के लिये कोई कार्यवाही की जायेगी जहां से उन्हें जबरन बेदखल किया गया था ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (ग) : आदिम जाति के लोगों की कोई जबरन बेदखली नहीं की गई है। त्रिपुरा भूमि राजस्व और भूमि सुधार अधिनियम 1960 के अनुभाग 15 के अन्तर्गत उन 578 व्यक्तियों को जिन्होंने अनधिकृत रूप से सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा था, को बेदखली के नोटिस जारी किये गये। राजस्व अदालतों द्वारा अपेक्षित जांच-पडताल करने के बाद 323 व्यक्तियों को बेदखली के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इनमें से 286 व्यक्ति वे हैं जो उस अधिक भूमि पर से हटाये गये हैं जिस पर उन्होंने उनके साथ बन्दोबस्त होने के बाद कब्जा किया था, 36 सुरक्षित वनों की भूमि पर कब्जा करने के कारण उस भूमि से और एक व्यक्ति को उस भूमि पर से जिसकी वायरलेस आपरेटरों के लिए क्वार्टर बनाने के लिए आवश्यकता थी। जिन दखलदारों के पास अन्य कोई भूमि न थी या अपर्याप्त भूमि थी, उन्हें दो मानक एकड़ भूमि रखने की इजाजत दे दी गई है। जो झूगियां पुनर्वास सुविधाओं के अधिकारी हैं उन्हें ये सुविधाएं भी प्रदान की गई है।

लक्ष्य बद्ध कर-प्रधान परिवार नियोजन कार्यक्रम

1537. श्री बासप्पा : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में उनके द्वारा कलकत्ते में बयाये गये लक्ष्य बद्ध, 'कर-प्रधान' परिवार नियोजन का अभिप्राय यथार्थ रूप से क्या है; और

(ख) इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) कर का हवाला नहीं दिया गया था। उपयुक्त शब्दावली "कार्य-प्रधान" होनी चाहिये। भारतीय वाणिज्य मण्डल को एक सुझाव दिया गया था कि प्रत्येक संघटक वाणिज्य प्रतिष्ठान, अपने लिए, निर्दिष्ट समय के अन्तर्गत परिवार नियोजन के सम्बन्ध में कतिपय लक्ष्य निर्धारित करे। ये लक्ष्य निश्चित समय पर पूरा किये जाने वाले प्रोत्साहन कार्यक्रम के अलावा वितरित किये गये गर्भ-निरोध उपकरण, वंध्यकरण आपरेशनों की संख्या, कितने लूप (आई० यू० सी० डी०) लगाये गये के हिसाब से होंगे। यह सुझाव दिया गया था कि इस प्रकार के कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप निर्दिष्ट समय के अन्दर जन्मदर काफी घट जायेगी।

(ख) भारतीय वाणिज्य मण्डल और उसके संघटकों ने इस सुझाव को मान लिया और स्वास्थ्य और परिवार नियोजन, स्वास्थ्य मंत्रालय पश्चिमी बंगाल और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सहयोग से कलकत्ता औद्योगिक क्षेत्र के लिए कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं।

इंजिनियरों की कमी

1538. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरों की कमी को देश की आवश्यकतानुसार पूरा करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) : तीसरी पंचवर्षीय योजना के मूल प्रस्तावों के अनुसार इंजीनियरिंग स्नातकों की दाखले की क्षमता 13,820 से बढ़ाकर लगभग 19,140 और डिप्लोमा-धारियों की 25,800 से लगभग 37,390 होनी थी। परन्तु 1962 में आपातकालीन स्थिति के होने से, इन लक्ष्यों को संशोधित कर काफ़ी बढा दिया गया। अब तीसरी योजना के अन्त तक 23,350 इंजीनियरिंग स्नातक और 44,000 डिप्लोमा-धारी

प्राप्त होने की सम्भावना है। चौथी योजना में किफायत की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अधिकांशत: योजना काल में इंजीनियरिंग स्नातकों तथा डिप्लोमाधारियों की आवश्यकता की पूर्ति हो जायेगी। चौथी योजना के दौरान विस्तार करने के अस्थायी प्रस्ताव बनाये गये हैं जिन के अनुसार लगभग 6,800 इंजीनियरिंग स्नातक और लगभग 20,300 डिप्लोमाधारियों की वृद्धि होने की सम्भावना है। कई नये इंजीनियरिंग संस्थान भी खोले जायेंगे। इस प्रकार पांचवीं योजना के दौरान भी किसी प्रकार की खास विषमता उत्पन्न होने की सम्भावना नहीं है। फिर भी, यदि किसी समय इंजीनियरिंग कर्मचारियों की कमी होने की आशंका हुई तो बी० एस० सी० पास वालों के लिए तीन साल के इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में अधिक भर्ती की जायेगी और बी० ए० सी० पास वालों को समुचित संधन प्रशिक्षण देकर उनको डिप्लोमाधारियों के स्थान पर लगाकर स्थिति में सुधार किया जा सकता है। परन्तु इसके साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि गतिशीलता, तकनीकल कर्मचारियों का पूरा उपयोग न करना, निवासस्थान के आधार पर रोजगार देने की सीमाएं तथा अन्य इसी प्रकार के संकीर्ण विचार आदि से कमी आ सकती है, अत: इनसे बचा जाय।

खाद खरीदने के अमरीकी ऋण

1539. श्री दशरथ देव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "ब्लिटज" के 8 जनवरी, 1966 के अंक में प्रकाशित पत्रों की ओर, जिन्हें खाद खरीदने के लिये भारत को 5 करोड़ डालर के अमरीकी ऋण के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी विकास संस्था के मंत्री निदेशक डा० जान पी० लुइस और आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव श्री एस० भूतलिंगम् के बीच हुए पत्र-व्यवहार के पाठ का उद्धरण बताया गया है, दिलाया गया है;

(ख) क्या श्री एस० भूतलिंगम् और डा० जान पी० लुइस के बीच इस प्रकार का पत्र-व्यवहार हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो क्या श्री एस० भूतलिंगम् द्वारा डा० जान पी० लुइस को भेजे गये पत्र में व्यक्त विचार भारत सरकार के विचारों के द्योतक हैं?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) : जी, हां।

(ख) इस सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (यू० एस० एजेंसी फार इण्टरनैशनल डेवलपमेण्ट) और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अर्थ विभाग के बीच जो पत्र-व्यवहार हुआ था उसकी प्रतियां सभा की मेज पर रख दी गयी हैं। **[पुस्तकालय मे रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5680/66]**

(ग) जी, हां।

केरल के लिए सिंचाई योजनाएं

1540. श्री प० कुन्हन : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना में कौन-सी मुख्य सिंचाई योजनाएं शामिल की जायेंगी;

(ख) क्या केरल राज्य के कन्नानूर जिले के नीलेश्वर रेवेन्यू फिरका में कक्कडावा बांध के निर्माण के बारे में केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या योजना मंजूर कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी कार्यान्विति के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। केरल सरकार ने अपने प्राथमिक ज्ञापन में तुर्थ योजना में शामिल करने के लिय किसी भी नई सिंचाई स्कीम का प्रस्ताव नहीं रखा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) तथा (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्र निर्माण सम्बन्धी कार्य

1541. श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या **वित** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय भतदाता परिषद् (मैसूर शाखा) ने प्रस्ताव पारित किया है कि केन्द्रीय सरकार को राष्ट्र निर्माण सम्बन्धी कार्यों पर 51 प्रतिशत खर्च करना चाहिये न कि 19 प्रतिशत जैसा कि इस समय किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय निर्माण सम्बन्धी कार्यों पर खर्च 19 प्रतिशत से बढ़ा कर 51 प्रतिशत करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) केन्द्रीय आय-व्यय से कृषि और सिंचाई पर कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) हालांकि यह सच है कि 1965-66 में राजस्व खाते से जो कुल खर्च हुआ है, उसमें राष्ट्र निर्माणकारी कार्यों का खर्च लगभग 19 प्रतिशत है, पर यह पूरी तस्वीर नहीं है। यदि राजस्व और पूंजी दोनों खातों के विकास सम्बन्धी शीर्षकों के कुल खर्च को हिसाब में लिया जाय, तो यह केन्द्रीय सरकार के राजस्व और पूंजी खाते के, इसी वर्ष के कुल खर्च का लगभग आधा बैठता है।

(ख) सरकार की हमेशा यह कोशिश रहती है कि पंचवर्षीय आयोजनाओं के अंग के रूप में राष्ट्र-निर्माणकारी कार्यों पर होने वाले व्यय में लगातार वृद्धि की जाय।

(ग) अनुमान है कि 1965-66 में कृषि और सिंचाई पर किया जाने वाला कुल व्यय जिसमें राज्यों को आयोजना में शामिल योजनाओं के लिए, दी गयी सहायता भी शामिल है, केन्द्रीय सरकार के राजस्व और पूंजी खातों के अन्तर्गत किये जाने वाले कुल व्यय का लगभग 7 प्रतिशत होगा। अनुमान है कि 1966-67 में यह अनुपात 7·5 प्रतिशत होगा।

अनुभाग अधिकारियों आदि को अग्रिम वेतन वृद्धि

1542. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **वित** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के अनुभाग अधिकारियों को उनके वेतनक्रम के किसी विशेष क्रम पर पहुंचने पर प्रवीणता के आधार पर कुछ अग्रिम वेतन वृद्धियां दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें ये वेतन वृद्धियां किस आधार को ध्यान में रख कर दी जाती हैं; और

(ग) क्या इस प्रकार की अग्रिम वेतन वृद्धियां केन्द्रीय सरकार के अन्य श्रेणियों के असिस्टेंट जैसे कर्मचारियों को, जो अनुभाग अधिकारियों के रूप में काम करते हैं, देने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां।

केन्द्रीय सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों को अग्रिम वेतन-वृद्धियां उस समय दी जाती हैं जब 350—25—500—30—590 दक्षता रोध 30—800 दक्षता रोध 30—830—35—900 रुपये के वेतन मान में उनका वेतन 530 रुपये और 740 होने वाला हो। ऐसा इसलिए किया गया है

कि 1 जुलाई 1959 से अलग-अलग पदक्रम (ग्रेड) समाप्त किये जाने और एक ही पदक्रम बनाये जाने से पदोन्नति (पदक्रम iii से पदक्रम ii में) की सम्भावना न रहने से होने वाली हानि के सम्बन्ध में उनकी क्षतिपूर्ति की जा सके ।

(ख) ऐसा इस आधार पर किया जाता है :

(1) वे व्यक्ति 1 जुलाई 1959 को अनुभाग अधिकारी पदक्रम iii के रूप में काम कर रहे हों और उसी समय से अबाध रूप से अनुभाग अधिकारी की हैसियत से काम करते रहे हों; और

(2) अधिकारियों को "बहुत अच्छा" या इससे ऊपर के वर्ग में रखा गया हो ।

(ग) जी, नहीं । सहायकों (असिस्टैण्ट्स) जैसी श्रेणियों की स्थिति अनुभाग अधिकारियों की श्रेणियों जैसी नहीं है, क्योंकि उनके सबन्ध में पहले भी अलग-अलग पदक्रम नहीं थे ।

अवैध धन के लिए तलाश

1543. श्री कृष्णपाल सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो महिनों में उत्पादन शुल्क तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरों के कर्मचारियों ने अवैध धन की तलाशी के लिये कितने छापे मारे;

(ख) इस बारे में कितने मुकदमे चलाये गये; और

(ग) कितने मामलों में लोगों को सजा दी गई ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) अवैध धन की तलाश के लिये आयकर विभाग द्वारा छापे मारे जाते हैं । हिसाब किताब से बाहर रखी गयी आमदानी का पता लगाने के लिये उस विभाग ने दिसम्बर 1965 और जनवरी 1966 के महीनों में 233 तलाशियां ली ।

(ख) इन तलाशियों के आधार पर अभी तक कोई मुकदमें दायर नहीं किये गये हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तापीय बिजलीघर

1545. श्री मुहम्मद इलियास :

डा० रानेन सेन :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल तथा बिहार की सरकारों द्वारा 10 मैगावाट से अधिक तापीय बिजली-घर तथा 30 किलोवाट से अधिक लाइनों के निर्माण के सम्बन्ध में दामोदर घाटी निगम अधिनियम की धारा 18 का पालन करवाने के सम्बन्ध में, जो कि पिछले कई वर्षों से इस धारा का लगातार उल्लंघन कर रही हैं, भारत सरकार ने क्या निवारक उपाय किये हैं; और

(ख) इस प्रकार के उल्लंघनों तथा अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उल्लंघनों के विरुद्ध समय पर निवारक कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) : अभी तक पश्चिम बंगाल और बिहार की सरकारों ने दामोदर घाटी में ताप बिजली केन्द्रों और पारेषण पथों के निर्माण के सम्बन्ध में, जिन को दामोदर घाटी निगम के ज्ञान से तथा भारत सरकार की स्वीकृति के पश्चात् कार्यान्वित किया गया है, दामोदर घाटी निगम अधिनियम की धारा 18 के उपबन्धों का जानबूझ कर कोई उल्लंघन नहीं किया है । किन्तु, यह खयाल किया गया कि राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में दामोदर घाटी निगम की औपचारिक आज्ञा प्राप्त करेंगी । पश्चिम बंगाल

राज्य बिजली बोर्ड ने दामोदर घाटी निगम को आवेदन-पत्र भेजा है और सन्तालडीह पर बिजली केन्द्र के प्रतिष्ठापन के लिये निगम की स्वीकृति प्राप्त कर ली है। राज्य सरकारों से यह प्रार्थना की गई है कि घाटी में वे अपने अन्य प्रतिष्ठानों के लिये दामोदर घाटी निगम से वैसी ही आज्ञा प्राप्त करें।

दामोदर घाटी निगम का कोनार बांध

1546. श्री मुहम्मद इलियास :

डा० रानेन सेन :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम के कोनार बांध के निर्माण के लिये जो धनराशि मंजूर की गई थी वह बांध स्थल पर एक जल विद्युत् बिजली घर की स्थापना न किये जाने के कारण अप्रयुक्त पड़ी हुई है;

(ख) कनोर बांध स्थल पर जल विद्युत बिजली घर न बनाने के क्या कारण है;

(ग) क्या चौथी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत कोनार बांध-स्थल पर एक बिजली घर निर्माण करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) : कोनार बांध दुर्गापुर बराज के द्वारा बाढ़ नियन्त्रण और सिंचाई की भी आवश्यकताओं को पूरा करता है। कोनार जलाशय से बोकारो ताप बिजली केन्द्र को ठण्डा करने का पानी भी सप्लाई किया जाता है। चूंकि यह ख्याल किया गया था कि कोनार पर उत्पन्न होने वाली पन-बिजली से ताप बिजली सस्ती होगी, इस लिये किसी भी बिजली केन्द्र का निर्माण नहीं किया गया था।

(ग) तथा (घ) : दामोदर घाटी निगम कोनार पर प्रतिष्ठापनार्थ 20 मैगावैट के सैट का एक किफायती अभिकल्प बनाने की सम्भाव्यता की फिर खोज कर रहा है। सम्बन्धित अनुसन्धान किया जा रहा है।

आय-कर का निर्धारण

1547. श्री स० चं० सामन्त :

श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963-64 तथा 1964-65 में कुल कितने मामलों में आयकर निर्धारण किया गया ;

(ख) इनमें से कितने मामलों में निर्धारण के विरुद्ध अपील की गई;

(ग) कितनी अपीलें पूरी तौर पर और कितनी ज्यादा तौर पर मंजूर कर ली गयीं;

(घ) ऐसे कितने अफसर हैं जिनके ज्यादातर निर्धारण अपील में अस्वीकृत किये गये; और

(ङ) क्या ऐसे अफसरों की तरक्की उनके द्वारा किये गये निर्धारण के आधार पर की जाती है अथवा अपीलों के परिणामों को देखकर की जाती है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : पूछी गई सूचना निम्न प्रकार है :—

	63–64	64–65
(क)	14,82,701	18,41,629
(ख)	1,16,746	1,43,157
†(ग)	71,789	72,581

(घ) विभाग द्वारा इस प्रकार का रिकार्ड नही रखा जाता है।

(ड़) पदोन्नतियां वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर की जाती हैं। इन रिपोर्टों को लिखते समय अधिकारी के कर-निर्धारण कार्य के स्तर तथा गुण का विवेचन उसके द्वारा प्रयुक्त कानून तथा लेखा सबन्धी ज्ञान, जांच-पड़ताल करने की क्षमता, कार्य-निकास उत्साह, उपक्रम, निर्णय और औचित्य-भावना को दृष्टि में रख कर किया जाता है।

पम्पो को क्रियाशिल बनाना

1548. डा० महादेव प्रसाद : क्या **सिचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : ऐसे कितने पम्प लगाये गये थे जिनसे पानी ऊपर चढ़ाकर सिचाई की जाती है और जो चालू योजना के अन्त तक बिजली न मिलने के कारण काम नहीं कर पाये हैं और उन्हें क्रियाशील बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सिचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : पूर्ण जानकारी तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के पश्चात् ही उपलब्ध होगी। आठ राज्यों ने सूचना दी है कि बिजली की कमी के कारण उठान सिचाई के लिये किसी भी पम्प के बेकार पड़े रहने की संभावना नहीं है यदि वे वर्तमान पारेषण पथों से दूर नहीं है।

कोयला क्षेत्र में अति-तापीय बिजली घर

1549. डा० महादेव प्रसाद : क्या **सिचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार-पश्चिम बंगाल कोयला क्षेत्र में एक अति-तापीय बिजली-घर बनाने का प्रस्ताव त्याग दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश राज्य को ऋण

1550. श्री हुकम चन्द कछवाय:

डा० चन्द्रभान सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि जिन क्षेत्रों में अभाव की स्थिति फैली हुई है, उनकी सहायता कार्य के लिये धन की व्यवस्था करने हेतु राज्य सरकार को दो करोड़ रुपये की मागोपाय अग्रिम राशि दी जाये; और

†(ऐसी अपीलों के अलग आंकड़े नहीं रखे जाते है जो "लगभग स्वीकृत" होती है। (ग) में दी गई संख्याओं में आंशिक रूप से स्वीकार की गई अपीलें भी शामिल हैं)

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी सहायता दी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) : जी, हां।

(ख) : ऋण के रूप में, अभी तक 1 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है।

केरल में मध्यम सिंचाई योजनायें

1551. श्री मुहम्मद कोया : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में हाल की खाद्यान्न की अत्याधिक कमी को दृष्टि में रखते हुये केरल के लिये कौन कौन सी मध्यम सिंचाई योजनायें मंजूर की गई है;

(ख) क्या मंजूर योजनाओं में कूट्टायी नमक निकालने की परियोजना भी शामिल है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) तृतीय योजना के अन्तिम दो वर्षों में ये मध्यम सिंचाई योजनाएं अनुमोदित की गई :—

(1) पम्बा
(2) कांजीरापुज्हा
(3) कुट्टियाडी
(4) चित्तूरपुज्हा (भाग क)
(5) पजहासी (वालापट्टनम)
इसके अतिरिक्त कालाडा जो सिंचाई की एक बड़ी परियोजना है हाल ही में अनुमोदित की गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह परियोजना तीसरी योजना में शामिल नहीं है।

अंतर्राज्य सिंचाई योजनाएं

1553. श्री मलाइछामी : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

(क) क्या मद्रास राज्य से संबंधित ऐसी कोई अन्तर्राज्य सिंचाई योजनायें हैं जिन पर योजना आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो वे योजनायें क्या हैं और उन पर अभी तक निर्णय क्यों नहीं किया गया, और उनको कब क्रियान्वित किया जाएगा ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मद्रास में सिंचाई योजनाएं

1554. श्री मलाइछामी : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य की कोई बड़ी, मध्यम अथवा छोटी सिंचाई योजनायें ऐसी है जिनकी मंजूरी अभी तक योजना आयोग द्वारा नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन सी योजनायें हैं और उन की मंजूरी अभी तक क्यों नहीं दी गई; और

(ग) उनकी क्रियान्विति के लिये मंजूरी कब दी जायेगी ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी हां। 25-2-1966 से दो मध्यम सिंचाई योजनाएं योजना आयोग की मंजूरी के लिये लम्बित हैं।

(ख) ये योजनाएं रामनाधी और मणीमुक्तानाधी हैं। इनका अनुमोदन सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण और विद्युत परियोजना सम्बन्धी सलाहकार समिति ने करना था जो कि 25-2-66 को कर दिया गया है।

(ग) इन योजनाओं की कार्यान्विति, सम्बन्धी योजना आयोग की स्वीकृति राज्य सरकार को शीघ्र ही भेज दी जायेगी।

सम्पदा निदेशालय, नई दिल्ली द्वारा मकान खाली कराने के नोटिस

1555. श्री प्रिय गुप्त :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मुहमद इलियास :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री 9 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2206 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है, जिनमें नई दिल्ली में "सामान्य पुंज आवास" के अन्तर्गत सरकारी क्वार्टरों के अलाटियों को (एक) क्वार्टरों को आगे किराये पर उठाने के आरोप में, और (दो) "सामान्य पुंज आवास" के हकदार न रहने के पश्चात् क्वार्टर खाली न करने के कारण सम्पदा निदेशालय द्वारा क्वार्टर खाली करने के नोटिस दिये गये थे;

(ख) इनमें से कितने अलाटियों ने निर्धारित अवधि में अपीलें दायर कीं और उनमें से कितनी अपीलें नोटिस की अवधि के भीतर ही निबटाई गई; और

(ग) क्या लोगों से नोटिस की अवधि के समाप्त हो जाने के पश्चात्, की अवधि के लिये, जबकि उनकी अपीलें अभी निबटाई नहीं गई, दण्ड स्वरूप किराया लिया जाता है और क्या अलाटियों को पहले से ही यह चेतावनी दे दी जाती है कि नोटिस की अवधि समाप्त हो जाने के तुरन्त पश्चात् उनसे दण्ड स्वरूप किराया लिया जायेगा, चाहे उनकी अपीलें तब तक निबटाई न गई हों; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगर विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) 1 जनवरी 1965 से 31 जनवरी 1966 की अवधि के दौरान पहले आधार पर कोई नोटिस नहीं दिया गया। दूसरे आधार पर 386 मामले थे।

(ख) 18 मामलों में, अदालत में अपील दायर की गयी। इनमें से अब तक 11 अपीलों का निपटान किया जा चुका है।

(ग) नियमों के अन्तर्गत, आवंटी उस तारीख से हर्जाना देने के लिए उत्तरदायी हो जाता है जिस तारीख से उसका आवंटन रद्द हो जाता है अथवा रद्द समझा जाता है, और यह उत्तरदायित्व तब तक बना रहता है जब तक कि आवंटन रद्द करने के आदेश सक्षम प्राधिकारी के द्वारा वापस नहीं ले लिए जाते अथवा अदालत के द्वारा उन्हें रद्द नहीं कर दिया जाता। अनधिकृत रूप से रहने वाले व्यक्तियों को हर्जाना देने के उत्तरदायित्व की सूचना (आवंटन) रद्द करने के आदेशों के द्वारा दे दी जाती है।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने तथा स्थगन प्रस्तावों के बारे में

RE : CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE AND MOTIONS FOR ADJOURNMENT

आसाम के मिजो ज़िले में स्थिति

उपाध्यक्ष महोदय : मिजो पहाड़ी जिले के विद्रोही आदिम जाति लोगों के विद्रोह के कारण वहां के प्रशासन के भंग हो जाने के फलस्वरूप वहां जो स्थिति निर्माण हुई है उसके बारे में छः ध्यान दिलाने वाले नोटिस और पांच स्थगन प्रस्तावों के नोटिस प्राप्त हुए है। क्या गृह कार्य मंत्री इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : कल गृह-कार्य मंत्री ने इस बारे में सविस्तर वक्तव्य प्रस्तुत किया था। उसके उन्होंने कहा था कि हम हिंसा की कार्यवाहियां सहन नहीं करेंगे। और उसे पूरी तरह दबा दिया जायेगा। सेना को स्थिति सम्भालने के लिए कह दिया गया है। सेनाओं को हेलिकाप्टर द्वारा एजल भेजा जा रहा है। सेना और पुलिस वहां के असैनिक प्रशासन का पूर्ण समर्थन करेगी, और जब तक आवश्यक होगा वहां रहेगी।

श्री हरि विष्णु कामत (हौशंगाबाद) : मिजों राष्ट्रीय मोर्चे द्वारा स्वतन्त्रता घोषित कर देने के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : कल मंत्री महोदय ने कहा था कि आसाम के मिजों जिले में स्थिति पर पूर्ण नियन्त्रण में है, परन्तु बाद की घटनाओं से यह बात गलत सिद्ध हुई है। जहां तक मेरी जानकारी है, उन्होंने सारे संचार साधन काट दिये हैं और अधिकारियों का अपहरण कर लिया गया है। और समुद्री रेडियों द्वारा सारे संसार भर में यह खबर दे दी गयी कि मीजोलैंड को पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त हो गयी है। रास्ते भी वहां सारे बन्द हैं। यह मिजो लोग भारत से अलग होना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि भारत की एकता को दृष्टि में रख कर उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnore) : As the Government have failed to control the administration of Mizo, I seek the permission of the House for discussion on the failure of the Government.

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रस्ताव के पक्ष में 50 व्यक्ति है, अतः इस प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी जाती है। हम इस पर चार बजे चर्चा करेंगे। यदि सम्भव न हुआ तो किसी और दिन ले लेंगे।

बम्बई कपडा मिलों के कर्मचारियों की हड़ताल और दिल्ली क्लाथ मिल, दिल्ली के प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच विवाद के बारे में

RE : BOMBAY TEXTILE WORKERS STRIKE AND DISPUTE BETWEEN MANAGEMENT AND LABOUR IN D.C.M., DELHI

उपाध्यक्ष महोदय : बम्बई कपड़ा मिलों के मजदूरों की हड़ताल की बात भी आई थी। क्या श्रम मंत्री इस बारे में कोई वक्तव्य देंगे ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : हमने किसी प्रकार के आदेश देने की कोई जरूरत नहीं समझी। यह मामला राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है। वैसे राज्य सरकार इस मामले पर विचार भी कर रही है।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता, मध्य) : बम्बई की हड़ताल का सम्बन्ध हमारे राष्ट्रीय हितों से है। यह ठीक है कि मामला राज्य सरकार के निपटाने का है, फिर 20,000 मजदूर हड़ताल पर है और हमें यह अधिकार है कि इस विषय पर चर्चा करे।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मैं काफी हैरान हुआ कि मंत्री महोदय इस तरह उत्तर दे रहे हैं। आपात में वैसे भी यह उत्तरदायित्व केन्द्र सरकार पर आता है कि किसी भी प्रकार से उत्पादन कम न हो। कपड़ा आयुक्त तो केन्द्रीय सरकार ही नियुक्त करती है। हो सकता है कि विधि और व्यवस्था का मामला महाराष्ट्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है, परन्तु यहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है मामला केन्द्रीय सरकार का ही है।

श्रीमती सावित्री निगम (बांदा) : 60 कपड़ा मिलें बन्द हो गयी है, मामला वास्तव में बड़ा गम्भीर है। कपड़ा आयुक्त भी केन्द्रीय सरकार नियुक्त करती है, परन्तु इसके साथ ही कपड़ा परामर्ष समिति भी है, जिसकी मैं भी सदस्या हूं। उत्पादन का सम्बन्ध तो सारे देश से है। अतः मेरा निवेदन यह है कि मंत्री महोदय को इस मामले पर यही विचार करना चाहिए। हम निर्यात चाहते हैं और उसका उत्पादन से सम्बन्ध है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I admit as far as the law order aspect of this incident is concerned, it comes under the jurisdiction of the State Government. But look at from the point of view of the production, it is definately the responsibility of the Centre. Under the Emergency powers conferred upon the Government under article 353 of the Constitution the responsibility is there of the Central Government. We should have the opportunity to discuss this matter here.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) इस मामले को हम गत पाच छः दिनों से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। दो लाख आदमी बेकार हो रहे हैं। मामला लाभांश के बारे में विवाद का है और लाभांश अधिनियम के अन्तर्गत यह केन्द्र की जिम्मेदारी है। श्रम का मामला भी समवर्ती सूची में आता है। कपड़ा भी केन्द्र का विषय है।

यह खेद की बात है कि सरकार हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है और इतनी बड़ी घटना से कोई शिक्षा ग्रहण करना नहीं चाहती। अनुच्छेद 353 के अन्तर्गत संघ सरकार इस प्रकार के मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। परन्तु शायद हमारी केन्द्रीय सरकार और महाराष्ट्र सरकार बड़े बड़े कारखानें वालों से डरती है और उन्हें नाराज नहीं करना चाहते। यह वे ही लोग हैं जिनसे लाखों रुपया चुनावों में इन्हें मिलता है। मैं यह चाहता हूं कि केन्द्र द्वारा हस्तक्षेप करना चाहिए। ऐसा न हो कि यह और स्थानों पर फैल जाय।

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर) : श्रम मंत्री ने ठीक ही कहा है कि मामला महाराष्ट्र सरकार को ही हल करना चाहिए।

श्री का० ना० पांडे (हाटा) : मेरे विचार में यह मामला राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है। परन्तु श्रम मंत्री को यह बताना चाहिये कि वह इस बारे में वक्तव्य दे यह हड़ताल उचित अथवा नहीं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : I wonder why the Labour Minister does not want to take any action when about 15,000 labourers are on strike. There are also strikes going in other important cities, nobody cares about the demands of the labour. Bonus is a Central Subject and everybody is talking about that.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : इस विषय पर चर्चा की मांग की जा रही है, और सदन के विभिन्न वर्ग इसके लिए कह रहे हैं। यदि हम बम्बई की हड़ताल पर विचार नहीं कर सकते तो यह प्रशासन पर भारी धब्बा है। एक तरफ तो पृथकता के विरुद्ध जहाद किया जाता है और दूसरी ओर सरकार की अयोग्यता के कारण पृथकता को बढ़ावा मिल रहा है।

श्री सत्य नारायण सिंह : हमें कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये जो कि गलत आरोपों पर आधारित हो जैसे कि सरकार पूंजीपतियों से मिली हुई है।

श्री जगजीवन राम : हमारी प्रशासन व्यवस्था संघीय है, हमें कुछ काम राज्यों को देने होते हैं। यह सब हमारे संविधान के अनुसार ही है। उसके अनुसार के अनुसार केन्द्र और राज्यों को अलग अलग विषय दिये गये है। श्रम को भी दो भागों में बांटा गया है। एक प्रकार श्रमिक ऐसे हैं जो कि केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी के अन्तर्गत है और दूसरे प्रकार के श्रमिक का मामला राज्य सरकार के अन्तर्गत होता है। कपड़ा उद्योग के सम्बन्ध में मजदूर प्रश्नों के मामलें में राज्य सरकार ही कार्यवाही करती हैं। जहां तक कपड़े मिल के मजदूरों की मांग का सम्बन्ध है। इनकी विभिन्न मांगों में से एक मांग बोनस देने की है तथा बम्बई कपड़ा मिलों के मजदूर बहुधा इसी कारण से चित्रित हैं। बोनस भुगतान अधिनियम को इसी सभा ने पारित किया था। परन्तु यह भी हमें याद रखना चाहिये कि उस अधिनियम को पारित करते समय संसद सदस्यों ने ही यह उपबन्ध रखे थे कि राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के उद्योगों के बारे में राज्य सरकार ही जिम्मेदार होनी चाहिये। इस अधिनियम में यह व्यवस्था है कि यदि मालिक बोनस अधिनियम के अन्तर्गत उपबन्ध के अनुसार बोनस अदा नहीं करते तो अधिनियम में रखे गये उपबन्धों के अनुसार ही कार्यवाही भी हो सकेगी। इसी अधिनियम में इस बात की भी व्यवस्था है कि यदि मालिक मजदूरों को समय पर बोनस का भुगतान नहीं करते तो मजदूरों को क्या कदम उठाने चाहिये।

इस सम्बन्ध में बात यह है कि दीपावली पर बम्बई के कपड़ा उद्योग कों श्रमिकों को 1963 का बोनस दिया गया था। लगभग तभी 1964 का बोनस भी देय था। कपड़ा उद्योग ने महाराष्ट्र सरकार को लिखा कि क्योंकि 1963 के लिए 4.1 करोड़ रुपया बोनस दिया गया है, इस लिए उद्योग इस समय 1964 का बोनस देने की स्थिति में नहीं है। अतः उन्होंने अवधि बढ़ाए जाने की प्रार्थना की है इसकी व्यवस्था अधिनियम में भी है। महाराष्ट्र सरकार ने समय समय पर अवधि बढ़ा कर यह अवधि 28 फरवरी, 1966 तक कर दी। श्रमिक 1964 के बोनस के भुगतान के लिये, जो कि देय था, टीक ही आग्रह कर रहे थे।

इसी बीच में यह घटना घटी कि राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ ने समझौते के लिए आवेदन पत्र दिया। 1964 के बोनस के बारे में सारा मामला अधिनियम के उपबन्धित कानून की मशीनरी के विचाराधीन था। अतः महाराष्ट्र सरकार को अवधि और बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में जो बात विचार करने योग्य थी वह यह है कि जब विवाद औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत

[श्री जगजीवन राम]

उपबन्धित मशीनरी के विचाराधीन है तब ही यह अवैध कार्यवाही उचित थी कि नहीं। कपड़ा उद्योग के श्रमिकों ने 28 फरवरी से हड़ताल आरम्भ कर दी। श्रमिकों ने ग्यारह कारणों से हड़ताल की है, परन्तु मुख्य कारण तो बोनस का है जो कि समझौता अधिकारी के विचाराधीन है।

यह सारी स्थिति है, जो कि मैंने तथ्यों के आधार पर बताई हैं। दिल्ली की हड़ताल के बारे में भी कुछ बातें कही गयी है, इस बारे में भी मैंने प्रयास किया है कि मजदूर हड़ताल तोड़ दे। मेरे प्रयास सफल नहीं हुए है। अब मैं अपने अधिकारों का प्रयोग करूंगा। इसे अब मैं पंच फैसले के लिए पेश कर दूंगा। मेरा कहना है कि श्रम समवर्ती विषय है, परन्तु कई एक मामलों में राज्य सरकार ही इस दिशा में उपयुक्त प्राधिकार हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : आपात काल में आप उन्हे अनुच्छेद 353 के अन्तर्गत परामर्श दे सकते हैं।

श्री जगजीवन राम : हमारे पास मामला तब ही आयेगा जब कि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाये कि राज्य सरकार ने सम्बद्ध अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही नहीं की है। हम संतुष्ट हैं कि महाराष्ट्र सरकार बोनस भुगतान अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत यथासंभव कार्यवाही कर रही है। अतः हमारे द्वारा बम्बई सरकार को निदेश दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री मुहम्मद इलियास (हावडा) : माननीय मंत्री ने बताया है कि यह केवल बोनस की मांग के बारे में है। परन्तु ऐसा नहीं है। मुख्य मांग बोनस के लिये नहीं है। मजूरी में कमी का मामला भी है। जब मंत्रिमंडल के सब मंत्री अपने वेतन में 10 प्रतिशत कटौती को, जिसे वे राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में देते थे, अब बन्द कर रहे हैं, तो बम्बई में कपड़ा-मिलों के श्रमिकों की मजूरी में कटौती को वे किस प्रकार उचित ठहरा सकते है? कटौती बन्द होनी चाहिये।

श्री शर्मा कहते हैं कि राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ वास्तविक प्रतिनिधि संघ है यदि ऐसा है तो हड़ताल क्यों नहीं रोकी जा सकी। इस मामले मे केन्द्रीय सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिये क्योंकि महाराष्ट्र सरकार इस समस्या को हल करने में असमर्थ रही है। यदि केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी तो दूसरे उद्योगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा।

श्री याज्ञिक (अहमदाबाद) : श्रम मंत्री ने बोनस के बारे में कहा है परन्तु मुख्य प्रश्न महंगाई भत्ते में कटौती किये जाने का है। यह भत्ता कई बार हड़ताल करने के बाद मिला था।

श्री जगजीवन राम : मैं ने कहा है कि कई और भी मांगे हैं। उनमें से मुख्य बोनस की मांग है। जहां तक महंगाई भत्ते का प्रश्न है मेरा मत है कि श्रम अदालत जिसको कि यह मामला सौंपा गया है इसके लिये राज़ी नहीं होगी।

सभा-पटल पर रखा गया पत्र

PAPER LAID ON THE TABLE

सरकारी बचत-पत्र नियम, 1965

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं सरकारी बचत-पत्र अधिनियम, 1959, की धारा 12 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत सरकारी बचत-पत्र नियम, 1965, जो दिनांक 16 दिसम्बर, 1965, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1889 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 5665/66]**

ध्यान दिलाने की सूचना के बारे में (प्रश्न)

RE : CALLING ATTENTION NOTICE—(Query)

उपाध्यक्ष महोदय : अब रेलवे आयव्ययक, 1966-67 पर सामान्य चर्चा पुनः आरम्भ होगी।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Yesterday you had promised to give your decision on matters relating to Rajasthan.....

Mr. Deputy Speaker : That matter is over now. Your friend met me and I had a discussion with him in regard to this matter. I stick to the rule.

Dr. Ram Manohar Lohia : My friend says that no agreement could be reached. I only want to tell you a rule.....

उपाध्यक्ष महोदय : कल कुछ माननीय सदस्य मुझे से मिले थे और हम ने इस मामले पर बात-चीत भी की थी। माननीय सदस्य संतुष्ट हो गये थ और उन्होंने कार्यवाही भी की है। मैं इस मामले पर अब और अधिक चर्चा किये जाने की अनुमति नहीं दे सकता। इस में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

Shri Bagri (Hissar) : I have a point of order under rule 197.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कोई व्यवस्था को प्रश्न नहीं सुनता।

श्री श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : सभापति महोदय व्यवस्था के प्रश्न को तब तक नामंजूर नहीं कर सकते जब तक वह उसे सुन न लें। सभा की कार्यवाही को आदर किया जाना चाहिये। आप नियमानुसार और ठीक कार्य नहीं कर रहे।

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : I had given a calling attention notice regarding famine conditions in Rajasthan, Punjab, Maharashtra, and Uttar Pradesh. People are living on grass there.

उपाध्यक्ष महोदय : वह नामंजूर कर दिया गया है।

Shri Bagri : I may be permitted to lay on the Table the grass which people are eating there to keep themselves alive.

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप ऐसा ही करते रहेंगे तो मुझे आपको सभा से बाहर चले जाने के लिये कहना पड़ेगा।

रेलवे आयव्ययक, 1966–67—सामान्य चर्चा—(जारी)

RAILWAY BUDGET, 1966-67—GENERAL DISCUSSION—(*Contd.*)

श्री नि० रं० नास्कर (करीमगंज) : मैं कल भारतीय रेल विभाग के स्वावलम्बी होने के बारे में कह रहा था। रेल विभाग को उस सम्बन्ध में जो यत्न करने चाहिये उस से कम कर रहा है। मैं चाहता हूं कि चौथी पंच वर्षीय योजना के समाप्त होने तक रेल विभाग इतना स्वावलम्बी हो जाय कि कम से कम उसकी आवश्यकताओं के लिये आयात न करना पड़े। देश की आर्थिक प्रगति तथा विकास के लिये स्वावलम्बन बहुत ज़रूरी है।

[श्री नि० रं० नास्कर]

कुछ वस्तुओं पर जो अधिभार लगाया गया है उस से मूल्यों में और भी वृद्धि होगी और अन्ततः उपभोक्ता को इसका भार उठाना पड़ेगा। देश इस समय बढ़ते हुये मूल्यों के संकट का पहले ही सामना कर रहा है। मालभाड़ पर अधिभार लगाने से मूल्यों के बढ़ने की प्रवृत्ति होगी। अतः रेल मंत्री महोदय जब इस चर्चा का उत्तर दें तो इस सम्बन्ध कुछ रियायतें घोषित करें।

रेल विभाग के पास समुचित साधन और आर्थिक स्थायित्व हैं। रेल विभाग जनता को अधिक से अधिक लाभ दे सकता है। अतः उसको देश के विकास तथा आर्थिक प्रगति के लिये नये क्षेत्रों की तलाश करनी चाहिये। आजकल रेल विभाग उन क्षेत्रों का विकास करने में लगा हुआ है जहां नये उद्योग चालू किये जा रहे हैं या जहां अधिक उद्योग हैं या जहां कच्चा मूलभूत कच्चा माल मिलता है। इस के साथ साथ देश में कई क्षेत्र ऐसे हैं जिन में आसाम और केरल भी शामिल हैं जहां नई लाइन खोलने, अथवा दूहरी लाइन करने इत्यादि की आवश्यकता है। रेल विभाग को इन क्षेत्रों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिये। जहां तक रेलों का सम्बन्ध है, आसाम बहुत ही पिछड़ा हुआ है। अभी हाल में वहां दो या तीन नई परियोजना प्रारम्भ की गई हैं। एक बड़ी लाइन जोगीधोपा तक है और दूसरी मर्कींग सेलेक तक है जहां घने जंगल हैं। इस जंगल का आर्थिक विदोहन किया जा रहा है। पिछले वर्ष रेल मंत्री ने कहा था कि हालांकि आसाम में कुछ रेलवे लाइनों से लाभ नहीं हो रहा है फिर भी वहां नई लाइनें खोली जायगी क्योंकि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जब तक पर्याप्त यातायात नहीं होता नई रेल लाइनों का निर्माण नहीं किया जायेगा। वास्तव में जब तक रेल लाइनें नहीं होंगी यातायात नहीं बढ़ेगा। अतः आसाम में नई लाइनों के खोले जाने की परियोजनाओं को पूर्व-प्राथमिकता दी जायेगी। मैं चाहता हूं कि, चौथी योजना में बड़ी लाइन को जोगीधोपा से गौहाटी तक बढ़ाने और छोटी लाइन को धर्मनगर से अगरताला तक बढ़ाने का कार्य पूरा होना आवश्यक है।

गारो पहाड़ियों तक जहां खनिज तथा वनों का विदोहन किया जा सकता है, रेल लाइन बढ़ाई जानी चाहिय। मनीपुर राज्य एक ऐसा राज्य है जो रेलवे के नकशे पर नहीं है। कम से कम सिलचर रेल पर्यन्त से एक लाइन मनिपुर के गिरिपीठ तक ले जाई जा सकती है।

गौहाटी से डिबरूगढ़ तक जाने वाली बड़ी लाइन को और अधिक बढ़ाने के लिये भी मांग है क्योंकि वर्तमान लाइन नौगौना, जोरहाट और शिवसागर जैसे महत्वपूर्ण नगरों से होकर नहीं जाती है। अतः इन नगरों होकर रेल लाइन ले जाने के लिये डिबरुगढ़ तक एक वकल्पिक लाइन डाली जानी चाहिये।

मेरे क्षेत्र में एक डाक गाड़ी तथा दो या तीन एक्सप्रेस गाड़ियां चलती हैं। यहां कोई जनता गाड़ी नहीं चलती। पिछले वर्ष भी मैं ने एक जनता गाड़ी की मांग की थी परन्तु यह उत्तर दिया गया था कि लाइनों में इतनी क्षमता नहीं है कि जनता गाड़ी चलाई जा सके। अब लाइनों के लिये अच्छा मशीनी सामान मिल जाने पर जनता गाड़ी का चलाया जाना संभव हो सकता है।

इस के अलावा काचर ज़िले से गौहाटी तक तेज़ व सीधी गाड़ी के लिये भी बड़ी पुरानी मांग है परन्तु अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह होना चाहिये।

चूंकि लोग लम्बी यात्रा डाक गाड़ियों और एक्सप्रेस गाड़ियों से ही अधिक करते हैं, कम से कम उन गाड़ियों को ठीक समय पर चलाया जाना चाहिये।

तीसरे दर्जे के शयन-यान अब अधिक लोक-प्रिय होते जा रहे हैं। छोटी लाइन पर तीन-टायर वाले डिब्बों में यात्रा में बड़ी कठिनाई होती है। अतः कम से कम छोटी लाइन पर दो-टायर डिब्बे चलाये जाने चाहिये।

मेरे इलाक़े में कुछ उपद्रवी तत्व रेल लाइन को उड़ा देते हैं और निर्दोष व्यक्तियों की जान चली जाती है। अतः एक पामलेट इंजिन पर्याप्त शस्त्र लेकर गाड़ियों के आगे आगे चलाया जाय ताकि यात्री अपनी सुरक्षा महसूस करें।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : रेल मंत्री ने कहा है कि नमक और कोयले पर माल भाड़ा बढ़ाने से मूल्यों पर कोई महत्वपूर्ण असर नहीं पड़ेगा। परन्तु व्यापारी किसी हिसाब और अनुपात से मूल्यों में वृद्धि नहीं करते। वे तो मौक़ा पा कर एक दम मूल्य बढ़ा देते हैं। 800 किलोमीटर से अधिक फ़ासले पर नमक के लाने-लेजाने पर माल भाड़ा बढ़ाने के कारण व्यापारी अवश्य ही नमक का मूल्य बढ़ा देंगे। नमक पर माल भाड़ा बढ़ाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

बम्बई, कलकत्ता और मद्रास को छोड़ कर अन्य स्थानों पर सीज़न टिकिटों की दरों में कमी की गई है जिसके कारण इन शहरी इलाक़ों के ग़रीब दैनिक यात्रियों को वर्तमान बजट से होने वाले लाभ से वंचित रखा गया है। मंत्री महोदय को चाहिये कि हावड़ा से सियालदह के बीच चलने वाले यात्रियों के मासिक टिकिट की दर में कमी करें और इसी प्रकार मद्रास और बम्बई में भी सीज़न टिकिटों की दर में कमी कर के वहां के यात्रियों को भी लाभ पहुंचाया जाये।

रेल यात्रियों की सुख सुविधाओं के लिये जिस धन की व्यवस्था की जाती है वह निर्धारित समय में खर्च नहीं किया जाता। मेरे चुनाव क्षेत्र में एक हरियालपुर नाम का स्टेशन है जहां एक उपरिगामी पुल बनाने के लिये बहुत दिनों पहले मंजूरी दे दी गई थी परन्तु जनता तथा मेरे द्वारा बारबार अभ्यावेदन करने पर भी अभी तक उस पुल का निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ है। इसी प्रकार से रामपुर के जी० टी० रोड स्टेशन पर भी पुल बनाने की मंजूरी होने पर भी अभी तक निर्माण कार्य शुरु नहीं किया गया है।

बन्देल-नैहाटी क्षेत्र में विद्युतीकरण हो जाने के कारण बन्देल रेलवे स्टेशन का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। बन्देल स्टेशन का ढांचा बदला जाना चाहिये। रेल मंत्री कृपया इन कार्यों को शीघ्र पूरा करेंगे।

हावड़ा से अद्रा होकर पुरुलिया तक जाने वाली बडी महत्वपूर्ण लाइन है। वहां एक गाड़ी सुबह और एक शाम को चलती है। कम से कम एक 'अप' और एक 'डाउन' गाड़ी और चलाई जानी चाहिये ताकि बढ़ते हुए यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

पुरुलिया से अद्रा होकर आसनसोल तक जो लाइन है उस पर एक या दो गाड़ियां चलती हैं और वे गाड़ियां केवल दो या तीन डिब्बे वाली ही होती हैं जिस के परिणामस्वरूप पुरुलिया के लोगों को हावड़ा हो कर ही पश्चिमी बंगाल के इस क्षेत्र में आना पड़ता है। यह रास्ता जो पुरुलिया से आसन्सोस हो कर जाता है काफी छोटा है परन्तु गाड़ियों की कमी के कारण इसका लाभ नहीं उठाया जा सकता। यहां भी एक अप और एक डाउन गाड़ी और चलाई जानी चाहिये। अतः मैं रेल मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि कटावा होकर हावड़ा फ़रक्का लाइन पर एक गाड़ी हावड़ा से फरक्का तक और फरक्का से हावड़ा तक और चलाई जाये। इस से इस रास्ते पर भीड़ भाड़ कम हो जायेगी।

लोग बहुत दिनों से हावड़ा-वर्द्धमान और हावड़ा-तारकेश्वर क्षेत्र पर भीड़ भाड़ ख़त्म करने के लिये आन्दोलन कर रहे हैं। विद्युत गाड़ियों के आ जाने पर भी अभी तक दो-एकक गाड़ियां चल रही हैं। मेरा सुझाव है कि तीन-एकक गाड़ियां चलाई जायें ताकि अधिक लोग यात्रा कर सकें।

बम्बई क्षेत्र में जितनी गाड़ियां हैं उसके मुक़ाबले में हावड़ा-सियालदह क्षेत्र में कम गाड़ियां हैं। बम्बई में लोगों को गाड़ी के लिये 10-15 मिनट से अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती परन्तु हमारे क्षेत्र में आधे घंटे से भी अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। पहले कहा गया था कि विद्युतीकरण के

[श्री दीनेन भट्टाचार्य]

पश्चात् अधिक गाडियां चलेंगी परन्तु अभी तक गाड़ियों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है। मेरा आग्रह है कि हावड़ा-वर्द्धमान जीवा लाइन पर और डानकुनि से सियालदह तक कलकत्ता जीवा लाइन पर अधिक गाड़ियां चलाई जायें।

मेरे इलाक़े में गांव के लोग रोज़ाना हरी सब्ज़ियां रेल द्वारा शहरी क्षेत्रों को ले जाते हैं और उन्हें इन सब्ज़ियों के लिये बहुत अधिक माल भाड़ा देना पड़ता है। मैं आग्रह करता हूं कि सब्ज़ियों पर माल भाड़े में कुछ रियायत दी जानी चाहिये।

अब मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस प्रश्न को पहले भी उठाया गया है। सरकार ने अभी तक हावड़ा-आमता और हावड़ा-शियाखाला हलकी रेलवे लाइन को अपने हाथ में नहीं लिया है। इसी प्रकार दिल्ली-शाहदरा हलकी रेलवे लाइन को भी ग़ैर-सरकारी कम्पनी चला रही है। यह कम्पनियां लोगों की सुविधाओं की ओर कोई ध्यान नहीं देतीं। अतः सरकार को इनका नियंत्रण शीघ्र अपने हाथ में ले लेना चाहिये। इन रेलों में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को भी अन्य रेल कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के स्तर पर लाना चाहिये आपात के शुरु होने के समय से यहां कर्मचारियों के कार्य का समय बढ़ा दिया गया है और अतिरिक्त समय भत्ता भी नहीं दिया जाता। उनका वेतन भी दूसरे रेल कर्मचारियों की अपेक्षा कम है। अतः इनकी सेवा की शर्तों में सुधार किया जाना चाहिये और अन्य रेलों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के स्तर पर लाना चाहिये।

अब मैं रेल कर्मचारियों की कुछ समस्याओं के सम्बन्ध में कहूंगा। हावड़ा डिवीज़न के कमर्शियल क्लर्कों की वरिष्ठता की सूची अभी तक ठीक से नहीं बनाई गई है। वे चाहते हैं कि नियुक्ति की तिथि के आधार पर वरिष्ठता की सूची बनाई जाये। क़रीब 500 से 600 क्लर्कों की पदोन्नति इस कारण नहीं हो रही है कि वरिष्ठता की सूची उनकी नियुक्ति की तिथि के आधार पर नहीं बनाई गई है। यदि वरिष्ठता नियुक्ति की तिथि के आधार पर न बना कर किसी और तरीक़े से बनाई जायेगी तो यह बड़ा अन्याय होगा। रेलवे बोर्ड ने टी०ए० परीक्षा को सब क्षेत्रों में समाप्त कर दिया है परन्तु हावड़ा डिवीजन में अभी तक चल रहा है। पहले टी०ए० परीक्षा पदोन्नत के लिये आवश्यक थी परन्तु रेलवे बोर्ड ने इसे सब जगह समाप्त कर दिया था। वरिष्ठता के ग़लत तरीके से हिसाब लगाये जाने के कारण, टी०ए० परीक्षा के हटाये जाने पर भी कर्मचारियों को कुछ लाभ नहीं हो सका है।

इस समय गार्डों के सात वेतनक्रम हैं। बहुत से गार्ड रिटायर होने के समय दूसरी श्रेणी में होते हैं जिसका वेतन क्रम 150-240 रुपये है।

मेरा सुझाव है कि पहले चार वेतनक्रमों को अर्थात्, 110-200, 150-240, 205-280 और 250-380 को मिला कर एक वेतनक्रम बना दिया जाये ताकि एक व्यक्ति अपनी वृद्धावस्था में इतना वेतन ले कि अपने परिवार के बढ़ते हुये ख़र्चे को और बच्चों की शिक्षा के भार को भली भांति उठा सके।

रेलवे कर्मचारियों को रहने के लिये मकान भी दिये जाने चाहिये। हावड़ा में करीब 2,000 क्लर्क और टिकट कलक्टर इत्यादि हैं परन्तु उन में से मुश्किल से 125 को मकान मिले हुये हैं। इस से इन लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यदि किसी कर्मचारी को 3.45 म०पू० काम पर आना होता है तो निकट में रहने की व्यवस्था न होने के कारण उनको पिछली रात में स्टेशन पर ही आ कर वहीं रात बितानी पड़ेगी। डानकुनि में काफ़ी ज़मीन पड़ी हुई है, वहां मकान बनाये जा सकते हैं।

हावड़ा स्टेशन से मासिक टिकट वाले यात्रियों को छोड़ कर करीब 40,000 यात्री यात्रा करते हैं परन्तु वहां 64 टिकट घर हैं। औसतन एक टिकट घर 625 यात्रियों को निपटाता है। अतः वहां लम्बी लम्बी लाइनें लगी रहती हैं क्योंकि लोक टिकट लेने प्रायः गाड़ी के चलने के समय से कुछ ही देर पहले आते हैं। मेरा सुझाव है कि कलकत्ता और हावड़ा में टिकट घरों की संख्या दुगुनी कर दी जायें और शहर के टिकट घर दो पारियों में कार्य करें। हावड़ा में टिकिट फलकों की संख्या भी बढ़ाई जाये।

पिछले वर्ष लिलुया कर्मशाला में काम करने के समय के विवाद के कारण तालाबन्दी हो गई थी। कर्मचारी अदालत में गये और अदालत ने रेल विभाग के खिलाफ अपना फैसला दे दिया था कि कर्मचारियों को तालाबन्दी के समय की मज़ूरी दी जाये। परन्तु रेल विभाग उस फैसले के खिलाफ़ अपील करना चाहता है। मेरी राय में सब कर्मचारियों को उस समय की मज़ूरी दी जानी चाहिये। जब एक न्यायाधीश ने फ़ैसला सुना दिया है तो रेल विभाग को अपील कर के जनता का पैसा ख़राब नहीं करना चाहिये।

एक और छोटी सी बात है जिसकी ओर मैं रेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दक्षिण-पूर्व रेलवे का मुद्रण तथा लेखन सामग्री कार्यालय गार्डन रीच से खड़गपुर ले जाया जा रहा है। मुझे यह पता नहीं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, परन्तु इस कार्यालय को हटाने से कर्मचारियों के लिये बहुत सी कठिनाइयां जैसे मकान इत्यादि की समस्या उत्पन्न हो जायेंगी। अतः मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि इस कार्यालय को कलकत्ता से न हटाया जाये।

यदि सामाजिक श्रमिकों को तुरन्त स्थायी नहीं किया जा सकता तो कम से कम उनको वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार 70 रुपये और महंगाई भत्ता जिसका योग 103 रुपये है (और अभी हाल की वृद्धि को भी शामिल कर के) दिया जाना चाहिये।

गाड़ी परीक्षकों के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि कुछ गाड़ी परीक्षक बाहर से लिये जाते हैं और कुछ को विभाग के अन्दर ही पदोन्नति कर के बनाया जाता है। परन्तु दोनों में भेद भाव किया जाता है क्योंकि विभाग के अन्दर पदोन्नति पाने वालों को कम वेतन मिलता है। रेल मंत्री कृपया इस भेद भाव को समाप्त करें।

विद्युतीकरण के बाद हज़ारों दक्ष, अर्ध-दक्ष और अदक्ष श्रमिकों को निकाला जा रहा है। यह राष्ट्रीय हानि है क्योंकि हमें ऐसे कुशल कारीगरों की अभी बहुत आवश्यकता है। भिलाई निर्माण परियोजना से 20,000 ऐसे श्रमिकों की छटनी होने वाली है। इसी प्रकार कलकत्ता, सियालदह, हावड़ा और कई स्थानों में हजारों ऐसे श्रमिकों की छटनी होने वाली है। सरकार को इस सम्बन्ध में समन्वय करने पर विचार करना चाहिये।

अन्त में मैं दो नई रेलवे लाइनों के बनाने का सुझाव देना चाहता हूं। एक लाइन मालदा से बलूरघाट होकर हिली तक और दूसरी कालियागंज से बनियादपुर को जोड़ने वाली लाइन पश्चिमी दिनाजपुर के सीमावर्ती लोगों के लिये बहुत आवश्यक है। अतः यह लाइनें बनाकर इन लोगों के साथ न्याय किया जाये।

श्री रवीन्द्र वर्मा (तिरुवल्ला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आप ने रेलवे बजट की वार्ता में भाग लेने का अवसर दिया है। मैं मंत्री महोदय के सुझावों का समर्थन करता हूं।

इस वर्ष तो रेलवे विभाग को पाकिस्तान के आक्रमण के कारण बहुत कार्य करना पड़ा। इसी कारण हमारे देश पर पड़ी आपत्ति का मुकाबला किया जा सका। मैं रेलवे मंत्री को इस लिये भी बधाई देता हूं कि रेलों ने अपने बहुत से लक्ष्य पूरे कर लिये।

[श्री रवीन्द्र वर्मा]

[श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुए
SHRI SHAM LAL SARAF *in the Chair*]

हमारे देश में रेल सब से बड़ा सरकारी उपक्रम है जिसमें 2224 करोड़ रुपया लगा हुआ है और जिसका मुनाफा 660 करोड़ रूपया है। यह 200 करोड़ व्यक्तियों को ले जाती हैं और इसमें 10 लाख व्यक्ति काम करते हैं। हमारे जैसे देशों में रेलों का देश के प्रशासन, उद्योगीकरण, वाणिज्य तथा राष्ट्रीय एकता में बड़ा हाथ है।

रेलों को नये क्षेत्रों का विकास कर के देश की आर्थिक एकता में भी सहायक होना पड़ता है। परन्तु हमारी रेलों का आयोजन इन लक्ष्यों को ध्यान में रख कर नहीं किया गया। रेलवे मंत्री ने कहा है कि चौथी योजना में जो नई रेलें बनाई जायेंगी वे योजना आयोग के द्वारा दी गई धन राशि पर निर्भर होंगी। इसके साथ ही सड़कों तथा पानी के परिवहन का भी हमें विकास करना चाहिये क्योंकि यह कहीं कहीं अधिक आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक होगा।

रेलवे बोर्ड का कहना है कि रेल की पटड़ी जो उन्होंने बिछाई हैं वह ऐसी हैं कि उन से सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण का निर्माण होता है। परन्तु नियोगी कमेटी ने कहा है कि ऐसा नहीं हुआ है।

केरला सरकार ने कहा है कि एरनाकुलम-त्रिवेन्द्रम लाईन को बड़ी लाईन में बदलने के लिये कहा है और कहा है कुछ नई लाईन खोली जावें समुद्र तट के साथ साथ जिस से मावलिक्काटा, एलेप्पी और कोचीन को मिला दिया जावे और बोदी को कोट्टायम से मिलाया जावे तथा पूनालूर को तिरुवेल्ला से मिलाया जावे। इस के उनके जंगल की पैदावार के यातायात में सहायता मिलेगी। परन्तु सरकार कहती है कि उनके पास ऐसा करने के लिये रुपया नहीं है।

यदि हम केरला में उद्योग स्थापित करवाने के लिये कहते हैं तो उत्तर मिलता है कि वहां बड़ी लाईन नहीं है और यदि बड़ी लाईन के लिये कहते हैं तो उत्तर मिलता है कि वहां उद्योग नहीं हैं। अब बताईये कि ऐसी स्थिति में कोई क्या करे।

यात्रियों को सुविधा देने के प्रश्न पर कहा एक निर्माण दोष इसके लिये 1950 में स्थापित किया गया था और उसमें यह आवश्यक कर दिया था कि 3 करोड़ रुपया इस कार्य पर प्रति वर्ष व्यय किया जाये। उसके पश्चात से केवल 3 करोड़ रूपया ही उस पर व्यय हो रहा है। 1965 में तो खैर 4 करोड़ रुपया व्यय हुआ था।

लेखापरीक्षा की रिपोर्ट के अनुसार यह रुपया व्यय नहीं किया जा रहा है। क्या इसका अर्थ यह है कि और सुविधायें देने की आवश्यकता ही नहीं रही। सरकार को देखना चाहिये कि जो रुपया यात्रियों की सुविधाओं के लिये दिया जाये वह उस पर व्यय हो।

मैं तो मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह कभी भेस बदल कर तीसरे दर्जे के डिब्बे में भी यात्रा करें। उन्हें पता चलेगा कि उनमें कोई रोशनी नहीं है, कोई पंखा नहीं है और कोई आराम नहीं है। लोकतंत्र में ऐसा होना असहनीय है।

मंत्री महोदय ने डीज़ल लोकोमोटिव कारखाने के बारे में कुछ कहा है। परन्तु यदि आप वहां का उत्पादन देखें तो पता चलेगा कि यद्यपि उसके भवन का निर्माण 1957 के सितम्बर में आरम्भ हुआ, इनमें से 1963-64 में 3 इन्जिनों का उत्पादन हुआ और 1964-65 में केवल 7 इन्जिनों का उत्पादन हुआ।

अब मैं भाड़े में बढ़ोतरी के बारे में कहूंगा। प्रति वर्ष भाड़े में बढ़ोतरी होती है और यह नहीं सोचा जाता कि इस से मूल्य भी बढ़ते हैं और इसका प्रभाव कुछ क्षेत्रों में कुछ वस्तुओं पर बुरा पड़ता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न पर विचार करें और सोचें कि कोई ऐसा तरीका निकाला जावे जिस से ग़रीब जनता पर इस बढ़ोतरी का प्रभाव न पड़े। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि सरकार इन लाईनों को अपने हाथ में ले ले तो इस समय भी निजी क्षेत्र में हैं और आर्थिक दृष्टि से घाटे की हैं। वह लाइन निजी लोगों की सम्पत्ति हैं परन्तु इन्हें चलाती सरकार है। यह कार्य सरकार ने तब लिया है कि मालिकों को आय का कुछ प्रतिशत दिया जाता है।

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur) : Mr. Chairman, last year I congratulated the Railway Minister for presenting a surplus budget and for not increasing the passenger's fare on freights. This year too he has presented a surplus budget.

Out of other things on which freight have been increased, I would point out only one item *viz.* salt. I am not saying in from the point of view of economics but from the point of view of spirit behind it. I would request him to remove this freight as so many of our sentiments are connected with it. Due to this I am not with the Hon. Minister this year as I was last year.

For increase in freights the Railway Minister has given them reasons : One of them is that there will bring in an additional revenue of Rs. 7 crores. Secondly due to rise in prices there has been rise in operational cost of railways. Thirdly there is rise in labour cost. Now I want to ask the Railway Minister as to how much operational cost of railways has increased due to employment of high officials in the Railways. I also want to know from the Minister as to what they have done to plug those holes in the railways which still exist in your department and where extravagance is still being resorted to.

People came to me with complaints that there is theft of coal, spare parts and other goods in railways. I send those people to you and you in turn send them to some other officer. In this way they ultimately land with their men against whom the complaint is and his reply is:"Dear Sir, I am very sorry, it is not a fact."

More than the Parkinson Law there is the Extension Law as you have extended the retirement age of officers from 55 years to 58 years. This applies not only to your Ministry but to all the Ministries. I want that there should be an end to this extension. Now you please do not give extension beyond the age of 58 years to any person at any cost. Now I want to re-employ persons after retirement. There is not one in India who may be indispensable. I also know that if Shri Patil is convinced of my arguments he is fully competent to do so.

I have not seen in the budget where you have tried to economise.

I have tried since 1952 when I came in Parliament that the railway line which connects Kyool to Howrah may be made a double line. This is not a question of my constituency alone but it pertains to the development of whole of north Bihar. It will be easier to go from there to Assam or south Bihar. But this legitimate demand has not been fulfilled so far. Things pertaining to the places to which ministers or the general managers belong are done easily but if we ask them to open Railway Service Commission at Danapur, it is not done. You will not find people of Bihar in Bihar Railways. It appears there is monopoly of intellect only in Calcutta. All the things pertaining to the Eastern Railways are done in Calcutta. There is no provincialism in it. Mr. H. G. Wells said that the best criterion to judge the development of a region is "How far that part gets promi-

[Shri Bhagwat Jha Azad]

nance from Government in development". If you travel in Bihar you will not find employees belonging to Bihar. Is there no one who can become a clerk or an officer there? An officer from U.P. was posted at Calcutta. He ordered that he would take as 'khalasi' only those people who can lift sack of cement on his back. There was strike there against it. So such people have to face much difficulty there. I would therefore request you to open an at early date a branch of Railway Service Commission at Danapur or at Patna. This economy appears to be on the lines their developed areas should be further developed whereas the undeveloped areas should remain undeveloped. If they do not believe in it, they should connect Kyool and Howrah without delay. Construction of an overbridge Pir Painti is called at impossible. Similarly construction of a platform at Gagnic is also called as impossible. Here everyting is impossible. I want to tell that your officers are misleading you. This is the election year and so nothing should be done.

I want to congratulate the hon. minister for his remarks that Railways are leading fast towards self-sufficiency. I only ask about the percentage or parts which you manufacture here and which you import from other countries. This applies to the work shops at Varanasi and Chitaranjan.

In the end Mr. Chairman, I want to say that we admire the manner in which our railways worked at the time of our conflict with Pakistan. When there was bombing on our railways, our railways and Station masters did a praiseworthy job. For that we are grateful to them. The credit for giving double line to certain areas and thereby opening new avenues for their development as also the giving of new railway line to Santhal Parganas. Goes to Shri Patil I hope you look into the problems which I have put before you. With these words I thank you.

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : The railways and the defence are very important items and they involve an expenditure of about Rupees 8,00 crores annually.

The railways can do a lot towards bringing about a social change in the country but they have not been doing their best. The British days were the times of imperialist domination and we had then three classes of compartments, *viz.*, the first the Second and the third. But with the advent of socialism, instead of abolishing these classes one more class—the air-conditioned class has been added. Efforts by railways towards socialism will bring about not only an economic gain but also equality. Unless the railways do away with these different classes of travel we cannot be said to be truly progressing towards socialism. Besides, the general party hardly ever travels first class, second class or airconditioned ; only high government servants and Members of Parliament and the like travel in the higher classes. The railways get no cash income from such people for all such transactions are on paper only. It is the third class travelling public which is a source of cash income to the railways. But the condition of the third class compartments is very bad. They are packed to capacity and passengers are hunddled gogether due to overcrowding. The lavatories are too dirty to be tolerated and occasionally the taps have no water. The sweepers prefer to clean the higher class compartments and neglect the third class ones.

With all the emphasis at my command I request the hon. Minister to do away with all the different types of compartments and retain only the third class and sleeping coaches for long journey. Unless this is done, the third class travelling

public will not get any increased amenities and comfortable seating accommodation. The argument that even in Russia there are different classes of compartments carries no weight. Why can't we instead refer to the English system where there are only two types of compartments—the one called soft is a bit comfortable and the other one does not have so much of comforts. Why should we copy others after all? We are short of capital. We can easily do away with the avoidable luxury and show till better times come. Unless the third class travel is made reasonably comfortable, all the higher classes of compartments are of no use; their retention is a joke with socialism and the poor masses.

There is too much disparity between the salaries of an ordinary railway employee and the high-ranking officers like the General Managers and the Members of the Board. The latter incur around Rs. 20,000 a month if we take into account their pay and allowances and expenses on their peon, gardener etc. and the farmer receives about a hundred rupees only. Is this a sign of socialism?

The freight on coal exceeds its cost. Nowhere in the world do we find such an instance. Yet the Railway Minister proposes to further increase the freight on coal etc. Could he not increase the revenue by doing away with all extravagance? I want a clearcut reply to all these things.

The railways discriminate between the mail and passengers trains. The mail train takes less running time now between two stations.

So much more running time has now been allowed that a mail train leaves a station on time and reaches the terminus also on time but in between it is always late and nobody looks to it. Other trains are inordinately late and the Department has not given attention to it also.

The train which leaves Lucknow for Jhansi provides connection for the S. T. expresses but is nearly always late by three to four hours so that no connection is possible.

The Railway department is now putting still more restrictions on the labour class so that they may not take part in politics. Even the former right to contest elections for local bodies after obtaining permission has been taken away now. The officials are, therefore, doing what they please. An employee asked for permission to contest Bhavanagar Municipality elections. He did not get permission until the elections were over. He was then asked to resign and ultimately he was removed from service on this ground. This shows how the officialdom and high handedness on the part of bureaucracy is rampant in the railways.

Government propose to establish socialism. In socialism all private industries are nationalised. Employees of private industries are free to take part in politics but as soon as their industry will be nationalised they will be entirely debarred from doing so and will become slaves.

In England only 16% government servants do not have freedom to take part in politics; 28 % can take part in the propaganda work but cannot themselves contest elections but 56% government servants are free to take any part in politics.

There is a strange rule that the persons being maintained by railway servant have to see that the latter does not take part in politics. This only encourages a sort of espionage against a government servant by his son or his wife.

[Shri Ram Sewak Yadav]

I would request the honourable Minister to help make such an organisation of the labourers that they instead of pressing their demand for dearness allowance every now and again, may do something towards checking rise in prices.

In private industries, there is provision for bonus but I fail to understand why in the public enterprises like railways the employees are not given bonus. I think provision for bonus should be made immediately.

I request the honourable Minister to see that the gangmen and gatemen who are government servants and who live within the railway precincts are not made to pay the property tax which is being imposed on their by the Uttar Pradesh District Boards.

The porterage charges of the coolies have been fixed at the rate of 20 Paise and 30 Paise in small and big towns, respectively. In spite of so much dearness, their rates have not been increased. The 70,000 coolies on the railways should be properly looked after.

The sub-letting in contracts for refreshments etc. on the railway stations should be stopped.

Whatever complaints are made, no action is taken on them. Once my reservation from Allahabad to Delhi was cancelled by railway people at Varanasi in favour of some high officer and therefore I did not get accommodation at Allahabad.

On another occasion, when my reservation was from Barabanki to Patna, some high officer of the Railway protection force forcibly travelled in compartment. I complained against both these things but no action was taken in the matter.

श्री बासप्पा (तिपतूर) : जब हम रेलवे बजट पर विचार कर रहे हैं तो यह अच्छा होगा कि हम अपनी व्यापक रेल व्यवस्था की अन्य देशों की रेल व्यवस्था से तुलना करें। हमारी रेल व्यवस्था की विदेशों में भी ख्याति है और जैसा कि रेल मंत्री ने कहा है इस ख्याति की आधार पर हमें किसी भी देश से ऋण मिल सकता है।

मैंने अफ्रिका, यूरोप, अमरीका और जापान के अपने दौरे में वहां की रेल व्यवस्था को देखने का अवसर मिला था परन्तु मैं उसका अध्ययन नहीं कर सका। मुझे जो भी अनुभव वहां से मिला है उसके आधार पर मैं यही कह सकता हूं कि विदेशों में हमारी रेलों की बड़ी ख्याति है।

अफ्रीका में रेलें इतनी अच्छी तरह सुसज्जित नहीं हैं। यूरोप और अन्य स्थानों में कई जगह भूमिगत रेलें हैं। जापान की टोकेडो लाइन की रफ्तार 120 मील प्रति घंटा है। हमारा बहुत बड़ा देश है इस लिये हमें रेल व्यवस्था भी व्यापक बनानी होगी। हमारे रेल मंत्री के प्रति विदेशों में बहुत सद्भाव है। हमें इस ख्याति को और भी बढ़ाना चाहिये। विदेशों में पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध मिथ्या प्रचार किया हुआ है। हमें उसे समाप्त कर के लोगों को भारत की संस्कृति और विरासत के बारे में सही जानकारी से अवगत करना चाहिये। मैं चाहता हूं कि जो लोग यहां से विदेशी को जायें वे वहां किसी उचित प्राधिकारी से मिलें और इस प्रकार उन्हें अपना दृष्टिकोण समझायें।

रेल मंत्री ने अपने भाषण में महत्वपूर्ण घटनाओं का सुन्दर उल्लेख किया है। उन्होंने योजना को हमारी कठिनाइयों के अनुसार ढाला है। लक्ष्य से अधिक कार्य हुआ है और 6 प्रतिशत से अधिक पूरा हो चुका है। गाड़ियों की रफ्तार और संकंतन व्यवस्था में सुधार हुआ है तथा रेलवे उपकरणों के मामले में हम अब आत्म-निर्भर हैं। रेल विभाग ने आपातकाल में जो कार्य किया है और खाद्यान्नों को लाने जाने के काम को जिस खूबी से किया है वह प्रशंसनीय है।

माल-भाड़े की वृद्धि के सम्बन्ध में बहुत कुछ बताया जा चुका है। अतः मैं इस विषय पर कुछ अधिक नहीं कहना चाहता। रेल मंत्री को यह देखना चाहिये कि सड़क और रेल संचार के बीच समन्वय हो ताकि देश में परिवहन का कार्य सुचार रुप से चल सके।

यात्रियों के लिये अभी बहुत से सुख सुविधाओं की आवश्यकता है। रेलों में भीड़ भाड़ को कम कर के यात्रियों को काफी सुविधा दी जा सकती है। राष्ट्रीय कोषाहार परिषद का मत है कि रेलों पर खान-पान व्यवस्था ठीक न होने के कारण यात्रा करने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर बूरा असर पड़ रहा है।

मंत्री महोदय ने कहा है कि क़रीब 5 करोड़ रुपये की लघु-चोरी होती है और 80 लाख लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं।

दक्षिण में हसन-मंगलूर को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिये। इस लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने की बहुत आवश्यकता है। बंगलौर-सलेम रेल लाईन भी अधूरी पड़ी है। उसे भी पूरा किया जाना चाहिये।

दक्षिण में कई ऐसे स्थान हैं जहां माल को बड़ी लाइन से छोटी लाइन पर और छोटी लाइन से बड़ी लाइन पर लाना-लेजाना पड़ता है। इस कारण बड़ी कठिनाई और विलम्ब होता है। अतः वहां सब जगह बड़ी लाइनें बिछा कर कार्य अच्छी तरह चलाया जा सकता है।

गन्टाकल से बंगलौर और होजपेट से हुबली और कारवार तक की लाइनों को बड़ी लाइन में बदला जाना चाहिये ताकि कच्चे लोहे का निर्यात अधिक मात्रा में हो सके। कोत्तुर से हरिहर लाइन का निर्माण बहुत आवश्यक है। चितलद्रुग से रायादुग तक और सत्यमंगलम् से मैसूर तक रेल लाइन बनाई जानी चाहिये।

पिछली बार जब बंगलूर-आरसीकरे लाइन पर गाड़ी पटरी से उतर गयी थी तब भी और अभी हाल में दुबारा ऐसी ही घटना होने के समय मैं ने जोर देकर कहा था कि वहां रेल स्लीपरों के बहुत पुराने होने के कारण दुर्घटनायें हो रही हैं। रेल विभाग का यह कहना कि कर्मचारियों की गलती से ऐसा हो रहा है गलत है। मैं 12 वर्षों से कहता आ रहा हूं कि इन 45 वर्षों पुराने स्लीपरों को अब बदला जाना चाहिये परन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया है।

तिपतूर में रेलवे पटरी के उपर का पुल निर्माण किये जाने की बहुत आवश्यकता है परन्तु राज्य सरकार कहती है कि केन्द्रीय सरकार इसको बनायेगी और केन्द्रीय सरकार कहती है कि राज्य सरकार बनायेगी। इस झगड़े में वह पुल अभी तक नहीं बन पाया है।

नये खण्ड—दक्षिण-केन्द्रीय खण्ड का मैं स्वागत करता हूं। मंत्री महोदय ने बताया है कि यह खण्ड केवल संचालन कार्यकुशलता के इरादे से ही बनाया गया है। किसी प्रभाव के कारण ऐसा नहीं किया गया है। एक खण्ड से दूसरे खण्ड को हस्तान्तरण किये जाने वाले कर्मचारियों की सेवा-शर्तों इत्यादि की ठीक से देख भाल होनी चाहिये।

[श्री बासप्पा]

बिहार में नया रेलवे सेवा आयोग बनाया गया है परन्तु मैसूर जहां की जनसंख्या 2 करोड़ से अधिक है कोई सेवा आयोग नहीं बनाया गया है। मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में विश्लेषण कर के यह देख सकते हैं कि मैसूर क्षेत्र से कितने लोग इन रेल सेवा आयोगों में नियुक्त किये गए हैं। नए दक्षिणी खण्ड से भी इन आयोगों में कुछ सदस्य नियुक्त किय जाने चाहिये।

Shri Gopal Dutt Mengi (Jammu and Kashmir) : I appreciate the Railways for the progress they have so far made specially in regard to provision of amenities to the travelling public. But I deplore the policy of the government as a result of which they have been increasing the passenger fares and freight rates during the last several years.

They have exceeded all limits this year when they have not only increased the surcharge but also put forward proposal to increase freight for certain commodities transported for a distance of more than 800 kilometres, and that for at a time when the people have not yet fully recovered from the Pakistani attack. This will affect Jammu and Kashmir, Kangra, Himachal Pradesh and other parts of the country. Most of these hill areas are already so very backward. There are not sufficient facilities for business and work. Hence, it was most necessary that necessary commodities and raw materials could be transported at a cheaper cost. I hope the honourable Minister will kindly consider the question of increasing freight in a very sympathetic manner.

As regards coal I would say that we have little coal in Jammu and Kashmir. The coal that is used in Jammu, Kathua, and Udhampur is brought from Bihar and Bengal—a distance of about 2,000 kilometres. Now we will get coal at an extra cost of Rs. 53 a ton. Our few industrial estates are already in a poor condition. It will get worse still if they get the raw materials at a higher cost now.

Salt already sells at a higher price in the hilly areas. Now due to the higher rate of freight, the price will further go up and mostly those whose cattle consume salt will be adversely affected.

I am thankful for the provision of the shuttle train which runs upto Kathua but I am sorry to say that it is not proving of much use because its timings do not suit as also there is no proper connection for the train which starts from Pathankot. My suggestion is that a few extra compartments may be attached to this shuttle train so that on reaching Pathankot some of those could be attached to important trains like the Srinagar Express, the Kashmir Mail, etc.

Similarly, there should be some compartments also in trains arriving from Delhi so that they could be attached to the local train leaving Pathankot for Kathua.

The Kathua railway station may kindly be provided with a restaurant, a waiting room and fruit-vendors etc.

One and a half years back I had put forward a proposal for provision in the Fourth Year Plan for extension of the railway line upto Riyasi *via* Jammu. Of late, some suggestions are being made that the line may not be extended *via* Jammu but may be taken to Riyasi through the hills and it is said that this is necessary from defence point of view. Your survey report had declared the first proposal to be economically feasible. Apart from that, Jammu area is very well

off and abounds in markets, villages and property worth crores of rupees. The Department can save Rs. 10—12 crores if the line is not taken upto Jammu but, in my opinion, that course should not be adopted and we should not economise to the detriment of the interests of the People and property in the Jammu area.

In regard to the Dhar—Uddhampur road which you are constructing from defence angle I have to say that the railway line along this road will not be so economical as the area about which you have already carried out the necessary survey. A line which runs through hilly areas will not only incur more than 12 crores rupees but also be liable to the sabotage in comparison to a line which runs through populated areas. Hence I request that only that line may be constructed about which a survey has already been carried out.

I fully concur with the views expressed by honourable Shri Ram Sewak Yadav that the different classes of compartments in railways be done away with. I want that an early action may be taken to implement this proposal and only two classes—lower and upper may be made.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : मैं अपने भाषण का प्रारम्भ उन रेल कर्मचारियों और अधिकारियों की सराहना करते हुये करूंगा जिन्होंने पिछले भारत-पाकिस्तान संघर्ष के समय देश के विभिन्न भागों में मुख्य रुप से राजस्थान में—अपना कार्यभार के बड़ी कुशलता, लगन और हिम्मत से निभा कर ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है। जिसको हम सदा बड़े आभार के स्मरण करेंगे। मुझे आशा है कि रेल विभाग अपने इन उंचे आदर्शों का सामान्य समय में भी पालन करेंगे क्योंकि परिवह जिस में रेल परिवहन शामिल है देश के विकास के लिये अत्यावश्यक है।

नगरों में परिवहन के सम्बन्ध में अग्रगामी दल द्वारा ब्रिटेन के परिवहन मंत्री को दी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछड़े हुये देशों के विकास के लिये परिवहन तथा शिक्षा दोनों राष्ट्र निर्माण के मौलिक साधन हैं। यह कथन भारत के सम्बन्ध में अधिक चरितार्थ होता है क्योंकि परिवहन द्वारा आर्थिक विकास तथा भावनात्मक विकास दोनों ही लक्ष्यों को अच्छी तरह पूरा किया जा सकता है। एक बार स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री चर्चिल ने कहा था कि कि हम जितना एक जेनरल को उसकी विजय के लिये स्मरण रखते हैं उतना देश की परिवहन व्यवस्था को नहीं रखते जिसके द्वारा वह विजय सम्भव होती है। अतः मैं संसद से इस बात का आग्रह करता हूं कि परिवहन के महत्वपूर्ण तथा निर्णायक योगदान को देखते हुये वह अपने परिवहन संबंधी उत्तरदायित्व को पहले की अपेक्षा अधिक गम्भीरता से निभाये। केवल अपने अपने निर्वाचित-क्षेत्रों की आवश्यकताओं तक ही हमें सीमित नहीं रहना चाहिये बल्कि रेलवे तथा परिवहन सम्बन्धी अधिक महत्वपूर्ण मामलों पर विचार करना चाहिये।

मैं सभा का ध्यान राष्ट्रीय परिवहन नीति की आवश्यकता के प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं। स्वाधीनता के मिलने से अब तक इस प्रश्न पर कोई विचार नहीं किया गया है परन्तु अब समय आ गया है कि परिवहन कार्य से सम्बन्धित सब मंत्रालय जिनमें परिवहन मंत्रालय भी शामिल है एक मंत्री को सौंपे जायें।

वास्तव में रेलवे तथा सड़क परिवहनों के बीच प्रतियोगिता तभी रचनात्मक हो सकती है जब कि वह समान शर्तों पर हो। परन्तु साधारणतः यह हमारे देश में संभव नहीं है। अतः यह आवश्यक है कि इस बारे में कुछ विनियम बनाये जायें तथा रेलवे और सड़क परिवहन के बीच समन्वय स्थापित किया जाये। यह समन्वय तभी स्थापित हो सकता है जब परिवहन संबंधी समस्त मंत्रालयों को, जैसे परिवहन मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय, एक मंत्री को सौंपा जाये।

[डॉ लक्ष्मीमल्ल सिंघवी]

इस संदर्भ में मैं परिवहन नीति तथा ताल मेल संबंधी समिति के हाल के प्रतिवेदन का उल्लेख करूंगा। यह प्रतिवेदन देश के लिये दूरगामी और पर्याप्त महत्व का है। यद्यपि यह प्रतिवेदन जनवरी, 1966 में पेश किया गया था तथा इसे सभा-पटल पर भी रखा गया था, परन्तु अभी तक यह नहीं बताया गया कि इस की सिफारिशें को क्रियान्वित करने की दशा में क्या कार्यवाही की गई है। समितियां गठित करना हमारे देश में प्राय: एक परम्परा बन गई है परन्तु इन समितियों की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया जाता। इस समिति की सिफारिशों का उल्लेख करते हुये मैं सभा का ध्यान विशेषत: इस तथ्य की ओर दिलाऊंगा कि इस समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि हमें राष्ट्रीय परिवहन नीति बनानी चाहिये। समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि राष्ट्रीय परिवहन नीति का उद्देश्य ठीक आकार का परिवहन का ढांचा बनना है जो योजनाओं में बनाई गई हमारी आर्थिक विकास योजना से संगत हो और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के योग्य हो। समिति ने संस्थाओं में और प्रशासन संबंधी, परिवर्तनों की दूरगामी सिफारिशें की हैं। सरकार को इस समिति से भी आगे जाना चाहिये।

दूसरी सिफारिश में समिति ने उचित सामग्री (डाटा) रखने के महत्व पर जोर दिया है। यह बड़े खेद कि बात कि रेलवे जैसे महत्वपूर्ण विभाग, में अपेक्षित डाटा उपलब्ध नहीं है। रेलों की कार्य-कुशलता बढ़ाने के लिये, उन के संचालन व्यय में कमी करने के लिये, उन के लिये वैज्ञानिक परिज्ञनायें बनाने के लिये तथा प्रशासन में सुधार लाने के लिये यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आवश्यक डाटा उपलब्ध हो।

देश के सार्वजनिक जीवन में रेलों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है तथा उन से यह आशा कि जाती है कि वे कुछ सार्वजनकि सेवा कार्य पूरा करें। प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान ढंग से संगठित रेले यह उत्तरदायित्व पूरा कर सकती है तथा अपने कार्यों में वाणिज्यिक कार्यकुशलता ला सकती हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमें इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। मेरा निवेदन यह है कि जब तक रेलवे को एक निगम के रूप में परिवर्तित नहीं किया जाता परिवहन के सभी विभागों को एक मंत्री के अधीन नहीं किया जाता और जब तक परिवहन के विभिन्न विभागों को देख भाल के लिये भारतीय परिवहन आयोग नहीं बनाया जाता जब तक परिवहन क्षेत्र में समन्वित रुप से प्रगति नहीं हो सकती। मैं चाहता हूं कि माननीय रेलय मंत्री न केवल रेलवे के इंचार्ज हो, अपितु उन्हों परिवहन संबंधी सभी महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय करने का अधिकार होना चाहिये, ताकि समिति की इन सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा सके।

मैं सभा का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं रेलवे के क्षेत्र अविवेकपूर्ण ढंग से बनाये हुये हैं। यह क्षेत्र किस आधार पर बनाये गये है यह तो मैं नहीं कह सकता। मैं नहीं कह सकता कि इन क्षेत्रों के बनाने में राज्यों के मुख्यमंत्रियों का हाथ है अथवा भारत सरकार ने किसी अन्य विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रख कर ये क्षेत्र बनाये गये है। जयपुर में माननीय रेलवे मंत्री ने कहा था कि राजस्थान के लिये एक रेलवे क्षेत्र बनाया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या रेलवे मंत्री ने केवल शिष्टाचार के नाते यह आश्वासन दिया था अथवा वह वास्तव में राजस्थान रेलवे क्षेत्र बनाना चाहते है। यदि वह वास्तव में यह क्षेत्र बनाना चाहते है तो मैं जानना चाहता हूं कि यह कब तक बनाया जायेगा और इस का रूप क्या होगा। राजस्थान को दिये गये आश्वासन को इस लिये पूरा नहीं किया जाता है क्योंकि वहां के लोग ऐसा कोई तरीका नहीं अपनाते है जिस से मजबूर होकर सरकार को उन आश्वासनों को पूरा करना पड़े। मैं अनुरोध करता हूं कि राजस्थान रेलवे क्षेत्र बनाने के बारे में रेलवे मंत्री ने जो आश्वासन दिये थे उन्हे कार्यान्वित किया जाना चाहिये।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार मीटर गैज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने की योजना बना रही है। मैं यह जानता हूं कि मीटर गैज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के लिये बहुत बड़ी धन राशि की आवश्यकता होगी और यह संभव है कि सरकार इतनी बड़ी धन राशि का

प्रबंध करने की स्थिति में नहीं हो। फिर भी मैं चाहता हूं कि या तो सरकार मीटर गैज़ लाइनों का प्रयोग करने वाले लोगों की समस्याओं पर विशेष ध्यान दे या सभी रेलवे लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने की योजना घोषित करे।

मैं रेलवे मंत्री तथा इस सभा का ध्यान एक बहुत गंभीर समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि इस वर्ष ग्रीष्म ऋतु आरम्भ होने से सूखे से पीड़ित क्षत्रों में पानी की कमी की समस्या अत्यंत भयंकर रुप धारण कर लेगी। यह रेलवे का उत्तरदायित्व है कि सूखे से पीड़ित क्षेत्रों को पानी सप्लाई किया जाये। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि रेलवे को अगली ग्रीष्म ऋतु में सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में, विशेष रुप से राजस्थान में, जिसे जल की कमी के सब से बड़े संकट का सामान करना होगा, जल की सप्लाई का बहुत बड़ा कार्यक्रिम बनाना चाहिये।

नई रेलवे लाइनों के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने जम्मू तथा काश्मीर की सुरक्षा के लिये अरबों रुपये व्यय किये हैं, परंतु यह खेद कि बात है कि वहां रेलवे लाइनों अथवा सड़कों के निर्माण पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। यह खेद की बात है कि स्वतंत्रता के 18 वर्षों में सरकार जम्म तथा काश्मीर राज्य में एक दक्ष तथा सभी मौसमों में काम कर सकने वाली परिवहन व्यवस्था नहीं बना पाई है। रेलवे मंत्री को बताना चाहिये कि वह इस बारे में क्या कर रहे हैं।

जैसलमेर तक रेलें चलाने की मांग बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान आपातकालीन स्थिति को देखते हुये और इस बात को ध्यान में रखते हुये कि पाकिस्तान से हुय गत सशस्त्र संघर्ष में हमें इस क्षेत्र में पराजय का मुह देखना पड़ा था सामरिक दृष्टि से यह परमावश्यक है कि जैसलमर तक लाइन बनाई जाये। इस के अतिरिक्त आर्थिक दृष्टि से भी यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है, क्योकि यहां तेल तथा गैस उपलब्ध है।

विद्युतीकरण के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि कुछ क्षेत्रों में विद्युतीकरण का काम बहुत धीरे धीरे और असंतोषजनक रूप से हो रहा है। विद्युतीकरण का एक विस्तृत कार्यक्रम आरम्भ किया जाना चाहिये।

रेलगाड़ियों की गति बढ़ाने का प्रश्न भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है तथा कई माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि गाड़ियों की गति बढ़ाई जाये। मैं इस मांग का समर्थन करता हुं। मैं माननीय मंत्री से यह भी अनुरोध करूंगा कि वह हमें बतायें कि रेलवे दुर्घटनाओं का खतरा कम करने के उद्देश्य से देश भर में फाटकों पर कर्मचारी रखने के मामले में राज्य सरकारों का सहयोग प्राप्त करने में क्या प्रगति हुई है।

रेलवे ने धन राशियां लौटाने के मामले में कोई प्रगति नहीं की है। धन राशि लौटाने के एक मामली दावे के निपटाने के लिय भी एक वर्ष से अधिक समय लगता है। सामान्य नागरिकों पर इस का गहरा प्रभाव पड़ता है तथा रेलवे प्रशासन को इस दशा में उचित कार्यवाही करनी चाहिये।

यह हर्ष की बात है कि यात्रियों की सुख सुविधाओं के लिये आवंटित धन राशि में वृद्धि की गई है। हम आशा करते है कि रेलवे प्रशासन यात्रियों को अधिक सुख सुविधायें प्रदान करेगा।

अधिक मूल्यों के कारण रेलवे कर्मचारियों के सामने बहुत कठिन स्थिति है तथा इस से रेलवे की कार्यकुशलता पर कुप्रभाव पड़ता है। रेलवे कर्मचारियों ने प्रधान मंत्री के नाम एक अभ्यावेदन भेजा है जिस में आठ मांगे पेश की गई हैं। मैं समझता हुं रेलवे मंत्री को वह अभ्यावेदन प्राप्त हो गया होगा। मेरा कहने का अर्थ यह है कि बढ़ती हुई कीमतों के कारण रेलवे कर्मचारी बहुत कठिनाई में हैं। प्रशासन को उन लोगों को वस्तुओं देने की व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि बढ़ रहे मूल्यों के कारण, होने वाली हानि दूर हो सके। सरकार को उच्च निर्वाह व्यय के लिये प्रतिकर देने के सम्बन्ध में रेलवे कर्मचारियों द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये। उस अभ्यावेदन की मुख्य मांगें हैं कि एक मजूरी बोर्ड नियुक्त किया जाये, राजसहायता प्राप्त अनाज की

[डॉ लक्ष्मीमल्ल सिंघवी]

दुकानें खोली जायें, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की व्यवस्था की जाये तथा रेलवे कर्मचारियों को बोनस दिया जाये इत्यादि और मैं समझता हुं इन में कम से कम 50 प्रतिशत मांगे न्यायसंगत है तथा मैं आशा करता हुं कि रेलवे मंत्री इस बारे में कुछ बतायेंगे।

रेलवे में दो श्रेणियों के कर्मचारियों ऐसे है जो रेलवे के लिये बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, परन्तु रेलवे प्रशासन उनकी मांगों की सदा अवहेलना करता रहा है। इन दो श्रेणियों में एक श्रेणी रेलवे गार्डों की है। रेलवे गार्डों के साथ उन के वेतनक्रमों और गाड़ी के साथ चलने के सम्बन्ध में उचित व्यवहार नहीं किया गया है। उनकी पदोन्नति के साधन भी बहुत सीमित हैं। स्टेशन मास्टरों तथा असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों की भी वैसी ही शिकायतें हैं। और उन पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिये।

रेलवे के प्रथम वर्ग के कर्मचारियों ने इन वर्षों के दौरान काफी शिकायतें की हैं क्योंकि उन के साथ उचित व्यवहार नहीं हुआ है। बिना किसी कारण के एक हजार और 2250 रुपये की बीच वेतन पाने वाले अधिकारियों को मंगाई भत्ता नहीं दिया गया। यह बिल्कुल अनुचित बात है। यह एक अपूर्व घटना है कि 2250 रुपये से अधिक वेतन पाने वालों के वेतन में 500 रुपये की वृद्धि की गई है। सरकार या तो निम्न श्रेणी के लोगों की मांग पूरी करती है, क्योंकि उन की संख्या अधिक है, या फिर उच्च अधिकारियों की मांगे पूरी करती है, क्योंकि वह सरकार पर दबाव डाल सकते है अतः बीच के लोगों की मांगों की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जाता। सरकार को बिना बिलम्ब उन की मांगों को स्वीकार करना चाहिये तथा एक हजार और 2250 रुपये के बीच वेतन पाने वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिये। इस वर्ग के अधिकारियों को पदोन्नति की कोई संभावना नहीं है तथा उन में काफी असंतोष है। सरकार को इस मामले पर उचित ध्यान देना चाहिये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री अ० त्रि० शर्मा (छतरपुर) : रेलवे मंत्री इस वर्ष बहुत अच्छा आय-व्ययक पेश करने के लिये हमारी बधाई के पात्र हैं। यह आय-व्ययक बहुत अच्छा है क्योंकि यह न केवल बंचत का आय-व्ययक है बल्कि इस में यात्रियों के भाड़ में भी कोई वृद्धि नहीं की गई है तथा सुधार और विकास के लिये कुछ अन्य सुन्दर प्रस्ताव भी रखे गये हैं। मैं माननीय मंत्री का ध्यान कुछ कमियों की ओर दिलाता हुं तथा उन से अनुरोध करता हुं कि वह उन्हे दूर करने का प्रयत्न करें।

सब से पहले मैं रेलवे स्टेशनों और डाइनिंग कारों में दिये जाने वाले भोजन के बारे में कहूंगा। रेलवे स्टेशनों तथा डाइनिंग कारों में दिया जाने वाला भोजन मात्रा तथा गुण दोनों मामलों में घटिया होता है। वहां जो कुछ बेचा जाता नहै वह मानवीय उपयोग के लिये उपयुक्त नहीं होता। शाकाहारी तथा मांसाहारी भोजन की अलग अलग व्यवस्था है। परन्तु यह केवल नाम के लिये है। शाकाहारी और मांसाहारी भोजन में कोई भेद भाव नहीं किया जाता। दोनों प्रकार का भोजन एक ही जगह पकाया जाता है तथा उन हीं बरतनों में परोसा जाता है। इस से शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों ही प्रकार के यात्रियों में से किसी को कोई लाभ ही होता। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस ओर ध्यान दें और यह सुनिश्चित करें कि यात्रियों को ठीक खाद्यापदार्थ दिये जायें।

रेलवे प्रशासनने उडीसा राज्य में रेलों के विकास की ओर उचित ध्यान नहीं दिया है। भुवनेश्वर और पूरी को छोड़ कर अन्य भागों की ओर ध्यान नही दिया गया है। बालासोर, बडराक तथा कालीकोट आदि बड़े स्टेशनों को भी अवहेलना की गई है। प्लेटफर्मों को ऊंचा नहीं किया गया ताकि यात्री बिना कठिनाई के रेल गाड़ियों में बैठ सकें। उड़ीसा में रेलवे लाइनों की बहुत कमी है। मैं रेलवे मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस ओर विशेष ध्यान दें।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण बाद में जारी रख सकते हैं। अब हम स्थगन प्रस्ताव को लेंगे।

स्थगन प्रस्ताव

MOTION FOR ADJOURNMENT

आसाम के मिजो जिले में स्थिति

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : While moving the motion that this House should adjourn to consider the panalysing of administration in Mizo district by hostile tribesmen and Government's failure to meet the situation, I would like to say a few words about the present situation there.

There had always been dissatisfaction among the people of Mizo Hills, because the funds allotted by Government of India for the betterment of the people of Mizo hills had been utilised by Assam Government somewhere else. There is only one jeepable road from Silchur to Ajail in the whole area. There is scarcity of food and even drinking water is not available. The point is that there had always been an attitude of indifference on the part of Assam Government towards the problems of that area. So far as eduction is concerned the literacy among the people of Mizo hill is 45—50 percent, but Assam Government had not given proper representation to the Mizo in Government service. So all these factors had led to a feeling among the people there that they must have a separate state of their own, separate from the State of Assam.

There are two political parties in Mizo hills, one is Mizo Union which was estblished in 1946 and the other is Mizo National Front which was established in 1960-61. It was with the advent of Mizo National Front that the demand for a separate State for Mizos took the shape of the demand for an independent State for Mizos.

The Government of Assam had failed in its duty by not takeing any action gainst the activities of Mizo National Front, which had been going on for long time. The front had been receiving support from some of the high officers in the State Government. Its volunteers are being trained in the Schools run by Government and private agencies.

The House will be surprised to note that the vice-President of the Mizo National Front is a basic teacher, who was suspended long ago, but he is still receiving the same pay from Assam Government. This is not a solitary example, there are so many other examples like this. A number of retired Government Servants are members of the Front. All these things were going on and yet the Government of Assam had kept quite. Assam Government had been concentrating their attention to the problems of wages only and the problems of Mizos had been totally neglected.

The demand of the Mizo National Front for an independent State of their own separate from India had been getting inspiration from Pakistan, which had always been interested in seeing that there was chaos and disorder in Assam. The hostile Mizos had received their training in Pakistan and so far as my information goes they had been given training in the batches of two hundered each. Pakistan has not only been giving training to the people of Mizo hills, but they are also giving training to the people of Manipur. East Pakistan radio gave out in its broadcast that Mizos had declared independence. On one hand Pakistan is talking about friendship with India and on the other hand she is indulging in such activities. U. K. is also interested to see that India should be divided in as many parts as possible. Even the B.B.C. this morning had said that Mizo hills district had formed themselves into an independent state.

[Shri Prakash Vir Shastri]

The main cause of dissatisfaction among the Mizos was their grievence that though they are advanced in every respect than Nagas, they are a martial race, they are saving the Assam Rifles and Assam Regiment most faithfully and they are not indulging in destructive activities such as uprooting of railway lines etc., as Nagas are doing, even then Government of India was negotiating with the Nagas and giving them all concessions and little attention is being paid to the problems of the Mizos. They said that Government was spendindg Rs. 17 crores on Nagas who had a population of three lakhs, but for the same population of Mizos it was not spending even Rs. 17 lakhs.

The situtation in Mizo hills is quite different from that of Naga hills. The present situation has been created in Mizo district due to economic difficulties and other problems, which Mizos had to face. Government should try to solve the problems of the Mizos. The Government should take stern action to deal with the situation that has arisen in Mizo hills due to destructive activities on the part of the Mizo National Front. If the present policy continued, we might face similar situation in NEFA, Manipur, Tripura and other places before long.

It is very unfortunate that the Chief Minister of Assam did not take steps to increase the strength of the armed police in the State although Central Government asked him to do so. If Central Government's decisions were to be disregarded in this way, as the Chief Minister of Assam had disregarded them, then what would be the future of this country? If this state of affairs is allowed to continue then that day is not far off, when the decisions taken by Government would not be acceptable to the Chief Ministers.

The present situation in Mizo hills developed on 28th February, but it was only today that army was being sent. It has become a habit with Government of India to take action, only when the situation goes out of control. This tendency is most undesirable on the part of Government. Could no Minister of Government of India rush to that area, when the administration had completely broken down. If peace is to be restored in the Mizo district, the Prime Minister or the Home Minister should immediately go there. A team of impartial M.Ps. should also be sent.

The Mizo National Front should be declared illegal, and all those elements which supported it, should be suppressed.

Apart from that I suggest that Government must deal with hostile Naga sternly and firmly. It was Government's attitude towards such elements that encouraged others to behave in this way.

With these words I beg to move that the House be adjourned because the Government of Assam and also the Union Government had miserably failed in dealing with the situation in the Mizo district.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया :

"कि यह सदन अब स्थगित हो"।

मैं सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वह 10 या 15 मिनट से अधिक न लें क्योंकि मैं अधिक से अधिक सदस्यों को समय देना चाहता हूं।

श्री रंगा (चित्तूर) : मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का सदन को अवसर मिला है। एक वर्ष से भी अधिक पहले स्वर्गीय प्रधान मंत्री के कारण हम नागालड का दौरा करने गये और हम ने संसद के सामने सर्वसम्मति से एक प्रतिवेदन दिया। सरकार

ने हमारी बात तो आज तक नहीं मानी अपितु उन्होंने नागा विद्रोही नागाओं को आमंत्रित किया ताकि उनसे बात की जाये। बातचीत करने के पश्चात सरकार ने उन्हें फिर दोबारा बातचीत के लिये आने का आमंत्रण दे दिया।

जिस समय हम वह दौरा कर रहे थे तो हमसे मिजो लोगों के प्रतिनिधि मिले और हमें बताया कि यदि उनकी मांगों पर सरकार ने कुछ ध्यान नहीं दिया तो वे भी नागा विद्रोहियों के मार्ग पर चलेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने इस ओर क्या किया।

इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं देश के किनारों पर रहते रहे और जो देश के सामाजिक सुधारों तथा सामाजिक विकासों से भी वंचित रहे। हमारे सब राजनैतिक दलों का यह कर्तव्य है कि इस ओर कुछ ध्यान दें। जब हम इन लोगों को संविधान के मौलिक अधिकारों का ध्यान देते हैं और कहते है कि आप तीन चार लाख की आबादी वाले एक स्वतंत्र देश नहीं बन सकते तो उनकी समझ में इसका अर्थ ही नहीं आता। वह कहते हैं कि नहीं वह स्वतंत्र देश बन सकते हैं। अब तो उनका सरकार के वचनों में विश्वास ही नहीं रहा।

अब हमें करना क्या है? एक रास्ता तो यह है कि उन्हें सेना से दबाया जावे। दूसरा वह कि वहां एक या दो मंत्री जावें और स्थिति का अध्ययन करें। तीसरा तरीका यह है कि इन लोगों को आसामी समाज में अपने प्रशासनिक तरीकों से मिलाया जावे जैसा कि आसाम की सरकार कर रही है।

सरकार को चाहिये कि सेना को वहां नागाओं को दमन करने की पूरी स्वतन्त्रता न दे क्योंकि वहां भी फिर एक समय आ सकता है जब वह कहेंगे कि एक कानून न्यायिक आयोग की मांग होगी जो इन दमन की कार्रवाई की जांच करेगा। इस लिये हमें यह खतरा मोल नहीं लेना चाहिये। हमें इस ओर नागालैंड से भी सबक सीखना चाहिये। हमारा एक सभ्य देश है और इसलिये हम मानव संसार नहीं कर सकते। यह काम तो हम नागालैंड में भी नहीं कर सके। इसलिये हमें चाहिये कि इन लोगों को भी वही अधिकार दे जो बंगाल, आंध्र आदि के लोगों को दिये हुए हैं।

आप पूछेंगे कि इस प्रकार हो और क्षेत्रों के लोग भी वही अधिकार मागेंगे। मेरा उत्तर यह है कि उन्हें भी दो। जब मनीपुर और गोआ को आप एक अलग इकाई मान सकते हैं तो उन्हें भी मानों। हम में एक ही कमी रही है कि हम ऐसे कदम ठीक समय पर नहीं उठाते।

उन्हें स्वायत्तता देने के लिये आमंत्रित किया जाना चाहिये। कौनसी स्वायत्तता? क्या वह जो बम्बई, गुजरात और बंगाल को मिली हुई है? यदि आवश्यकता पड़े तो इस से भी अधिक। केवल एक ही शर्त लगानी है कि वह सब भारत के नागरिक हों।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, यह दुःख की बात है कि हमें इस प्रकार के दुःखद प्रस्ताव पर चर्चा करनी पड़ रही है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें सरकार की विलक्षण सुस्ती के कारण एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि वहां सेना को भेजना पड़ा और हम एक भयंकर स्थिति में हैं। यह तो कोई सोच भी नहीं सकता कि इस देश का कोई भाग इस से अलग हो जावे।

मैं और श्री रंगा गत वर्ष नागालैंड में थे जब मिज़ो लोगों के कुछ प्रतिनिधि हमारे पास आये और अपने दुःखों की चर्चा की। उन्होंने यह भी कहा कि वह गृह-कार्य मंत्री श्री नन्दा से भी मिले परन्तु उनसे भी असन्तुष्ट ही रहे।

[श्री टी० ना० मुकर्जी]

मिजों लोगों की समस्या कोई नई नहीं है। यह बहुत पहले की है। अब तो एक आयोग भी नियुक्त किया गया है। इसलिये मैं उस आयोग के बारे में तो कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि उसके सदस्य हमारे मित्र हैं तथा योग्य व्यक्ति हैं। परन्तु आयोग भी इस समस्या का पक्का समाधान करने से रहा। यद्यपि उन्हें संविधान की छटी सूची में संशोधन करने का आसान काम दिया गया है।

सरकार प्रत्येक कार्य में बहुत विलम्ब करती है। श्री नन्दा ने कहा है कि हम उनकी शिकायतों पर यदि कोई हैं तो ध्यान देंगे। यदि मैं नागा होता तो कहता कि हम आपके साथ नहीं रह सकते। आपको सलाम।

नेहरूजी के समय में एक प्रतिनिधि मंडल आया और नेहरूजी ने स्काटलैंड के नमूने पर उन्हें स्वायत्तता देने की बात की। परन्तु इस पर यह बताया ही नहीं गया कि यह क्या है। हम चीन से लड़ने की बात करते हैं। कभी तिब्बत को स्वतंत्र कराने की बात करते हैं परन्तु हमें यह पता नहीं कि अपने क्षेत्र नेफा की ठीक देख भाल कर सकें। वहा के आदमी क्यों हमारे साथ मिलगे जब कि उन्हें यह पता है कि भारत सरकार तो उनके पास कभी सेना भेजती है और कभी पोलिस और उनसे व्यवहार ऐसा किया जाता है जैसे वह मानव ही न हो। वहां के तो बड़े ही सीधे और भोले लोक हैं। यदि आप उन्हें दोस्ती का हाथ दें तो वह उससे काम लेंगे। क्या सरकार ने ऐसा किया है? केवल नेहरूजी ही ऐसा किया करते थे। हम हिमालय तथा इसके पास के क्षेत्रों के बारे में क्या कर रहे हैं? क्या आप इन लोगों को इसी प्रकार रखना चाहते हैं जैसे अंग्रेज भारत को अपने नीचे रखा करते थे? क्या उन लोगों की तसल्ली राष्ट्रीय एकता समिति की मौजदगी बता देने से होगी? इस प्रकार की बातों से कोई लाभ न होगा।

मुझे पता है कि श्री चालीहा का वहां की अदिम जाति के लोगों में बहुत है। परन्तु मुझे यह भी पता है कि उन्हें अपनी नीतियों को मनवाने में कितनी कठिनाई होती है। ऐसी बाते वह मानने को तयार नहीं हैं। हमें एक आदत है कि हम समस्याओं को टालते रहते हैं जैसा कि हमने पंजाब में किया और बाद में मुसीबत में पड़ते हैं।

मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जब नागालैंड जावें तो मिज़ो लोगों से भी मिलें। वह एक बहन के रूप में उनसे मिल सकती? ऐसे ही अन्य मन्त्रियों को वहां जाना चाहिये। मैं यह नहीं चाहता कि वे एक बड़े साहब के रूप में दिल्ली से आदेश देते रहे और वहां के लोगों का दमन करते रहें। मेरे विचार में तो जो लोग देश से पृथकता चाहते हैं वह इसी दमन की नीति के कारण चाहते हैं और यह बात देश के लिये बड़ा खतरा है।

मुझे पता है कि इस क्षेत्र में कितने विदेशी कार्य कर रहे हैं। उनमें से सब श्री वैरयर एलविन की भान्ति उस क्षेत्र से प्यार नहीं करते। बहुत से ईसाई पादरियों का हाथ इस पृथकता की जो बात चल रही है उसके पीछे है। एक बार तो एक व्यक्ति ने यह भी कहा कि नागालैंड और इसके आस पास के क्षेत्र को समाजवादी विचार धारा के विरुद्ध एक नया देश बना दिया जावे। वह इसे ऐसे चाहते हैं जैसे दक्षिण वियतनाम में हो रहा है।

अब पाकिस्तान के साथ ताशकन्द समझौता होने के कारण, तथा बर्मा से भी मैत्री होने के कारण हम इस प्रकार की योजना को समाप्त कर सकते हैं। इसलिये भगवान के वास्ते इस सरकार को पिछली ग़लतियों से सबक सीखना चाहिय।

श्री प्र० चं० बरूआ (शिव सागर): महोदय इस सदन के सब वर्गों ने मिज़ो पहाड़ी क्षेत्र के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। यदि इस मामले की सारी पिछली वार्ता का बयान करूं तो देश के विभाजन से भी पहले एक योजना थी कि आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों

को भारत से अलग करके एक अंग्रेजों की उपनिवेश बस्ती बना दिया जावे। यह योजना श्री कुपलैंड की थी। इस योजना में साम्यवादियों का भी हाथ था क्योंकि उस समय उसकी अंग्रेजों से मित्रता थी। इस मित्रता का मुख्य कारण था रूसी और अंग्रेजों की दूसरे महायुद्ध की मित्रता का। यह "आत्मनिर्णयता" की बात का उन लोगों में प्रचार किया गया और इसके कारण उन लोगों में फूट भी पड़ गई।

इस समय आसाम के छ पहाड़ी जिलों ने स्वायत्तता मांगी और इसे संविधान के छटी अनुसूची में पुरःस्थापना की गई। पांच पहाड़ी जिलों ने तो यह स्वायत्तता मान ली परन्तु नागा इसके लिये तैयार नहीं हुए। उन्होंने इसके विरुद्ध एक आन्दोलन आरम्भ कर दिया और एक अलग प्रान्त नागालैंड ले बैठे। अब तो उनमें से उग्रवादी देश से पृथकता चाहते हैं और एक पूर्ण स्वतन्त्र देश की मांग कर रहे हैं।

उन पांच जिलों में भी सरकार की ओर से दी जानेवाली रियायतों के कारण एक अलग पहाड़ी राज्य की मांग आ रही है। मिज़ो तो अपने लिये ही एक अलग ही राज्य चाहते हैं। यह है उनकी मांग।

स्वर्गीय प्रधानमंत्री ने उनसे कहा था कि स्काटलैंड के नमूने पर प्रशासन दिया जायेगा और इसके लिये श्री पाटसकर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त हुआ है जिसका प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

मिज़ो लोगों ने देखा कि विद्रोही नागा लोगों के नेताओं का सम्मान होता है और केन्द्रीय सरकार भी उनको आमन्त्रित करती है, इसलिये उन्होंने भी अलग राज्य की मांग आरम्भ कर दी है। वे तो उस में बर्मा तथा पाकिस्तान के उन भागों का भी मिलाना चाहते हैं जहां मिज़ो लोग रहते हैं।

आसाम सरकार वह सब कुछ कर रही जो उसके लिये करना संभव है। दो वर्ष पूर्व जब खाद्यान्न की कमी हुई तो वहां दो करोड़ रुपये के खाद्यान्न भेजे गये। वैसे भी वहां प्रति वर्ष 25 लाख रुपया प्रति वर्ष व्यय किया जाता है। सुरक्षा के लिये वहां एक आसाम राईफल्स की पूरी बटालियन रखी हुई है। इसे बढ़ा कर अब दो बटालियन वहां हो गई हैं। कल वहां एक मंत्री महोदय भी जा रहे हैं। गृह-कार्य मंत्री आज ही वक्तव्य दिया है कि मिज़ो क्षेत्र में जो भी आवश्यक है किया जा रहा है। भाषा का प्रश्न श्री रंगा ने उठाया। पहाड़ के लोगों को पूर्ण स्वतन्त्रता है कि वह जो चाहे भाषा प्रयोग में लावें। इस लिये भाषा का इस से कोई सम्बन्ध ही नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इस काम रोको प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री स्वल (आसाम-स्वायत्तशासी ज़िले) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस विवाद में भाग लेते हुए कोई रोष नहीं है, दुःख है। मुझे इस बात का खेद है कि मामला यहां तक पहुंच गया है। लोगों को हम से काफी चिन्ता हुई है। 20 मार्च 1964 को गृह-कार्य मंत्री भी शिलांग में गये थे तो वहां एक लाख आदिम जाति के लोगों ने उनका स्वागत किया था। इस प्रकार का स्वागत इन लोगों द्वारा जवाहरलाल नेहरू के अतिरिक्त किसी अन्य नेता का नहीं हुआ।

मुझे आजकल की स्थिति के लिये सरकार की आलोचना करनी पड़ रही है। मिज़ो पहाडियों में उत्पन्न हुई स्थिति के सरकार ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। मैं इसके कारण बताना चाहता हूं। श्री फखरुद्दीन अहमद भी आसाम से सम्बन्ध रखते है। वह वहां की स्थिति के बारे में अवगत है। परन्तु पहाड़ी क्षत्रों के लोगों का उन में विश्वास नहीं है। सरकार को पहाड़ी लोगों से ही बातचीत करनी चाहिये। मिज़ो नेशनल फ्रंट और मिज़ो नेशनल यूनियन वतमान विद्रोह के लिये ज़िम्मेदार है।

[श्री स्वैल]

मिज़ो नेशनल फ्रंट की स्थापना 1960-61 में की गई थी। यह संगठन आल पार्टिस हिल लीडरस कांफ्रेस का एक भाग थी। ये संगठन आसाम सरकार की गलत नीतियों के फलस्वरूप अस्तित्व में आये थे ।

वहां के पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों ने 1959-60 में सरकार के भाषा सम्बन्धी निर्णय का विरोध किया था। इसके बावजूद आसाम सरकार ने भाषा सम्बन्धी विधेयक पारित किया। इस प्रकार देखा जायेगा कि आसाम में पहाड़ी लोगों की उपेक्षा होती रही है। ऐसी स्थिति में हम लोगों के लिये यही उचित है कि भारत संघ में पहाड़ी क्षेत्रों के एक अलग राज्य की मांग करें। परन्तु सभी संगठनों में उग्रवादी होते हैं। इसलिये उन लोगों के वर्ग ने हिंसात्मक तरीकों से अलग स्वतन्त्र राज्य प्राप्त करने की कोशिश की है। आज देश में यह धारणा फैलती जा रही है कि यदि कोई अपनी बात मनवाना चाहता है तो हिंसात्मक कार्यवाही ही एकमात्र साधन है। आज मिज़ो लोग यही कर रहे हैं। जब उन लोगों ने देखा कि प्रधान मंत्री तथा भारत सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे है तो उन लोगों ने अलग होने के लिये यह कार्यवाही की। मिज़ो युनियन भी वहां का एक प्रमुख संगठन है जो उग्रगामी नहीं है। उसकी मांग है कि भारत संघ में ही एक अलग मिज़ो राज्य की स्थापना की जाये। जब उन लोगों ने देखा कि वे अपनी मांग हिंसात्मक कार्यवाही द्वारा ही पूरी कर सकते है तो उन्होंने यह कदम उठाया है। खेद की बात है कि सरकार भी कुछ इसी प्रकार की भाषा समझने लगी है।

चीन के आक्रमण के बाद स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू ने पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को स्वायत्तता का आश्वासन दिया था। उसके लिये उन्होंने एक आयोग की स्थापना की बात कही थी। यह अप्रैल, 1965 मे बनाया गया । इस आयोग ने पहाड़ी लोगों की मांगो पर विचार करना था।

मिज़ो लोगों ने उच्च शिक्षा के लिये वहां पर एक विश्वविद्यालय के स्थापित किये जाने की मांग की थी। इस बारे मे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक समिति की स्थापना की थी। उस समिति की रिपोर्ट आये भी एक वर्ष हो चुका है। परन्तु अभी तक समिति की सिफारिशें कार्यान्वित नहीं किया गया है । कल गृह-कार्य मंत्री ने कहा है कि पाटसकर आयोग की रिपोर्ट इसी महीने में प्रकाशित कर दी जायेगी। परन्तु अब वहां के पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों का सरकार में भरोसा नहीं है।

सरकार को वहां पर विधि और व्यवस्था स्थापित करने के लिये बल का प्रयोग नहीं करना चाहिये। उन लोगों की शिकायतें दूर करनी चाहिये और उनकी सहायता करनी चाहिये। सरकार को उन लोगों की आशाओं पर ध्यान देना चाहिये।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : सब से महत्वपूर्ण चीज जिस से इस देश की आत्मा का जागण होता है वह है देश की एकता का बनाये रखना। इस सरकार के विरुद्ध मेरा आरोप यह है कि इस ने इस प्रश्न पर टालमटोल की है।

श्री रंगा ने जांज़ीबार का जिक्र किया। परंतु वह यह भूल गये कि जांज़ीबार इंगलेंड के आधीन था । यह बात मिज़ो क्षत्र क बारे में नहीं कही जा सकती । म सरकार के गलत कामों की सराहना तो नहीं कर सकता परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि इस से उसका एक भाग इस देश से अलग होने की मांग आरम्भ कर दे।

कल सायंकाल मिज़ो नेशनल फ्रंट के लोगों ने मिज़ो पहाड़ी जिले पर कब्जा कर लिया और वहां के आकाशवाणी केन्द्र से यह घोषणा कर दी कि उनका क्षेत्र एक पूर्ण स्वतन्त्र देश है। मने गृह-कार्य मंत्री को रात को ही यह समाचार दे दिया और उन्हें इसका पता भी था।

नागा लोगों से पूछे तो वह कहते हैं कि अंग्रेजों के यहां आने से पूर्व हम स्वतन्त्र थे। उन्होंने हमें ताकत के कारण दबा दिया। अब अंग्रेज चले गये तो हमारा पूर्व का अधिकार हमें मिलना चाहिये। यदि इस बात को मान लिया जावे तो भारत के टुकड़े टुकड़े हो जावेंगे। यदि भारत मर गया तो फिर जीवित कौन रहेगा? भारत को जीवित रखना है।

सरकार के विरुद्ध मेरा आरोप यह है कि वह नागा लोगों के साथ नर्मी का व्यवहार कर रही है। यह नागा विद्रोहियों के साथ व्यर्थ की बात चीत करने पर लगी हुई है। अब तो उन्होंने एक स्वतन्त्र सरकार भी बना ली है जिसे नागा फैडरल सरकार कहती है। अब तो सरकार की नरम नीति के बारे में वहां सब को पता लग गया है और वह कहते है कि स्वतन्त्र दोनों का यही उत्तम अवसर है। श्री शास्त्री ने तो उन्हें नहीं बताया परन्तु श्रीमती इन्दिरा गांधी को इन लोगों को बता देना चाहिये कि उनसे तब तक कोई बात नहीं की जावेगी जब तक वह स्वतन्त्रता की मांग नहीं छोड़ेंगे। यह बात उन्होंने इस सदन से तो कह दी है परन्तु नागा विद्रोही नेताओं से नहीं कही है।

अब तो सरकार ने प्रेक्षक दल की संख्या भी बढ़ा दी है। 14 अगस्त 1965 को तदूबी नामक स्थान पर जो कि मनीपुर में है नागा फेडरल सरकार ने अपना स्वतन्त्रता दिवस मनाया जिसमें उनके अपने राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्री उपस्थित थे और उनमें एक मिस माजोरी साईक्स भी थी जो कि प्रेषक दल की सदस्या हैं। सरकार के ऐसे ग़लत कार्यों के कारण मिज़ो लैंड में भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई है। मिज़ो लोगों की स्वतंत्रता की बात तो मिज़ो लोगों में से कुछ ने नेहरूजी के सामने 1954 में भी रखी थी। उनका जो अनधिकृत प्रकाशन वाला रेडियो है वह भी चिटाग में पाकिस्तानी ट्रांसमीटर है। अब देख लीजिये कि पाकिस्तान ताशकन्द समझौते के बाद भी किस प्रकार के कार्य कर रहा है। कल ही गृह-कार्य मंत्री ने इस सदन में माना है कि मिजो लोग पाकिस्तान में शस्त्र लेने तथा गोरिला युद्ध का प्रशिक्षण लेने गये थे। वैसे इसके पीछे चीन का हाथ भी है। वह यहां वही कार्य कर रहा है जो वह वियतनाम में कर रहा है।

मैं सरकार से कहूंगा कि भारत से अलग होने की आज्ञा किसी को नहीं दी जायेगी। सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिये। देश की एकता को बनाये रखना है और जो यह कार्य नहीं कर सकता उसे यहां राज्य करने का कोई अधिकार नहीं।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा (कचार) : मैं इस प्रस्ताव का विरोध करती हूं। परन्तु उस क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में मैं यह कह दूं कि 1957 से मिजो लोगों को यह शिकायात थी कि उनके क्षेत्र में डाक तार की व्यवस्था कम है। बाद में वहां अकाल भी पड़ गया जिस से लोगों में बेचैनी फल गई। वैसे सरकार ने तो उन्हें खिलाने के सब उपाय किये। नागा विद्रोहियों को देखते हुए उन्होंने भी पृथकता की मांग कर दी है। एक बार तो 1964 में उन्होंने ग़ैर-मिज़ो लोगों के विरुद्ध उपद्रव किये और एक सरकारी कर्मचारी की हत्या भी कर दी।

ऐसी कारवाईयों को सख्ती से दबाना चाहिये। वहां आसाम राईफल की बजाय सेना को रखना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर मिज़ो लोगों द्वारा की गई घटनाओं के कारण हम चर्चा कर रहे हैं। दो प्रकार की युक्तियां इस विषय पर दी जा रही हैं। कुछ सदस्य तो कहते हैं कि सरकार की नरम नीति के कारण उस स्थान पर गड़बड़ हो गई। दूसरे सदस्यों का कहना है कि सरकार वहां एक पोलिस राज्य जैसी स्थिति कर रखी है और वहां विकास की ओर ध्यान न देने के कारण यह सब कुछ हो रहा है।

श्री स्वैल ने मेरा नाम भी इस संदर्भ में लिया है। परन्तु उन्होंने इस समस्या को सुलझाने का तो कोई हल नहीं बताया। मैं यह निवेदन कर दूं कि ऐसी बात नहीं है कि स्वतन्त्रता गृहण करने के पश्चात हम ने इस मिज़ो क्षेत्र में कुछ किया ही नहीं है। मिज़ो जिला आसाम का सब से बड़ा ज़िला है तथा इसमें 2,66,000 व्यक्ति रहते हैं। यह सारा पहाड़ी क्षेत्र है। वहां तो खाद्यान्न भी बाहर से ले जाना पड़ता है। प्रति व्यक्ति व्यय आसाम राज्य में 161 रुपये से 162 रुपये है परन्तु वहां मिज़ो ज़िले में प्रति व्यक्ति व्यय 342 रुपये है। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस क्षेत्र की हम उपेक्षा नहीं कर रहे हैं। चौथी योजना में इस क्षत्र में और विकास के कार्यों को आरम्भ करने के बारे में योजना आयोग के श्री त्रिलोकसिंह वहां दो बार स्वयं हो आये हैं।

जैसा कि सदन को ज्ञात है पाटस्कर आयोग की नियुक्ति हो गई है ताकि जो स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था उसके बारे में अपनी सिफारिश दे। इन मिज़ो लोगों ने उस पाटस्कर आयोग का भी बहिष्कार इस आधार पर किया कि वह कहते थे कि इस आयोग को जो निर्देश दिया गया है उसमें यह नहीं है कि केवल मिज़ो क्षेत्र का एक अलग पहाड़ी राज्य बनाया जावे। इसमें तो सारे पहाड़ी क्षेत्र को एक राज्य बनाने का निर्देश है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सदन को पता लगे कि यह उपद्रव वहां इसलिये नहीं हुए कि वहां कोई विकास का कार्य नहीं हो रहा। साथ ही यह बात भी ठीक नहीं कि सरकार को इन उपद्रवों का ज्ञान ही नहीं था। वहां सामान्य विधि तथा व्यवस्था कायम रखने के लिये आसाम राईफल्स की एक पूरी बटालियन है जो कि वहां पहले से ठहरी हुई है। उसके पश्चात जब उपद्रवों का संदेह हुआ तो एक और आसाम राईफल्स की बटालियन वहां भेज दी।

श्री चालीहा से बढ़कर इन पहाड़ी लोगों का कोई और मित्र नहीं है। मुझे पता है कि एक बार श्री लालडंगा ने स्वयं यह लिख कर दिया था कि वह किसी आतंकवादी घटना में भाग नहीं लेगा। अब यदि यह लोग अपने वचनों से फिर जावें तो आप मुख्य मंत्री को इस के लिये दोषी नहीं ठहरा सकते। वह तो केवल मैत्रीपूर्ण वातावरण उत्पन्न करने के हित में है।

वसे वहां के लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि मिज़ो पहाड़ी से एक पोलिस कप्तान को हटा दिया है। परन्तु यह ग़लत है। वहां तो डिप्टी कमिश्नर ही पोलिस कप्तान का कार्य करता है। इसी प्रकार उन्होंने तब शोर मचाना आरम्भ कर दिया। आसाम राईफल्स की दूसरी बटालियन वहां भजी। इसलिय मैं फिर निवेदन कर दूं कि उस क्षेत्र में विधि तथा व्यवस्था की जिम्मेदारी आसाम राईफल्स की है। आसाम राईफल्स का कमान्डेंट यह कार्य वहां के डिप्टी कमिश्नर के सहयोग तथा सलाह से करता है।

जहां तक विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रश्न है मैं यह निवेदन कर दूं कि केन्द्रीय सरकार तथा आसाम सरकार दोनों ही इस बत के इच्छुक हैं कि वहां विश्वविद्यालय बने। इस कार्य के लिये आसाम की सरकार तथा मनीपुर की सरकारों ने पहले ही प्रस्ताव पास कर दिये हैं। जैसे ही नागालैंड की सरकार इस प्रकार का प्रस्ताव पास कर देगी वहां विश्वविद्यालय की स्थापना शिलांग में हो जायेगी। शिक्षा मंत्रालय ने इसके बारे में अगले वर्ष के लिये रक्कम भी निर्धारित कर रखी है।

अन्त में मैं आसाम भाषा अधिनियम के बारे में कुछ कह दूं। यह धारणा ग़लत है कि पहाड़ी क्षेत्र में आसामी या बंगाली भाषा को थोपने का प्रयास किया जा रहा है। खैर अब तो वहां के लोग भी इस बात को समझने लगे हैं और वह जान गये हैं कि सरकार उन पर आसामी या बंगाली भाषा लादना नहीं चाहती।

इस लिये मेरा निवेदन है कि वहां पर गम्भीर समस्या है परन्तु हमें इस पर रचनात्मक ढंग से सोचना है। हमारा उद्देश्य यह है कि देश की एकता बनी रहे साथ ही हम उन लोगों को जहां तक संभव हो हर प्रकार की सुविधायें पहुंचायें। यदि इस बात को ध्यान में रखा तो इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Mr. Deputy Speaker, when Shri Fakhruddin Ahmed was speaking, I was thinking of the murder of Allahbaksh Sahib in Sindh. After his murder, cry for Pakistan became more loud in Sind. Similarly since the murder of Mr. Lal Yayna in Mizo area, such incidents have become rampant in that area. I think this government should be condemned for the reason too here.

This discussion has centred on two main points viz. unity and feedom. In the category of freedom I include feeling for freedom. We have to give equal importance to both these points.

The government of India has not evolved a sound policy regarding the people who live on the borders. sometimes they act like very weak people and at other times they act like very aggressive people. The governmen should be run with a policy that those who come in the way of the integrity of the country should be made functionless. When both these factors are kept in mind that is of giving freedom to people as far as possible and yet maintan the integrity of the country, than only its work will be good.

These Mizo rebels are to be treated as rebel sons of mother India. They may heve to be punished for their wrong deeds and yet they are to be treated as Mother India's Childern.

If you look at the geographical position of Mizo area you will find the tea gardens in the north owned by Englishman. I want to know what action has Government taken to prevent them from indulging into their usual habit of disintegrating India into small parts. Same is the work of foreign missionaries. Whatever good work they might have done but they have completely distorted the history teaching in India. For this I would quote the editorial of Statesman Paper wherein they have indicated that Assam was given to the British by Burma in 1826 after the Treaty of Yandabo. They have made it appear their Assam did not belong to India. For them history starts from the Mughal period and more so after the British period.

Vernir Elvin started a policy of separation of this area. India did no anything for its people to be modernised. China on the other hand developed its border areas. If the Government of India did not do to develop its borders areas and modernise its people, the tendency of separation will be there.

I also want to tell you about the existence of Masiti Association in Delhi who work as cooks and butters in all big hotels in Delhi. They are all Christians. Originally they were sweepers and coblers. But Hindus of India due to their

[Dr. Ram Manohar Lohia]

orthodox ways have forced these people to change their religion. Previously they did not accept food to be served by them but after they have become christians, they do not mind it. Hence the cause of this change of religion by them. The same applies to Mizo problem.

I was arrested in that area by the representatives of Government of India. There was a big Naga of the name of Purshottam. But such things are suppressed. The Government of India does not want to antagonise these missionaries as they think that they would be thereby antagonising their relations with Europe and America.

Therefore I would say that unless we change the basic structure of our education then, this problem would not be solved. It includes teaching of history also and along with it two basic factors of teaching balance between giving some freedom to people and yet meaintaining the integrity of the nation.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : It is due to the policy of the Government that Nagas have been encouraged to indulge in hostile activities. The Peace Mission was set up in order that negotiations may be started with them on healthy lines. This Peace Mission has not been able to do anything in this direction. We had a truce, but this truce ultimately helped them to intensify their activities. There is a great terror in this whole area. Nagas are demanding a separate State. They want complete independence.

Shri Jai Parkash Narain has resigned from the membership of the Mission. I may urge that Rev Michel Scott should also be expelled from this mission and from Assam too. He is almost responsible for their revolt. We must take strong action and ruthlessly suppress the lawlessness in this region. We should create contact with the faithful people and give them all encouragement. We must also concentrate on the economic and social development of this state of Nagaland. We must try to educate the people of Nagaland also. They should be given all the facilities that we can afford to give them.

The Government should make efforts to seek the help of all such elements in those areas who were prepared to cooperate with them and such people should be given all types of encouragement. I also want to urge that delegations of the backward classes sangh and Schedules Tribes associations should be sent to that area to take up welfare work for the people there.

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : सदन बहुत ही दुःखद स्थिति पर विचार कर रहा है। जो भी स्थिति है उस पर हम सब को खेद है। कल मैंने गत तीन चार क्षेत्र में हुई घटनाओं के बारे में बताया था। हम सब उन सब से बड़े क्षुब्ध हैं। इस बारे में मुझे केवल यह निवेदन करना है कि राज्य सरकार ने मिज़ो पहाड़ी जिले में बल प्रयोग की नीति नहीं अपनाई। इसका कारण यह है वह कि ये लोग विशेष प्रकार के हैं और उनके साथ विशेष ढंग का व्यवहार किया जाना ही मुनासिब समझा गया है। यह बात सही है कि एक बार इस से पूर्व भी मिज़ो नेशनल फ्रन्ट ने ऐसी राजनीतिक विचारधारा अपनाई थी जो कि पूर्णतया अमान्य थी। परन्तु अपनी इन कार्यवाहियों के साथ साथ वह संवैधानिक मार्ग भी अपना रही थी। इस फ्रन्ट ने चुनावों में भी भाग लिया था।

इस दिशा में यह भी उल्लेखनीय है कि इसके अतिरिक्त अन्य राजनीतिक संगठनों मिज़ो यूनियन ने कोई विशेष रूप से उग्रवादी विचार नहीं अपनाया है। वह तीन लाख से कम लोगों के लिए भारतीय संघ के अन्दर पृथक राज्य की मांग कर रहा है। हमारी दृष्टि से यह किसी प्रकार की पृथकतावादी प्रवृत्ति नहीं है। आसाम के मुख्य मंत्री इस बात का निरन्तर प्रयास करते रहे हैं कि मिजो लोग ठीक रास्ते पर चलें और उचित व्यवहार करें। यह ठीक नहीं

है कि उन्हें खुली दृष्टी दे दी गयी थी। एक समय ऐसा भी थी जब इस फ्रन्ट के प्रकट नेताओं ने दूसरी तरह की मांग का आग्रह भी किया था। परन्तु यही समझा गया था कि उनकी मांग स्वतन्त्रता की नहीं है। परन्तु गत कुछ महीनों में यह मांग निरन्तर बढ़ती चली गयी। और अपनी मांग के लिए वे दबाव भी डालने लगे। अतः सरकार ने एक और बटालियन तथा आसाम राइफल्स के और सैनिक भेजे। यह पता लगा है कि उन में से कुछ लोग पाकिस्तान भी जाते रहे हैं। मुझे यह आशा है कि सभा इस बात पर सहमत होगी कि इस इलाके तथा अन्य बातों के कारण सीमा के प्रत्येक भाग की रक्षा करना असम्भव है।

इस प्रकार की स्थिति उन लोगों ने यह महसूस कर लिया कि सम्भवतः सरकारी सेना उनके विरुद्ध कार्यवाही करने वाली है, और शायद यदि यह सैनिक कार्यवाही हो गयी तो व कोई कड़ी कार्यवाही न कर सके। अतः उन्होंने अपनी जो योजनायें बना रखी थी, उनमें कोई सफलता मिलती दिखाई नहीं दी। और इस निराशा की स्थिति में गड़बड़ करनी आरम्भ कर दी। ऐसा कहा गया है कि इस क्षेत्र की उपेक्षा की गयी है और उन लोगों की वफादारी उपलब्ध करने की दिशा में अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गयी। यह ठीक है कि सड़कों तथा अन्य बहुत सी बातों में काफी सुधार हुआ है और पहले से स्थिति काफी सुधरी है। यह हालत उस समय है जब कि उस क्षेत्र की वर्षों से उपेक्षा होती चली आती रही है। यह कहना गलत है कि इस क्षेत्र की कठिनाईयों को दूर करने की दिशा में सरकार ने कोई काम नहीं किया है। हमें समझना चाहिए कि जो स्थिति थी, उसमें समस्याओं को सुलझाने में समय लग जाना बहुत ही स्वाभाविक है। कहा गया है कि आसाम के मुख्य मंत्री एक व्यक्ति के कहने पर चलते हैं, और वह व्यक्ति उन्हें वहां सहानुभूतिपूर्ण ढंग से कार्य करने से रोकता है। यह बात गलत है, वह व्यक्ति अपने ढंग से हमारी सहायता कर रहा है।

इस सारी गड़बड़ का एक कारण और भी है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और वह इस क्षेत्र का विकास है। इस क्षेत्र में बहुत सी योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा था। और उसका आम जनता पर वहां बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा था। उग्रवादी लोग यह समझने लग गये कि यदि विकास का कार्य इसी प्रकार होता रहा तो लोगों का ध्यान शांतिपूर्ण ढंग से विकास करने की दिशा में चला जायेगा। और वह काम में लग जाने के कारण विद्रोह करने का विचार छोड़ देंगे। अतः मेरा यह कहना है कि यह गड़बड़ कम विकास के कारण नहीं हुई प्रत्युत विकास की दिशा में हो रही निरन्तर प्रगति के कारण है। हमने उस क्षेत्र विकास का कार्य आरम्भ कर दिया हुआ है। प्रथम योजना में 63 लाख रुपये व्यय किये गये, दूसरी योजना के अन्तर्गत 2 करोड़ 11 लाख रुपये का खर्च किये गये और तीसरी योजना के दौरान का खर्च 5 करोड़ 62 लाख रुपये है।

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि तीसरी योजना के अन्त तक इस जिले में प्रति व्यक्ति व्यय 314 रुपये था जबकि सारे राज्य के लिए प्रति व्यक्ति व्यय 166 रुपये था। किसी को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिये क्योंकि भूतकाल में उनकी उपेक्षा होती रही है। यह बात बिल्कुल निराधार है कि उस क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैदानी जिलों के लिए प्रति व्यक्ति व्यय 133 रुपये है जब कि राज्य के पहाड़ी जिलों पर प्रति व्यक्ति व्यय 493 रुपये है। 1963-64 में योजना आयोग के सलाहकार ने क्षेत्र का दौरा किया और परिवहन, जल सम्भरण और विभिन्न अन्य मामलों पर सम्मिलित कार्यक्रम बनाया गया। इस के बारे में हममे परस्पर आयोग की स्थापना की हुई है। जैसे ही हमें इस आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त होगा उस क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में पूरा प्रयास किया जायेगा।

[श्री नन्दा]

यह भी कहा गया है कि सरकारने समय रहते काम नहीं किया और ठीक वक्त पर कार्यवाही नहीं की। हम मामले की गम्भीरता से इन्कार नहीं कर सकते और सरकार को आवश्यक कार्यवाही करने पर बाध्य होना पड़ा है। इस खतरे की गम्भीरता को हम कम नहीं समझ रहे। हमें इस बात का खेद है कि सरकार को वहां सेना भेजनी पड़ी। मुझे आशा है कि हमारी सेनायें अब तक एजल पहुँच गयी होंगी। और सड़कों पर जो बाधाएं पैदा हो गयी थी वह पूरी हो गयी होंगी। सरकार विद्रोह को सहन नहीं कर सकती। जहां भी पृथकतावादी कोई आन्दोलन होगा, उसे अवश्य ही दबाना होगा। यह ठीक है कि हम किसी प्रकार का विद्रोह सहन नहीं करेंगे फिर भी हम भविष्य में हमेशा मानवीय पहलू का ध्यान रखेंगे। इस समय जैसी स्थिति है, वैसी हम कार्यवाही कर रहे हैं। हमें आशा है कि हम शीघ्र ही समस्या को हल कर लेंगे।

हमारा विकास कार्यक्रम जारी रहेगा। काफी बड़ी संख्या में लोग इस क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को शांतिमय ढंगों से चला रहे हैं। इनमें काफी संख्या में वे लोग भी है जो कि मिजो यूनियन के हैं। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि यह सारा क्षेत्र ही विद्रोह कर रहा है। एक वर्ग विद्रोह कर रहा है और जो विद्रोह कर रहा है, उनके विरुद्ध तो कार्यवाही करनी ही होगी। विद्रोह को शान्त कर तब हमें अपनी विकास की कार्यवाहियां पुनः चलानी होगी। तथ्यों के बारे में और की जाने वाली कार्यवाहियों के बारे में विचारों में काफी समानता है। परन्तु इस के बारे में स्थगन प्रस्ताव के प्रस्तुत किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnore) : This is for the first time after 19 years of our Independence that such revolt as that of Mizo hills have come to the fore. The entire administration has been paralysed. I want to know whether an attempt has been made to solve the problem of these people. It was expected that Home Minister will go to this area and study the problem there at the spot with first hand knowledge.

Another thing which the Government ought to have done in this direction is that henceforth the Central Government should see that the funds allotted for the development of that area are fully utilised for the purpose they are meant for. Regarding this matter whatever has been said by the Home Minister and the Irrigation Minister should be fully justified before this House. If it had been done then I would not have come with this adjournment motion. Whatever has been said on behalf of the Government is not at all satisfactory.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अब सभा स्थगित की जाय।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। / *The motion was negatived.*

राष्ट्रपति का सन्देश

MESSAGE FROM THE PRESIDENT

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि अध्यक्ष महोदय को राष्ट्रपति से दिनांक 2 मार्च, 1966 का यह सन्देश प्राप्त हुआ है :—

"मैंने 14 फरवरी, 1966 को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष जो अभिभाषण दिया था उसके प्रति लोक-सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये धन्यवाद को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं।"

रेल्वे बजट, 1966-67—सामान्य चर्चा—जारी

RAILWAY BUDGET, 1966-67—GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

श्री अ० त्रि० शर्मा : श्रीमान् मैं अपने राज्य की कुछ शिकायतें बताना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 4 मार्च 1966/13 फाल्गुन, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, March, 4, 1966/ Phalguna 13, 1887 (Saka).

मा०स०मु०ना०—वि० 2—29 लोक सभा/66—19-6-67—600